खण्ड-235, अंक-4
गुरूवार, 5 आश्विन, शक संवत् 1884
(27 सितम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३०१–३०५
प्रश्नोत्तर	३०५–३५१
श्री नरदेव शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार	३५१–३५४
४ सितम्बर, १९६२ को पूंछे गये तारांकित प्रश्न १ व २ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३५४–३५५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	३५५
समाचार-पत्रों द्वारा गलत पार्टी सम्बद्धता छापने के सम्बन्ध में शिकायत ..	३५५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	३५६
विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिए निर्वाचित ३ सदस्यों के नामों की घोषणा. .	३५७
उत्तर प्रदेश, भूमि संरक्षण मंडल के लिए निर्वाचित १ सदस्य के नाम की घोषणा ..	३५७
गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए निर्वाचित ५ सदस्यों के नामों की घोषणा ..	३५७
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिए निर्वाचित ४ सदस्यों के नामों की घोषणा	३५७
लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३५७
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ (पारित) ..	३५८–३७७
उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (जारी)	३७७–४१६
नत्थियां	४१७–४३३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २७ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री,
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री

जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री

नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूदं, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूप सिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियायत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री

शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा लघु उद्योग उप-मन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २७ सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

राप्ती नदी के पिपराघाट पर नाव दुर्घटना

*१—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर), श्री सूरजलाल (जिला गोंडा), श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़), श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) तथा श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि गोंडा जिले में उतरौला डेवलपमेंट ब्लाक के नजदीक राप्ती दरिया के पिपराघाट पर हाल में नाव के डूबने से करीब पचास आदमी, औरतें व बच्चों की मृत्यु हो गई ?

श्रम मन्त्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—जी हां। २-९-१९६२ को १२ बजे दिन में पिपराघाट पर उतरौला से ४ मील की दूरी पर एक नाव जिसमें ६७ यात्री थे, डूब गई। ४१ यात्री बच गये परन्तु २५ का पता नहीं चला।

*२—श्री भगवानसहाय, श्री सूरजलाल, श्री झारखंडे राय, श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि इस नाव की सवारी ले जाने की कैपेसिटी कितनी थी व इस नाव की कंडीशन क्या थी, इसकी जांच आखिरी बार कब हुई थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—अंतरिम जिला परिषद् की सूचनानुसार नाव लगभग ३० फीट लम्बी तथा ७ १/२ फीट चौड़ी थी और लगभग ४० यात्री, नाविकों को छोड़ कर, ले जाने के योग्य थी। यह ५–६ साल पुरानी थी परन्तु अच्छी हालत में थी। आखरी जांच रेवेन्यू इन्सपेक्टर द्वारा दिसम्बर, १९६१ में की गई थी।

श्री भगवानसहाय—इस नाव में जो कायदे के खिलाफ अधिक यात्री लिये गये उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—जी हां, ४० यात्री की कैपेसिटी निर्धारित थी, लेकिन ६७ लिये गये थे। नाव डूब गयी है और कार्यवाही हो रही है। एस० ओ० ने वहां पर ५ आदमी पकड़ कर बन्दी कर दिये हैं और आगे कार्यवाही होगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—जो आदमी डूब गये हैं उनमें से कितने निकाले गये और कितनों की लाशें उनके घर वालों को दिलाई जा सकीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—६७ आदमी थे, जिनमें से ४१ आदमी तो बच गये, २५ का पता नहीं है और एक आदमी की लाश बरामद हुई है।

श्री झारखंडेराय—ये ४१ आदमी अपने प्रयास से बच गये या मल्लाह या किन्हीं और लोगों ने बचाये ?

श्री बंशीधर पांडेय—कुछ तो तैर कर किनारे आये, कुछ किनारे पर लोगों ने देखा होगा या मल्लाहों ने देखा होगा, उन्होंने निकाला।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—इस घाट का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया था ? यदि हां, तो जिसकी लापरवाही से यह घटना हुई उस ठेकेदार के खिलाफ सरकार ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री बंशीधर पांडेय—ठेकेदार का ठेका तो होता ही है और उसकी देख-रेख पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियर करते हैं। ठेकेदार के खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है, वह अभी मिला नहीं है और ५ आदमी पकड़े जा चुके हैं।

श्री गंगाप्रसाद—यह घाट अंतरिम जिला परिषद् में है या पी० डब्ल्यू० डी० के मातहत है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री झारखंडेराय—यह नाव ४० यात्रियों के लायक थी और गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ६५ आदमी बैठे थे, तो उस पर गवर्नमेन्ट क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री बंशीधर पांडेय—मैंने तो पहले कहा कि ६७ बैठे थे, उसी को लेकर चालान हुआ है और आगे की कार्यवाही जारी है ठेकेदार के खिलाफ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—जिला अंतरिम परिषद् की जो नावें चलती हैं उन पर मार्का लगा रहता है, कैपेसिटी नहीं लिखी रहती। अगर मार्का डूब जाता है तो ठेकेदार मल्लाह को ताकीद करता है कि और यात्री न भरे। तो जब इतने यात्री भर गये और मार्का डूब गया होगा फिर भी मल्लाह ने नाव रोकने का आदेश नहीं दिया तो उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही सरकार करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया है कि कार्यवाही हो रही है।

श्री भगवानसहाय—जो नाव दुर्घटना हुई, वह नाव की खराबी से हुई या ज्यादा आदमी बैठने के कारण ?

श्री बंशीधर पांडेय—नाव ५-७ साल पुरानी जरूर थी लेकिन उसमें कुछ खराबी नहीं थी। ज्यादा आदमी बैठने के कारण ही यह दुर्घटना हुई।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

बरुआसागर में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की प्रार्थना

*१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बरुआ सागर, जो जिला झांसी में है, की जनता द्वारा जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र फरवरी, सन् १९६२ से अप्रैल, सन् १९६२ के बीच सरकार को मिला जिससे जच्चा-बच्चा केन्द्र की अत्यन्त आवश्यकता जनता के अतिरिक्त वहां के सरकारी डाक्टर ने भी महसूस की ? सरकार ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही उपरोक्त विषय पर की ?

चिकित्सा उपमन्त्री (श्री धर्मसिंह)—जी हां। प्रार्थना-पत्र को जिला नियोजन अधिकारी, झांसी के पास इस आदेश के साथ भेज दिया गया है कि वह सम्बन्धित क्षेत्र विकास समिति, अंतरिम जिला परिषद्, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन की सलाह से उक्त प्रार्थना-पत्र पर विचार कर जो निर्णय लिया जाय उसके अनुसार कार्यवाही करें। अभी प्रार्थना-पत्र जिला नियोजन अधिकारी के विचाराधीन है।

श्री लखपतराम शर्मा—इस बात को देखते हुये कि बरुआ सागर की जन संख्या १२ हजार से ज्यादा है और वहां इस अस्पताल की अत्यन्त आवश्यकता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसको देखते हुए कोई ऐसे आदेश देंगे कि उस प्रार्थनापत्र पर जल्दी फैसला किया जाय ?

श्री धर्मसिंह—सरकार आदेश भेज देगी कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही इस मामले में की जाय।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या यह सही बात है कि वहां पर अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष का एक प्राइवेट अस्पताल है और इस कार्य में देरी इसलिये की जा रही है कि अगर यह अस्पताल खोला गया तो उनके अस्पताल को उससे हानि पहुंचेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

बस्ती जिले से ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*२—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ तक कितने प्रार्थना-पत्र कर्जा लेने के लिये आये और किसके प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुये और किस काम के लिये कितना धन दिया गया ?

ग्राम तथा लघु उद्योग मन्त्री (श्री फूलसिंह)—जिला बस्ती में १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ में क्रमशः २०, २४, ३८ तथा ९० प्रार्थना-पत्र ऋण हेतु प्राप्त हुए।

विस्तृत सूचना को सदन की मेज पर रखने में काफ़ी धन, समय तथा परिश्रम लगेगा। अतः यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वे कृपया मेरे दफ्तर में आकर प्राप्त कर सकते हैं।

ट्रक दुर्घटनाएं

*३—**श्री चन्द्रबलीसिंह** (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १३ मई, १९६१ से १५ मई, १९६२ तक कितनी ट्रक दुर्घटनायें हुईं और उसमें कितने व्यक्तियों, जानवरों एवं सम्पदा का नुक्सान हुआ ? क्या जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह उपमन्त्री (श्री नवल किशोर)—उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश में आगरा जिले को छोड़ कर १,९१० ट्रक दुर्घटनाएं हुईं । इनमें १,२१७ व्यक्तियों और ३०७ जानवरों की हानि हुई । प्रदेश के १६ जिलों को पृथक करते हुए १,२१,३११ रु० मूल्य की सम्पत्ति का एक बस, एक साइकिल व एक पुलिस जीप को छोड़कर, नुक्सान हुआ । उपरोक्त का जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४१७–४१९ पर।)

*४—**श्री चन्द्रबलीसिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश भर में उपरोक्त तिथियों के मध्य ट्रक चालकों एवं मालिकों पर निर्धारित रफ्तार से अधिक रफ्तार पर ट्रक चलाने के कारण कितने मुकदमें चले तथा कितने मुकदमें बिल्ली, कुत्तों, बकरियों, सुअरों तथा अन्य जानवरों के कुचलने पर चलाये गये तथा मुआवजा दिलवाया गया ?

श्री नवलकिशोर—उक्त अवधि में आगरा जिले को छोड़कर ट्रक चालकों एवं मालिकों पर निर्धारित रफ्तार से अधिक रफ्तार पर ट्रक चलाने के कारण १,१९३ मुकदमे चले तथा बिल्ली, कुत्तों आदि जानवरों के कुचलने पर ११५ मुकदमे चलाये गये और १,५८० रु० मुआविजा दिलाया गया ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आगरा जिले की सूचना न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर—वहां से सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—आगरा जिले की सूचना कब तक दे दी जायेगी ?

श्री नवल किशोर—उनसे फिर कह दिया गया है जल्दी भेजने के लिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—जो ट्रक कम्पनी से आती हैं उनमें एक स्पीड स्टापर लगा रहता है जिसको ड्राइवर हटा देते हैं । तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि वे एक निर्धारित स्पीड के अन्दर चलें और इस बात की जांच होती रहे कि वह स्पीड स्टापर उसमें हमेशा लगा रहे, ताकि यह दुर्घटनायें न हों ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अब तो इन गाड़ियों में जो गवर्नर कहलाता है वह लगता है और उससे निर्धारित स्पीड पर गाड़ियां चलती हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी कि ड्राइवर नशीली चीज पीकर न चलावें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिकारीगण अधिक देखरेख कर रहे हैं कि ड्राइवर शराब पीकर न चलें ।

श्री ऊदल—परिवहन विभाग के ऐक्ट में जो संशोधन हुआ है उससे मुआवजे के लिये ट्रिब्युनल की स्थापना के बारे में जल्दी मुआवजा दिलाने के लिये सरकार क्या करने का विचार कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—१,५८० रुपये मुआवजा दिलवाया गया है ।

श्री ऊदल—उस द्विगुनल की स्थापना कब तक हो जायगी जिसका विधान संशोधन में है ?

श्री नवलकिशोर—वह संशोधन इस समय मेरे सामने नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—इन दुर्घटनाओं में इटावा जिले की कितनी हैं ?

श्री अध्यक्ष—उनको फेहरिस्त दे दीजियेगा ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रक दुर्घटनाओं में मरे हुये लोगों के मामलों में कितने ड्राइवरों को सजायें हुईं और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हुई ?

श्री नवलकिशोर—नोटिस चाहिये ।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—ड्राइवरों की यह शिकायत होते हुये कि मालिक उनसे अधिक समय काम लेते हैं, मालिकों के खिलाफ सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—यह एक बार और पूछा गया था और उस समय श्रम के उप मंत्री जी ने उत्तर दे दिया था कि नियमों के अनुसार समय निर्धारित है और उससे अधिक उनसे काम नहीं लिया जा सकता ।

गौसगंज तथा राधौंपुर में अस्पताल न होना

*५—श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार अपनी दस मील की स्कीम के अन्तर्गत गौसगंज (हरदोई जिला) में एक मर्दाना अस्पताल एवं जच्चा-बच्चा सेन्टर गांव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खोलना देने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—गौसगंज से ६ मील की दूरी पर कछौना में एक मर्दाना एलोपैथिक अस्पताल व जच्चा-बच्चा केन्द्र कार्य कर रहा है इसलिये गौसगंज में एक और अस्पताल खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार सेलाबी क्षेत्र बिलग्राम व परगना कछौना के बीच राधौंपुर में एक सिविल डिस्पेन्सरी खोलने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—राधौंपुर के ५ मील के अन्दर बावतमऊ में एक आयुर्वेदिक औषधालय कार्य कर रहा है चूंकि ग्राम राधौंपुर विकास क्षेत्र का मुख्यालय (Headquarter of Development Block) नहीं है, अतः वहां पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है ।

श्री जे० पी० मिश्र—मुझे माननीय मंत्रीजी से केवल यह निवेदन करना है कि जो सूचना उनके पास आई है वह गलत है ।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि किन आधारों पर सरकार के द्वारा अस्पताल खोला जाता है ?

श्री धर्मसिंह—ब्लाक के हेडक्वार्टर पर अस्पताल खोला जाता है ।

मिटौली चिकित्सालय तथा हैदरगढ़ चिकित्सालय

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार को मालूम है कि जैसा कि जिले के साप्ताहिक 'मातृ-भूमि' में छपा है कि बाराबंकी जिले के मिटौली चिकित्सालय में विगत ४ वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या तत्काल यहां किसी डाक्टर की सरकार नियुक्ति का आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह—जी हां। प्रदेश में डाक्टरों की भारी कमी के कारण ही बाराबंकी जिले के मिटौली चिकित्सालय में १-१-१९५९ से डाक्टर नहीं है। जैसे ही और डाक्टर उपलब्ध होंगे एक को मिटौली चिकित्सालय में भेजा जायेगा।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार को मालूम है कि बाराबंकी जिले के लोकप्रिय हिन्दी साप्ताहिक "मातृ-भूमि" के दिनांक २५ जून, १९६१ के अंक में चिकित्सालय हैदरगढ़ के डाक्टर के विरुद्ध भीषण आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—बाराबंकी जिले के साप्ताहिक "मातृ भूमि" के दिनांक २५ जून, १९६२, न कि २५ जून, १९६१, के अंक में हैदरगढ़ चिकित्सालय के डाक्टर के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। इस पर जांच की जा रही है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा हो रही है और कब तक समाप्त होगी और क्या समाप्त होने पर इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—जांच सिविल सर्जन के द्वारा हो रही है और मेज पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—डाक्टरों की कमी को देखते हुये क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि डाक्टरों को एज लिमिट में ५ साल का एक्सटेंशन दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—एक हाई पावर कमेटी इसके लिये बैठी हुई है और यह प्रश्न उसके विचाराधीन है।

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—मिटौली ऐसा क्षेत्र है जो ५,७ दरियाओं के बीच में घिरा है और कोई किसी प्रकार का सामान वहां नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिये इतने दिनों से डाक्टर का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मसिंह—इस पर विशेष रूप से विचार कर लेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—वहां पर कब तक डाक्टर उपलब्ध हो जायगा क्योंकि वहां पानी से घिरे रहने से बीमारियां अधिक होती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डाक्टरों की कमी के विषय पर एक हाई पावर कमेटी विचार कर रही है। उसकी २ मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें डाक्टर भी हैं और बाहर के लोग भी हैं। वह इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि डाक्टरों की कमी एक लॉग रेन्ज प्वाइंट आफ व्यू से और शार्ट टर्म प्वाइंट आफ व्यू से कैसे दूर की जाय। अगर उपलब्ध डाक्टरों को कुछ अधिक साधन दे दिये जांय और वे जा सकें तो कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को भेजे जिससे सरकार उन साधनों के बारे में विचार कर ले। मैं समझता हूं कि २ महीने में वह कमेटी कदाचित्

अपनी सिफारिशें सरकार को दे देगी और फिर उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सरकार निर्णय लेगी और डाक्टरों की कमी को, जहां तक सम्भव हो सकेगा, मिटाने की चेष्टा की जायगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---श्रीमन्, इसकी जांच सिविल सर्जन कर रहे हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी उच्च अधिकारियों से उसकी जांच करायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इस समय तो सिविल सर्जन जांच कर रहे हैं। अगर सरकार उनकी जांच से किसी प्रकार संतुष्ट न होगी तब ही उच्च अधिकारियों से जांच कराने का प्रश्न उठ सकता है ।

इटावा से कांच उद्योग ऋण सम्बन्धी पत्र

*९---**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में उद्योग विभाग द्वारा कांच उद्योग के हेतु किसी व्यक्ति को एक लाख के लगभग तकावी या कर्जा प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो वह सज्जन कौन हैं और उनके कांच उद्योग की क्या स्थिति है ?

लघु उद्योग मन्त्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)---जी नहीं ।

*१०---**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तकावी या ऋण को प्राप्त करने वाले सज्जन का इटावा शहर में कोई निजी मकान नहीं है और जो मकान जमानत में लिखवाया गया है वह किराये का मकान है ?

श्री वीरसेन---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि यदि एक लाख नहीं, तो उससे कम रुपया किसी को दिया गया है ?

श्री वीरसेन---एक लाख या इससे कम भी किसी को नहीं दिया गया। एक प्रार्थना-पत्र अवश्य ७५ हजार का आया हुआ है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---क्या सरकार जांच करायेगी कि किसी ऐसे शख्स को तकावी दी गयी है जिसकी कोई संपत्ति भी नहीं है और उसने काम भी आरंभ नहीं किया है ?

श्री वीरसेन---यह जवाब जांच कराने के बाद ही दिया गया है। इसलिये दुबारा जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इलाहाबाद के अस्पताल

*११---**श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद के स्वरूपरानी अस्पताल, मोतीलाल नेहरू अस्पताल, सर तेज बहादुर सप्रू अस्पताल तथा डफरिन अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल में कितनी-कितनी शैय्याओं का प्रबन्ध है तथा उन शैय्याओं पर कितनी-कितनी नर्स तथा कम्पाउन्डर मरीजों को देखने हेतु रहते हैं ?

श्री धर्मसिंह---इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल, मोतीलाल नेहरू अस्पताल, सर तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, डफरिन अस्पताल तथा कमला नेहरू अस्पताल में, क्रमशः १७६, ७८, ३२, ८६ तथा १२६ शैय्याओं का प्रबन्ध है और उन शैय्याओं पर क्रमशः २५, ७५ (जिनमें ५७ स्टूडेन्ट नर्स भी सम्मिलित हैं), ८, १५ व ३० नर्सें मरीजों को देखने हेतु रहती हैं। किन्तु शैय्याओं के मरीजों को देखने के लिये कोई कम्पाउन्डर नहीं रहता ।

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद के क्षय रोग (T. B.) अस्पताल में शैय्या बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो इस वर्ष कितनी शैय्या बढ़ाने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—केन्द्रीय सरकार ने इलाहाबाद के क्षय रोग चिकित्सालय में शैय्या बढ़ाने के विषय पर कुछ भी नहीं लिखा है। वहां पर एक २८ शैय्या वाले वार्ड का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, जिस पर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ होने वाला है।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन पांच अस्पतालों में जितनी संख्या दी हुई है, इससे दुगने मरीज वहां पड़े हुये हैं जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है। जितने मरीज वहां जाते हैं उत्तर में उतना ही बताया गया है। इन बैड्स के अलावा यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो जहां तक हो सकता है, प्रबन्ध किया जाता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षय रोग अस्पताल का जो वार्ड अभी बन रहा था, वह क्यों रुकवा दिया गया है और उसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, यह काम जिस ठेकेदार को दिया हुआ था वह कम दर से काम करने के लिये तैयार नहीं है, इसलिये फिलहाल काम बंद हो गया है। टेंडर मांगे गये हैं और शीघ्र ही उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—इस क्षय रोग अस्पताल में लगभग ७०० मरीज रजिस्टर्ड हैं लेकिन वहां केवल ४५ बैड्स हैं। तो क्या इस संख्या को देखते हुये मंत्री जी वहां बैड्स के बढ़ाने का प्रबंध करेंगे ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—हम तो सभी जगह बैड्स बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह कार्य किसी योजना के अन्तर्गत ही हो सकता है और किसी योजना के अन्तर्गत कार्य करने के लिये धन की आवश्यकता होती है। जब मोहिले जी की ऐसी इच्छा है कि वहां अधिक से अधिक वार्डस् और बेड्स बढ़ें तो आवश्य बढ़ेंगे, यदि वे साधन मुहैया करते चलेंगे।

डफरिन हास्पिटल, फैजाबाद की श्रीमती डाक्टर पी० बनर्जी

*१३—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डफरिन हास्पिटल, फैजाबाद में श्रीमती डा० पी० बनर्जी जो फेमिली प्लानिंग की इन्चार्ज हैं उनकी ड्यूटी क्या-क्या है ? यदि उनकी ड्यूटी जिले के अन्य क्लिनिकों की देख-रेख भी है, तो वे अपना कार्यभार कब से करेंगी जबकि क्लिनिक स्कीम सितम्बर, १९५९ से चल रही है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—डा० श्रीमती पी० बनर्जी, मेडिकल अफसर इंचार्ज, फैमिली प्लानिंग, फैजाबाद की ड्यूटी का ब्योरा सूची में संलग्न है। उनकी ड्यूटी जिले के अन्य क्लिनिकों की देख करना भी है। डा० श्रीमती बनर्जी अपने जिले के अन्य क्लिनिकों की देख भाल नहीं करती रही हैं। उन्हें यह आदेश दिये जा चुके हैं कि वे अन्य क्लिनिकों की भी देख भाल किया करें।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२० पर)

*१४—श्री बांकेलाल (अनुपस्थित) तथा श्री कैलाश (अनुपस्थित)—क्लिनिक में मरीजों की रोजाना औसत हाजिरी कितनी है ? यदि वह औसतन हाजिरी ५ या १० प्रति रोज है, तो इन्हीं ५ या १० मरीजों के लिये अलग से डाक्टर की क्या आवश्यकता है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—क्लिनिक में मरीजों की रोजना औसतन हाजिरी १५ है। परिवार नियोजन केन्द्र में मरीजों पर अस्पताल की अपेक्षा अधिक समय लगता है क्योंकि वहां प्रत्येक को परामर्श देने, कन्ट्रासेपटिव देकर उसका प्रयोग तथा उपयोग बताने में काफी समय लग जाता है। इसलिये कार्य को सुचारू रूप से करने के लिये अलग डाक्टर की आवश्यकता है।

*१५—**श्री बांकेलाल** (अनुपस्थित) तथा **श्री कैलाश** (अनुपस्थित)—जबकि श्रीमती डा० पी० बनर्जी जो वहां फैमली प्लानिंग की इंचार्ज हैं, उनको सरकार की तरफ से प्राइवेट प्रैक्टिस मना है, इसलिये सरकार उनको ५० रुपया प्रतिमास एलाउन्स देती, है फिर भी वे घर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं, क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—परिवार नियोजन महिला डाक्टर इन्चार्ज को सरकार की तरफ से ५० रुपये प्रति माह नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाता है और उसे प्राइवेट प्रैक्टिस मना है। डा० श्रीमती पी० बनर्जी फैमिली प्लानिंग इन्चार्ज, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करती हैं।

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यापकों को चुनाव भत्ता

*१६—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले के अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को पिछले आम चुनाव का भत्ता दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—पिछले आम चुनाव में अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव के कुल २०० अध्यापकों को चुनाव कार्य में लगाया गया था जिन्हें अभी यात्रा भत्ता नहीं मिला है। इन अध्यापकों को अभी तक भत्ता क्यों नहीं दिया जा सका है, इसके बारे में जांच की जा रही है।

*१७—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को पिछले पंचायत चुनाव का भत्ता दे दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—अन्तरिम जिला परिषद, उन्नाव के १,००१ अध्यापकों को पिछले पंचायत चुनाव का भत्ता दे दिया गया है। १६१ अध्यापकों के बिलों को एक साल की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप महांकिक, उत्तर प्रदेश को भेजे गए थे और जो पूर्व समीक्षा के बाद भुगतान हेतु आ गए हैं। इनका भुगतान निर्वाचन पंचायत के बजट में धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका। इस के अतिरिक्त ५६ अध्यापकों के यात्रिक भत्ते के बिलों पर आपत्ति निवारण के पश्चात पूर्व समीक्षा हेतु महांकिक को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। १६ अध्यापकों ने यात्रिक भत्ते के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नाव अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमित कार्यवाही करने की काफी शिकायतें हैं जिनकी संभवतः जांच हो रही है, तो क्या उसी जांच के साथ यह भत्ता न देने के कारणों की भी जांच की जा रही है या इसकी अलग से जांच हो रही है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध जितनी भी शिकायतें हैं; उनकी फेहरिश्त तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, यह शिकायत जो माननीय सदस्य कहते हैं, हो सकता है कि वह भी उस सूची में हो, तो अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों की जो शिकायत है वह तो इस प्रश्न से एक अलग बात है जिसका कि उत्तर दिया गया है।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा करायी जा रही है और जांच का परिणाम क्या हुआ ? इसकी सूचना प्रश्नकर्ता को भी देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—जांच जिलाधीश कर रहे हैं और जब उनकी जांच रिपोर्ट आ जायगी तो माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो मैं उनको सूचित कर दूंगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—पंचायत चुनाव में अध्यापकों को भत्ता न देने की शिकायत केवल उन्नाव जिले में ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के अध्यापकों से इसका संबंध है। तो क्या सरकार पंचायतों के चुनाव में जिन अध्यापकों ने काम किया है, उन सब को भत्ता दिलाने के लिये एक आदेश जारी करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष—यह तो विकास के संबंध में है, पूरे प्रदेश के लिये शिक्षा मंत्री शायद बता सकें।

एक सदस्य—अध्यक्ष महोदय, पंखे में आग लग गयी है।

श्री अध्यक्ष—स्विच आफ कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, यह जो भत्ता देने की बात है, पंचायत चुनाव के संबंध में बहुत सी अन्तरिम जिला परिषदों ने अपने टीचरों को भत्ता नहीं दिया है।

श्री बंशीधर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापक जो पंचायत चुनाव के कार्य में लगाये जाते हैं उनको जहां तक भत्ता देने का प्रश्न है, वह जिला परिषदें देती हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, कुछ अध्यापकों को तो भत्ता मिल चुका है, कुछ का ए० जी० के पास जा चुका है। हेड आफ एकाउन्ट आदि के बारे में कुछ एतराज होने की वजह से कुछ रुक गये हैं, तो ऐसी कुछ त्रुटियां ज्यों ही पूरी हो जायेंगी वैसे ही पंचायत चुनाव संबंधी भत्ते उनको दे दिये जायेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, इस पंखे को उतरवा दीजिये, [अभी आग बुझी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, आप क्यों परेशान होते हैं? आप छोड़ कर न भागें, आप सुरक्षित हैं।

मनकापुर तथा तुलसीपुर गन्ना सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतें

*१८—श्री रामायणराय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास मंत्री व गन्ना विभाग के उच्च अधिकारियों के पास ऐसी शिकायतें १९६१-६२ में आई हैं कि गोंडा जिले के अनेक गन्ना सहकारी यूनियनों में किसानों को तकावी, कर्जा, अनुदान, गन्ने के मूल्य के भुगतान में यूनियनों संबंधी कर्मचारियों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार और घूसखोरी हुई है? यदि हां, तो किन-किन यूनियन से संबंधित किन-किन कर्मचारियों के बारे में ऐसी शिकायतें आई हैं और क्या कार्यवाही किन-किन के खिलाफ हुई है?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अप्रैल, १९६२ से जून, १९६२ के बीच मनकापुर तथा तुलसीपुर की यूनियनों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं। मनकापुर गन्ना सहकारी समिति के चेयरमैन ने गन्ना विकास निरीक्षक (अवैतनिक मंत्री) तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की थी। इसके अतिरिक्त मनकापुर समिति के चेयरमैन के विरुद्ध भी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। तुलसीपुर गन्ना सहकारी समिति के दो सुपरवाइजरों के विरुद्ध शिकायत मिली है तथा एक गुमनाम शिकायत भी मिली है जो गन्ना विकास निरीक्षक, सुपरवाइजर, कामदार तथा पर्ची इन्चार्ज के विरुद्ध है।

मनकापुर समिति के दो क्लर्क मुअत्तल कर दिये गये हैं और जांच जारी है।

तुलसीपुर समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध भी जांच जारी है।

*१९—श्री रामायणराय (अनुपस्थित)—क्या गोंडाजिले के किसी गन्ना सहकारी यूनियन के संचालक मंडल तथा समिति की वार्षिक साधारण सभा ने हाल में सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा गन्ना विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि उस यूनियन संबंधी समस्त सरकारी तथा सोसाइटी पेड (paid) कर्मचारियों को यूनियन में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण उस यूनियन के क्षेत्र से कहीं दूसरे स्थान को तबादला कर दिये जायं ? यदि हां, तो किस यूनियन ने ऐसी मांग की और उस पर विभाग तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां। मनकापुर सहकारी गन्ना समिति ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है; तदनुसार कुछ सरकारी व यूनियन पेड (paid) कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जा चुका है। अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर जांच पूरी होने पर विचार किया जायगा।

*२०—श्री रामायणराय—क्या यह सही है कि गोंडा जिले में किसी यूनियन के गन्ना विकास निरीक्षक तबादला में घर जाते समय इस वर्ष, यूनियन का बहुत-सा सामान अपने साथ नाजायज तौर पर लेते गये ? यदि हां, तो वह किस यूनियन के हैं ? क्या-क्या सामान ले गये, उसके वसूली तथा उनके विरुद्ध विभाग या सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मनकापुर गन्ना सहकारी समिति से सूचना मिली है कि गन्ना विकास निरीक्षक अपने साथ यूनियन का कुछ सामान ले गये हैं। वे अवकाश पर थे, उनका स्थानान्तरण गोरखपुर हो गया। उन्होंने अपना औपचारिक चार्ज नहीं दिया है। अतः इस बात का स्पष्टीकरण तथा उचित कार्यवाही, गन्ना विकास निरीक्षक के औपचारिक चार्ज देने पर ही होगी।

तीन वर्ष से अधिक एक ही पद पर काम करने वाले अफसर

*२१—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सूबे में कितने अफसरान 'ए' क्लास के ऐसे हैं जो तीन वर्ष से ज्यादा एक ही पद पर काम कर रहे हैं ?

नियोजन उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—प्रान्त में ३२० स्टेट सर्विस या और ऊंची सर्विसों के अफसर हैं जिनको अपने पदों पर तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं और जिनका स्थानान्तरण संभव है।

श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी कितने दिनों तक इन को और रोका जायगा?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—श्रीमन्,....

श्री अध्यक्ष—यह घुआं बढ़ रहा है पंखे से, इसलिये १० मिनट के लिये मैं सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय ११ बजकर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ११ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, आपने १० मिनट के लिये स्थगित किया था। हमें विश्वास है आप प्रश्नों के वास्ते समय १० मिनट बढ़ा देंगे।

श्री अध्यक्ष—अभी देखेंगे। अभी तो २० मिनट शेष हैं।

श्री ईश्वरशरण—मंत्री जी बतायेंगे सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर तीन साल बाद कर देना जरूरी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—साधारणतः ३ साल में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जिनको जनहित में, दूसरे कामों की वजह से रोकना आवश्यक है वे वहां रह सकते हैं।

श्री ईश्वरशरण—मंत्री जी बतायेंगे अभी इन अफसरों को कितने दिनों तक रोका जायगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—३२०अफसरों की लिस्ट है। अब कब तक रोका जायगा इसके लिये अलग-अलग बताना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जैसी आवश्यकता होगी वैसा किया जायगा।

*२२-२३—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[१५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

बरसाना में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोलने की योजना

*२४—श्री लखीसिंह—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला मथुरा के नन्दगांव विकास क्षेत्र में कोई औषधालय बनाने की योजना है ? यदि हां, तो नन्दगांव में बनेगा या बरसाना में और इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। उस क्षेत्र में एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के अन्तर्गत खोलने की योजना है जो बरसाना में स्थापित किया जायगा। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री लखीसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि विकास खंड का जो कार्यालय है वह तो नन्दगांव में है तो बरसाने में औषधालय बनाने की क्या योजना है ?

श्री धर्मसिंह—पहले नंदगांव में ही योजना थी। लेकिन वहां रेह अधिक होने के कारण वह मकान को खराब कर देती है इसलिये टेक्निकल लोगों ने इजाजत नहीं दी, इसलिये बरसाने में इंतजाम किया गया है।

श्री लखीसिंह—सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले लगभग ३०, ४० हजार रुपया लगा करके वह मकान बनवाया था क्या उस समय इंजीनियरों नें नहीं देखा था जिसके कारण सरकार का इतना नुकसान हुआ है जो मकान गिरने के करीब हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक इस अस्पताल का सम्बन्ध है, यह तो बनना आरम्भ भी नहीं हुआ है।

[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अमिलहरा कालीन कोआपरेटिव समिति, वाराणसी

*१—श्री ऊदल—अमिलहरा कालीन कोआपरेटिव समिति (इंडस्ट्रियल) वाराणसी जिसकी रजिस्ट्री सन् १९५२ में हो चुकी है। उसे अब तक सरकार ने कितना अनुदान तथा कितना ग्रांट विकास हेतु दिया है ?

श्री वीरसेन—जहां तक सरकार को ज्ञात है, कथित सोसायटी की रजिस्ट्री १९६० में हुई न कि १९५२ में। इस सोसाइटी को सरकार ने कोई ऋण तथा अनुदान नहीं दिया है।

श्री ऊदल—मंत्री जी बतायेंगे ऋण और अनुदान अब तक जो नहीं दिया गया इसका क्या कारण है ?

श्री वीरसेन—बजट में इस मद में प्रावीजन नहीं है इसलिये नहीं दिया जा सका।

श्री ऊदल—आइन्दा देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष—आइन्दा के लिये बाद में देखा जायगा। अभी क्या कहा जा सकता है।

मधुवन थाना अधिकारियों को दण्ड

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६१ के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४९ एवं ५० के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई है और उसका खुलासा क्या है?

श्री नवलकिशोर—इस विषय में पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ की एक रिपोर्ट शासन को २४-२-६१ को प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट का मामले से सम्बन्धित खुलासा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२१ पर)

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अफसर दोयम के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई तथा कुल कितना सेर गांजा पकड़ा गया था?

श्री नवलकिशोर—अफसर दोयम की ईमानदारी की सनद एक साल के लिये रोक कर उनके चरित्र पंजी में एक दुश्चरित्रता का लेख अंकित किया गया।

कुल २८ सेर अवैध गांजा पकड़ा जाना दिखलाया गया। जांच से यह पता चलता है कि गांजा की मात्रा २८ सेर से अधिक थी परन्तु यह बतलाना कठिन है कि अधिक गांजे की मात्रा क्या थी।

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—[हटा दिया गया।]

वरुणा नदी पर कालिकाधाम पुल बनाने की प्रार्थना

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील वाराणसी के अन्दर वरुणा नदी पर कालिकाधाम में पुल बनाने हेतु क्या स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कोई सर्वे करा कर एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और विभाग द्वारा अनुदान देकर बनाने की व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा?

श्री बंशीधर पांडेय—जी नहीं। तमाचाबाद-पिएडरा कच्ची सड़क, जिस पर पुल बनवाने की मांग की गई है, अन्तरिम जिला परिषद् के अधीन है और उस पर पुल बनवाने का उत्तरदायित्व परिषद् का है।

*६—श्री ऊदल—क्या उपरोक्त स्थान में पुल बनाने हेतु इस विभाग के माननीय सभा सचिव को अप्रैल, १९६२ में प्रश्नकर्त्ता ने एक प्रार्थना-पत्र भी दिया था?

श्री बंशीधर पांडेय—जी हां। सदस्य महोदय का दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि २६ अगस्त को अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी, ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया और सरकार से मांग की है कि सरकार इस पुल को बनवा दे?

श्री बंशीधर पांडेय—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास अभी नहीं आई है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—इस पुल की आवश्यकता को देखते हुये सरकार इस पुल को अपनी योजना में प्राथमिकता देने की कृपा करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय—जिले की जो योजना इस संबंध में पास की गयी है उसमें थर्ड फाइव ईयर प्लान में इसे प्राथमिकता दी नहीं गयी है।

श्री ऊदल—मे अन्तरिम जिला परिषद् की मीटिंग में मौजूद था लिहाजा मेरी सूचना को सही मान कर क्या सरकार स्वयं इस पुल को बनवा देगी; और, अगर नहीं बनवायेगी तो क्या इस पुल को बनवाने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् को अनुदान देने पर विचार करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—यह तो मैं नहीं जानता कि सदस्य महोदय वहां उपस्थित रहे या नहीं, लेकिन जिला परिषद् ने कोई प्रस्ताव पास किया होगा तो उसकी सूचना सरकार को आयेगी और माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको सूचना दे दूंगा ।

इलाहाबाद जिले में कुओं के लिये तकावी

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में सन् १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितना-कितना धन तकावी द्वारा सिंचाई हेतु कुंआं निर्माण करने के लिये किस-किस तहसील में दिया गया ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२२–४२३ पर)

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में जो रुपया तकावी हेतु ऊपर लिखे हुये सन् में दिया गया है उसमें कितनी-कितनी छूट दी गई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२२–४२३ पर)

सर्वश्री लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर को कर्ज

*९—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सर्वश्री लक्ष्मीरतन काटन मिल्स तथा सर्वश्री लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर को पिछले दस वर्षों में कितना-कितना रुपया सरकार द्वारा या इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा कर्ज के रूप में दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सर्वश्री लक्ष्मीरतन काटन मिल्स को प्रदेशीय सरकार द्वारा कोई कर्जा उल्लिखित समय में नहीं दिया गया । इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा दिये गये कर्जे से राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं है । सर्वश्री लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स को प्रदेशीय सरकार ने ५० लाख रुपये कर्ज के रूप में दिये हैं ।

*१०—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स तथा लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स के जिम्मे कितना-कितना रुपया असल और कितना-कितना रुपया सूद सरकार या इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन का देना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सर्वश्री लक्ष्मीरतन काटन मिल्स के संबंध में प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वश्री लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स के जिम्मे प्रदेशीय सरकार को (२८–३–६२ को) ५२,५०,००० रु० मूलधन और १४,०१,०९१.४० रु० ब्याज देना बाकी है । उपयुक्त धनराशियो में कम्पनी द्वारा दिसम्बर, १९६१ और मार्च, १९६२ में राज्यकोष में जमा किये गये ३ लाख रुपया और चार्टर्ड बैंक, कानपुर से वसूल किये गये १०,१३,४९० रुपये कम नहीं किये गये हैं ।

*११—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त दोनों फर्मों की इस समय आर्थिक लायबिलिटी (liability) और असेट (asset) क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सर्वश्री लक्ष्मीरतन ईजीनियरिंग वर्क्स को ३० सितम्बर, १९६१ को पूर्ण होने वाले वर्ष की बैलेन्स शीट से संबंधित उद्धरण की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२४–४२५ पर)

सिसागंज से थानेदार को हटाने की मांग

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के थाना सिसागंज की जनता ने ५ अप्रैल, १९६२ ई० को माननीय गृह मंत्री व जिलाधीश, मैनपुरी व कप्तान पुलिस, मैनपुरी को दरख्वास्तें दीं और तार द्वारा सूचना दी कि थानेदार सिसागंज ने बृजमोहन लाल मुनीम को और कुछ लोगों को भी बिना कारण मारापीटा है, जिसके कारण बाजार बन्द है, काले झंडे के जुलूस निकल रहे हैं, इस मामले में अब क्या हो रहा है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां। इस घटना के संबंध में थानेदार को उनकी चरित्र पंजिका में दुराचरण की प्रविष्टि अंकित किये जाने के बारे में नोटिस दिया गया है, उसका उत्तर प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलायेगी कि जब थानेदार के खिलाफ जांच हो रही है और करीब दो वर्ष से वह सिसागंज में कायम हैं और जनता उनसे असन्तुष्ट है तो सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको सिसागंज से हटा दिया जाय ?

श्री नवलकिशोर—जैसा कि मैंने कहा कि उनको नोटिस दिया गया है कि उनको एडवर्स एन्ट्री क्यों न दी जाय। जहां तक उनके ट्रान्सफर की बात है उसके ऊपर भी सोचा जा सकता है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—नोटिस किस तारीख को दिया गया और आखिरी फैसला किस तारीख तक हो जायगा ?

श्री नवलकिशोर—नोटिस की तारीख मेरे पास नहीं है। एडवर्स एन्ट्री देने के लिये कायदा है कि नोटिस देना चाहिये और उसे सरकार दे चुकी है।

*१३–१४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[१२ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न १३–१४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

कम्युनिस्टों को सर्विस में न लेने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का कथित आदेश

*१५—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री दिनांक १७ मई, १९६२ के प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न संख्या ६२, ६३ व ६४ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रश्नों के आशय का आदेश-निदेश अथवा राजाज्ञा राज्य सरकार के भी सभी विभागों को दी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

*१६—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो वह राजाज्ञा अथवा निदेश क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडेराय—पहले भी मैंने एक सवाल ऐसा किया था और वह सवाल आ नहीं पाया था, आगे था। उसी कांटेक्स्ट में मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश दिया गया था और जवाब आपके सामने है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है तो फिर ऐसे केसेज यू० पी० में क्यों हुए जिनकी सर्विसेज़ खत्म की गयीं इस बुनियाद पर कि वे कम्युनिस्ट आइडियाज के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे कोई आदेश नहीं हैं, यह सही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में आता है तो उसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यदि कोई व्यक्ति सबवर्सिव एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हुए अथवा ऐसी संस्थाओं का सदस्य समझा जाता है जो कि सबवर्सिव एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है तो उसको नियुक्त करते समय सरकार को अवश्य विचार करना पड़ता है और सरकार विचार करती है।

श्री झारखंडेराय—इस तरह के आदेश तो नहीं हैं कि जो लोग नौकरी में हैं उन्हें निकाल दिया जाय, लेकिन जो नौकरी में लिये जाते हैं उनकी छानबीन के दौरान में अगर वे कभी कम्युनिस्ट कंटेक्ट में सरकार या पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार रहे हों तो उन्हें नौकरी न दी जाय ऐसा कोई सुझाव सरकार की ओर से विभागों को दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा कोई आदेश सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, ऐसे व्यक्ति जो सबवर्सिव ऐक्टिविटीज या साम्प्रदायिक आन्दोलनों में हिस्सा लेते हैं और सरकार को उसकी जानकारी होती है तो सरकार उनकी नियुक्ति करने के पूर्व अवश्य इस पर विचार करती है कि ऐसे व्यक्ति नौकरी के योग्य हैं या नहीं ?

श्री झारखंडेराय—तीन केसेज में जानता हूं जो कभी कम्युनिस्ट या ऐसी संस्थाओं के सम्पर्क में रहे और बाद में सर्विस में आ गये और उनका कोई सम्पर्क उन संस्थाओं से नहीं रहा, लेकिन उनकी सर्विसेज इस बुनियाद पर खत्म की गयीं कि वे कभी कम्युनिस्ट कंटेक्ट में रहे। तो क्या मैं मुख्य मंत्री से ऐसा आश्वासन पा सकता हूं कि जब कभी इसकी जांच करायी जाय कि वे किसी कम्युनिस्ट कंटेक्ट में रहे तो किसी उच्च अधिकारी से जांच कराई जाया करे ताकि स्थानीय अधिकारियों के प्रेजुडिसेज उनकी नियुक्ति में बाधक न हो सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे केसेज हमारे समक्ष आये हैं जिनमें पहले हमें इस प्रकार की इत्तला मिली कि अमुक व्यक्ति सबवर्सिव ऐक्टिविटी में हिस्सा लेता था या सबवर्सिव एक्टिविटी में हिस्सा लेने वाली संस्था का कोई पदाधिकारी था। हमने फिर जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की और स्वतः जानकारी प्राप्त करने के बाद यदि हम इस निर्णय पर पहुंचे कि वह तथ्य सही नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को भी जिनके बारे में प्रारम्भ में दूसरे प्रकार की शिकायत आयी थी, हमने नियुक्त किया है और विभिन्न ओहदों पर सरकार में बिठाया है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री को अगर मैं इसकी सूचना दूं कि एक इन्फार्मेशन आफिसर को . . . .

श्री अध्यक्ष—माननीय झारखंडे राय जी, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम उसकी जांच कराते हैं और फिर नियुक्तियां भी उसके बाद की हैं अगर यह मालूम हो जाता है कि गलत रिपोर्ट है।

श्री झारखंडेराय—मैं यही कह रहा हूं कि जो तीन केसेज मुझे मालूम थे उनमें से एक तो रिट पेटीशन से रिइंस्टेट हो गया है, एक को माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद किया है, एक केस ऐसा है जो बिल्कुल बेकार निकाला गया है। अगर मैं वह केस माननीय मुख्य मंत्री जी की नोटिस में लाऊं तो क्या वे उस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कह ही दिया कि विचार करते हैं।

मथुरा ब्लाक के बी० डी० ओ० की बर्खास्तगी

*१७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि मथुरा ब्लाक में भारी गबन का कोई समाचार सरकार को अप्रैल–मई, १९६२ में प्राप्त हुआ है ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—जी नहीं।

*१८—श्री हिम्मत सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार उन अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करेगी कि जिन पर गबन का आरोप लगाया गया है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—प्रश्न नहीं उठता।

*१९—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—प्रश्न नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा ब्लाक का अन्तिम आडिट कब हुआ ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हिम्मतसिंह—अगर अप्रैल में नहीं प्राप्त हुआ तो उसके आगे पीछे शायद प्राप्त हुआ हो ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हां, उन्होंने जो तारीख दिया, वह गलत है। एक मास पहले एक शिकायत मथुरा के बी० डी० ओ० के खिलाफ आयी थी। वह गबन की नहीं थी, फायनेन्शल इरेंगुलेरिटी की थी। उसके ऊपर जांच हुई और उसको बरखास्त कर दिया गया है।

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

भगवन्तनगर अस्पताल में डाक्टर न होना

*२१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि टाउन एरिया भगवन्तनगर, जिला उन्नाव के राजकीय चिकित्सालय में आज प्रायः पिछले चार मास से कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—भगवन्तनगर, जिला उन्नाव के राजकीय अस्पताल में २२-१-६२ से १०-७-६२ तक कोई डाक्टर नहीं रहा। परन्तु ११-७-६२ से वहां एक डाक्टर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

*२२—श्री देवदत्त मिश्र—क्या मुख्य मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र भगवन्तनगर राजकीय अस्पताल में डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि भगवन्तनगर के अस्पताल में डाक्टर आने के साथ-साथ उससे लगे हुये सुमेरपुर अस्पताल का डाक्टर गायब हो गया ?

श्री धर्मसिंह—इसकी तो मुझे सूचना नहीं है लेकिन माननीय सदस्य को पता होगा।

पंचायत निरीक्षक कार्यालयों के लिपिक [redacted]

*२३—श्री जे० पी० सिंह—क्या पंचायत मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत पंचायत निरीक्षक कार्यालयों के लिपिकों की संख्या कितनी है और उनमें कितने लिपिक स्थायी तथा कितने अस्थायी हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—पंचायत निरीक्षक कार्यालयों के लिपिकों की संख्या ४२४ है। यह सभी पद स्थाई हैं और इन पदों पर कार्य करने वालों को स्थाई कर दिया गया है। इसके उपरान्त कुछ लिपिकों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति (deputation) पर चले जाने या किसी अन्य कारण वह जो पद रिक्त हुय उन स्थाई पदों पर कार्य करने वालों में कितने स्थाई या अस्थाई हैं, क विषय में जिलों से पूरी सूचना नहीं आई है।

*२४—श्री जे० पी० मिश्र—सरकार यह बतायेगी कि क्या पंचायत विभाग को नियोजन विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या पंचायत लिपिकों को नियोजन विभाग में सम्मिलित करने हेतु कोई आदेश हैं और अब तक कितने पंचायत लिपिक नियोजन विभाग में सम्मिलित किये गये हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—शासकीय आदेश दिनांक ७-७-५५ के द्वारा जिला पंचायत कार्यालयों को नियोजन विभाग में सम्मिलित कर दिया गया है। शासकीय आदेश दिनांक ६-११-५६ द्वारा २६८ पंचायत लिपिकों को नियोजन विभाग में सम्मिलित कर दिया गया।

श्री जे० पी० मिश्र—क्या मंत्री जी स्थायी और अस्थायी की फिगर्स जिले से मंगा लेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मंगा दूंगा।

*२५—श्री झारखंडेराय—[हटा दिया गया।]

नर्सें

*२६—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों में नर्सों से रात में लगातार १२-१२ घंटे ड्यूटी ली जाती है, पूरे महीने भर तक रात की ड्यूटी लगायी जाती है तथा विद्यार्थी नर्सों को हफ्ते में केवल दो ही दिनों का अवकाश दिया जाता है जबकि दूसरी नर्सों को चार दिन का अवकाश मिलता है तथा क्या विद्यार्थी नर्सों का दो दिनों का अवकाश कभी-कभी खत्म कर दिया जाता है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह—जी हां, अस्पतालों में नर्सों की संख्या कम होने के कारण नर्सों से रात में लगातार १२ घंटे की ड्यूटी पूरे महीने भर तक ली जाती है।

विद्यार्थी नर्सों तथा दूसरी नर्सों को समान रूप से दो हफ्ते में एक दिन का अवकाश दिया जाता है।

जो विद्यार्थी नर्सें अनुशासन भंग करती हैं उन्हें कभी-कभी कुछ समय तक यह अवकाश नहीं दिया जाता है।

*२७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नर्सों से उनके ७५ रु० मासिक एलाउन्स से खाने के सम्बन्ध में ४५ रु० मासिक काट लिया जाता है?

श्री धर्मसिंह—केवल नर्सेज होम के भोजनालय में भोजन करने वाली नर्सों से भोजन के लिए केवल ४१ रुपये प्रतिमाह लिया जाता है।

*२८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विवाहित नर्सों को सपत्निवास रहने की सुविधा नहीं दी जाती है तथा विवाहित नर्सों का तबादला पूरे प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक किया जाता है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह—नर्सेज होम में नर्सों के सपरिवार रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः जो विवाहित नर्सें सपरिवार रहना चाहती हैं उनके नर्सेज होम से बाहर सपरिवार रहने में कोई आपत्ति नहीं होती।

केवल प्रशासकीय आवश्यकताओं को छोड़ कर सामान्यतः विवाहित और अविवाहित नर्सों का प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला नहीं किया जाता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मंत्री जी को जानकारी होगी कि नाइट ड्यूटी में १२ घंटे लड़कियों से काम लेना किसी सिविलाइज्ड कंट्री में नहीं है तो क्या वे ऐसी स्कीम बनायेंगे कि और नर्सेज बढ़ायी जायं और काम के घंटे कम किये जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, नर्सेज की संख्या सरकार अपने साधनों के अनुपात में बढ़ाती जा रही है और नर्सेज की उपलब्धि के अनुपात में भी बढ़ाने की चेष्टा करती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जितनी संख्या में हम नियुक्त करना चाहते हैं उतनी लड़कियाँ मिलती नहीं हैं। अभी हम ४००–५०० लड़कियाँ केरल से लाये हैं। जितनी संख्या में हमें नर्सेज मिल जाती हैं उतनी संख्या में साधनों के अनुपात में नियुक्त करते जा रहे हैं। अब रहा प्रश्न १२ घंटे काम लेने का, तो उसके लिये यह है कि अभी उचित संख्या में नर्सेज हमारे पास नहीं हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—श्रीमन्, मेरी इत्तिला यह है कि नर्सेज को तनख्वाह कम मिलती है और १२ घंटे काम करना पड़ता है, इसलिये उनको काम करने का उत्साह नहीं होता। इसलिये क्या मंत्री जी उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय सदस्य ने जो तनख्वाह बढ़ाने का सुझाव दिया है उस पर मैं सहानुभूति रखता हूं। लेकिन सवाल यह है कि सबकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय और पैसा भी न दें तो काम कैसे चल सकता है ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नर्सेज से औसतन कितने घंटे प्रति दिन काम लिया जाना चाहिये और एक्स्ट्रा काम लिया जाता है तो उसके लिये उनको अधिक पेमेंट करने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या वे ऐसा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, अगर मेरी जाती राय जानना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि ऐसे गरीब प्रदेश में जहां अधिक नर्सेज नहीं हैं और रोगियों की संख्या अधिक है तो अधिक से अधिक समय तक सेवा का कार्य करना चाहिये और उनको ही नहीं, बल्कि प्रदेश के निवासियों को घंटों का खयाल न कर के, काम करना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जो काम करने के औसतन घंटे हैं उससे अधिक जो काम करती हैं उसके लिए उनको कुछ अधिक पारिश्रमिक देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ओवर टाइम देने का विषय तब उठे जब कि जो यह ऐतराज किया जाता है कि सब रुपया नौकरियों पर खर्च होता जा रहा है, वह न हो। कहिए उसका उत्तर दें, कहिए उनके सुझावों को मानें ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानते हुए कि नर्सिंग प्रोफेशन बहुत नोबुल प्रोफेशन है, उसके लिए लड़कियों को थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी होना चाहिए, मीडियम श्रेणी से वह जाती हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो उनको एक स्टैंडर्ड आफ लिविंग मेंटेन करना पड़ता है, उसको देखते हुए क्या सरकार पुनर्विचार इनकी तनख्वाह बढ़ाने पर करेगी ताकि नर्सेज प्रोत्साहित होकर इस क्षेत्र में ज्यादा आयें और केरल प्रदेश से बुलाने की आवश्यकता न हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सरकार ने नर्सेज की पोस्ट को पेंशनेबिल किया, उनकी तनख्वाहों में वृद्धि की, अपने साधनों के अनुपात में और सर्विसेज में उसी ग्रेड के जो लोग होते हैं, उनकी तनख्वाहों में किस तरह से वृद्धि हुई है, यह सब को मालूम है। जहां तक लम्बी-लम्बी तनख्वाहें देने का प्रश्न है वह तो सारी तनख्वाहों के विषय से संबंध रखता है। सरकार उस विषय को इस तरह से मिला नहीं सकती क्योंकि उसने जहां इस प्रोफेशन की तनख्वाहों के बढ़ाने का सवाल उठाया तो अन्य व्यक्ति भी तनख्वाह बढ़ाने के प्रश्न को उठायेंगे, उस प्रश्न का हल आसानी से यह सरकार कर नहीं सकती।

हरिद्वार के निकट बिजली कारखाने के लिए अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*२९—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिद्वार के निकट बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना खुलने जा रहा है, उसके लिये कितनी भूमि की आवश्यकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उल्लिखित कारखाने के लिए अनुमानतः १३,१७५ बीघा, १२ बिस्वा, ११ बिस्वांसी पुख्ता भूमि की आवश्यकता है।

*३०—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कारखाने के लिये भूमि हस्तगत की जा रही है और ऐसा करने में किन-किन गांवों के कितने-कितने किसानों की जमीनें ली जा रही हैं और उनके पुनः बसाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उक्त प्रयोजनार्थ ली जाने वाली भूमि के कृषकों की गांववार संख्या निम्नलिखित है —

गांव			किसानों की संख्या
१—अहमदपुर कड़छ	..	..	१,०८५
२—राजपुर ..	..	..	३१५
३—रानीपुर ..	..	..	२०५
४—सलेमपुर महदूद	..	..	३३२
५—रावली महदूद	..	..	३६०
६—जमालपुर खुर्द	..	..	११०
७—ज्वालापुर ..	..	..	७६५
८—बांस वाली ..	..	..	३७
		योग ..	३,२०१

सम्बन्धित किसानों को पुनर्वास हेतु उचित मुआवजा दिया जायगा।

फीरोजाबाद के चूड़ी कारखानों में हड़ताल

*३१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६२ के प्रथम सप्ताह में फीरोजाबाद के चूड़ी के लगभग ५० कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी ? यदि हां, तो हड़ताल का क्या कारण था और सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

नोट—तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का सत्र समाप्त हो गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। जो हड़तालें हुई वे ३१-५-६२ से ३१ जुड़इया ठेकेदारों के यहां और १०-६-६२ से ४० पकाई भट्टियों में शुरू हुई थीं। इन हड़तालों का मुख्य कारण श्रमिकों के वेतन वृद्धि की मांग थी। प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त की मध्यस्था से क्रमशः ७,और २५ जून, १९६२ को उन में समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप हड़तालें समाप्त हो गयीं।

*३२—श्री चन्द्रजीत यादव—[हटा दिया गया।]

नई चीनी मिलें

*३३—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२-६३ में राजकीय व निजी क्षेत्र में राज्य के अन्दर कुछ नई चीनी मिलों को खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उन प्रस्तावित मिलों की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के टेनरी तथा लेदर वर्कर यूनियन की मांगें

*३४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या सरकार को कानपुर टेनरी तथा लेदर वर्कर यूनियन की ओर से कोई मांग-पत्र हाल में मिला है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। उक्त यूनियन द्वारा एक मांग-पत्र दिनांक १९-४-६२ को मुख्य मंत्री को भेजा गया जिस पर श्रमायुक्त द्वारा छानबीन कराई जा ही है।

*३५-३७—श्री मतोलासिंह—[हटा दिया गया।]

मुहर्रम

*३८—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, १९६२ में मुहर्रम के समय किन-किन स्थानों पर करफ्यू आर्डर लगाने की घोषणा प्रदेश में सरकार ने की तथा उसके क्या कारण थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किसी स्थान पर नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

प्रदेश का परिक्षेत्रीय विभाजन

*३९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के विकास हेतु उसे ६ रीजनों में बांटा गया है? यदि हां, तो हर रीजन में कितन-कितने जिले आते हैं और वह जिले किन-किन अधिकारियों के सुपुर्द रहेंगे तथा हर रीजनों पर कितना व्यय होगा?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी हां। प्रदेश का ६ रीजनों में विभाजन केवल परिक्षेत्रीय नियोजन के उद्देश्य से किया गया है। जिलों के वर्तमान शासन प्रणाली में इसके कारण कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

हर एक रीजन के अन्तर्गत आने वाले जिलों के नाम तथा तीसरी योजना के प्राविधान का परिक्षेत्रीय विभाजन माननीय सदस्यों की मेज पर रखी तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

*४०—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय तथा श्री रामचन्द्र विकल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हर रीजन में जो विभिन्न प्रकार के विकास हेतु धन व्यय किया जायेगा उसका आधार आबादी है या पिछड़ापन है या दोनों हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—तीसरी योजना के प्राविधान का परिक्षेत्रीय विभाजन, कुल उपलब्ध पूंजी, आबादी तथा पिछड़ेपन को देखते हुये किया गया है।

*४१—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[१७ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न ३६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

नौकरी में हरिजनों के लिये रक्षण

*४२—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार के पास इस आशय का आदेश भेजा है कि सरकारी नौकरियों में जो स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित किये जाते हैं यदि वह उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण पहले साल नहीं भरे जाते तो तीन साल तक वे खाली रक्खे जायं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*४३-४५—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—[हटा दिये गये।]

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में नर्स व डाक्टर के प्रेम का दुखान्त

*४६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर आगरा के सरोजिनी नायडू अस्पताल में काम करने वाली एक स्टाफ नर्स जिसका नाम पी० चाको था की हत्या हो गई है ? यदि हां, तो यह हत्या कब हुयी और हत्या का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तक की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि दिनांक २० जून, १९६२ को लगभग १० बजे रात्रि में उस अस्पताल की स्टाफ नर्स कुमारी कलैरम्मा चाको उर्फ क्लैरा की मृत्यु गर्भपात कराने के लिये दी गई औषधियों के कारण भय (shock) और रक्तस्राव (haemorrhage) से हुई है। मृत्यु का मुख्य कारण मृत स्टाफ नर्स तथा डाक्टर एम० के० सक्सेना के बीच प्रेम संबंध होना ज्ञात हुआ है।

*४७—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

तेल की खोज

*४९—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर शाहजहांपुर तथा हरदोई जिलों में तेल की खोज संबंधी सर्वेक्षण सरकार द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*५०—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—[हटा दिया गया।]

मुरादाबाद जिले के विकास पर व्यय

*५१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रथम व द्वितीय पंचर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मुरादाबाद के विकास पर कितना रुपया खर्च किया गया और इसमें से केवल सिंचाई के विकास पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मुरादाबाद के विकास पर जिला नियोजन विभाग द्वारा क्रमशः २७,४३,३८१ रुपया और ६०,०१,८११ रुपया व्यय किया गया। इनमें से केवल सिंचाई के विकास पर क्रमशः २२,५०,१८६ और ४०,२९,४०० रुपया व्यय हुआ।

मुरादाबाद जिले के नलकूप

*५२—श्री शराफतहुसैन रिजवी—क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि अमरोहा ग्रुप के ट्यूबवेलों को बिजली फी यूनिट कितने नये पैसे के हिसाब से दी जाती है और जिला मुरादाबाद के नलकूपों का अधिक से अधिक और कम से कम डिसचार्ज क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गंगा-शारदा विद्युत क्षेत्र में निजी नलकूपों के लिये कोई अलग दर नहीं है। निजी नलकूपों का उपयोग (Consumption) साधारण औद्योगिक दरों पर, जो कि उपभोक्ता के अधिस्थापित भार पर आधारित है चार्ज किया जाता है। औद्योगिक दरें नत्थी व्योरे में दी हुई हैं।

राजकीय नलकूपों को जो बिजली मिलती है उसकी दर ५.५ नये पैसे फी यूनिट है। इसके अतिरिक्त १५० रु० प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० (B.H.P.) के और चार्ज होते हैं।

इस समय मुरादाबाद जिले के नलकूपों का अधिकतम डिसचार्ज ४४,५०० गैलन प्रति घंटा नलकूप संख्या ९४ सिरसी ग्रुप का है एवं न्यूनतम डिसचार्ज ७,१५१ गैलन प्रति घंटा नलकूप संख्या ६२ चन्दौसी ग्रुप का है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४२७–४२८ पर)

गोरखपुर जिले में उर्वरक कारखाने के लिय भूमि अर्जन

*५३—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री अवेद्यनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले में बनने वाले उर्वरक (खाद) के कारखाने के लिये कोई जमीन हवाई अड्डा गोरखपुर के पास तय की गई थी ? यदि हां, तो उस से प्रभावित गांव के नाम क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत उल्लिखित भूमि के संबंध में जो विज्ञप्ति निकली है उसमें निम्नलिखित गांव सम्मिलित है :

१—महादेव झारखंडी टु० नं० १
२— तदैव तदैव २
३— तदैव तदैव ३
४—रानोडी
५—जाल सिकरी उर्फ खोराबार
६—खोरा बार उर्फ सूबा बाजार
७—रामगढ़ उर्फ चौरा
८—रजही।

*५४--श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री अवेद्यनाथ---क्या सरकार यह बतायेगी कि अब क्या सरकार उक्त भूमि को छोड़कर कोई अन्य भूमि खरीदने का फैसला करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसमें कितने गांव, कितनी भूमि प्रभावित हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। यह अभी फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के विचाराधीन है और उनसे अन्य भूमि के संबंध में कोई निश्चित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

मनकापुर क्षेत्र में जमींदारों के कथित आतंक की जांच

*५५--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि पहली फरवरी, ६२ को जब पं० जवाहरलाल नेहरू मनकापुर गये थे तो वहां उन्होंने भूतपूर्व जमींदारों के संबंध में आतंक की बात कही थी और उसके विषय में सरकार ने डी० आई० जी० पुलिस और कमिश्नर से जांच करवाई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्री जवाहर लाल जी को कुछ शिकायतें इस प्रकार जनता तथा वोटरों को डराये धमकाये जाने की मिली थीं। इन शिकायतों की जांच कमिश्नर, डी० आई० जी०, एस०डी०एम० और सर्किल आफिसर ने की थी।

*५६---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री भानुप्रताप सिंह---यदि हां, तो यह जांच कितने दिनों तक हुई और क्या सरकार उस जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कमिश्नर और डी० आई० जी० की जांच फरवरी के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो गई थी व दूसरी जांच १७ फरवरी तक समाप्त हो गई थी। ये जांच गोपनीय होने के कारण रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन में रखने से सरकार असमर्थ है।

खुखुन्द थाने में कत्ल तथा रुद्रपुर थाने में चोरी से फसल कटना

*५७---श्री चन्द्रबलीसिंह---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला खुखुन्द थाना के मड़कड़ा ग्राम में १३ जनवरी, १९६२ को कोई कत्ल हुआ है ? यदि हां, तो उस संबंध मे अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दिनांक २८-१-६२ को ग्राम बकची का एक मुकदमा खुखुन्द थाने पर धारा ३०२/२०१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया। इस मुकदमे में जांच के पश्चात् अभियुक्तों का चालान किया गया। यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

*५८---श्री चन्द्रबलीसिंह---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, ६२ से मार्च, ६२ तक देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने पर से कितनी रपटें चोरी से फसलों के काटने की मिली है तथा तथा कितनी दरख्वास्तें थानाध्यक्ष एवं पुलिस उच्चाधिकारियों को मिली है ? और उन पर क्या कार्यवाहियां की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१-१-६२ से ३१-३-६२ तक उक्त थाने पर चोरी से फसल काटने की ६ रिपोर्ट मिली जिनमें से ४ में जांच की गई और चोरी में २६ अभियुक्तों का चालान किया गया। शेष २ में जांच नहीं की गई। इस संबंध में १० प्रार्थना-पत्र थाना रुद्रपुर में प्राप्त हुये जिनमें से ७ में धारा १०७×११७ जा० फौ० की चालानी रिपोर्ट अदालत भेजी गई। ३ में फरीकैन ने आपस में सुलह कर ली।

*५९—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने भर में गत जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में व्यापक तौर पर चराई-कटाई फैल गयी थी और अखबारों द्वारा उसे सूचना मिली है कि उस बीच उस थाने में १,५०० बीघा कच्ची और ५०० बीघा पक्की फसल चोरी से काट ली गयीं? यदि हां, तो इसके रोक-थाम के लिये कौन सा कदम उठाया जा रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में लगभग २२ बीघा कच्ची फसल की चराई व कटाई की सूचना रुद्रपुर थाने पर मिली। इस संबंध में ७७ अभियुक्तों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

शूगर केन ऐक्ट का कार्यान्वयन

*६०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतायेंगे कि शुगर केन इंस्पेक्टर ने १९५७ से लेकर आज तक कितने केसेज पकड़े और उनमें से कितनों को सजायें हुईं, कितना खर्च इस मुहकमें पर १९५७ से अब तक हुआ और कितनी आमदनी इस मुहकमे द्वारा सरकार को हुई?

*६१—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतायेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेंसग के कारण जिसकी वजह से कर्मचारी लोग मुलजिम नहीं ठहराये जाते हैं, शुगर केन ऐक्ट बिलकुल बेअसर हो गया है, इस विषय में सरकार कुछ सोच रही है?

*६२—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतायेंगे कि जिस दिन किसान का गन्ना खरीदा जाता है और तीन दिन के बाद जब फैक्ट्री में पेरा जाता है उन तीन दिनों में रिकवरी में कितने परसेंट की कमी हो जाती है और नुकसान किस तरह से किसान को अदा किया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

खागा को बिजली न मिलना

*६३—श्री रक्षपालसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी योजना के अन्तर्गत यह निश्चित हुआ था कि २६ जनवरी, १९६२ के पूर्व खागा, जिला फतेहपुर में बिजली पहुंचायी जा सके तथा उसके हेतु जिला फतेहपुर में आवश्यक सामग्री भी भेजी जा चुकी थी? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन परिस्थितियों से यह कार्यस्थगित कर दिया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खागा में बिजली पहुंचाने की योजना थी, मगर तार उपलब्ध न हो सकने के कारण, अभी बिजली नहीं पहुंच पाई है।

*६४—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त खागा में बिजली लगाने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है तथा वहां पर बिजली कब तक पहुंचायी जा सकेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है और सामान इकट्ठा किया जा रहा है। यदि तार मिल सका तो इस वित्तीय वर्ष में इस नगर का विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

*६५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—[वापस ले लिया गया।]

*६६—श्री रक्षपालसिंह—[हटा दिया गया।]

लघु उद्योग सहकारी समितियों को अनुदान

*६७—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी कितनी तेल घानी, काठ, लोहे, मिट्टी के बर्तन, खपड़ैल की सोसाइटियां हैं उन्हें १९६०-६१ में उद्योग तथा खादी बोर्ड से क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री फूलसिंह—उत्तर प्रदेश में अब तक तेल घानी की ७२५, काठ की ११९, लोहे की १३९ मिट्टी के बर्तन व खपड़ैल की ६२ तथा चमड़े की ५०८ सहकारी समितियां संगठित की गई हैं, सन् १९६०-६१ में इन समितियों की निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी गई : तेल घानी की ३३ सहकारी समितियों को ८५,४२५ रु० ऋण तथा ४९,४८० रु० अनुदान, चमड़े की ४७ सहकारी समितियों को १,९८,७५० रु० ऋण तथा २,५१,५०० रु० अनुदान व मिट्टी के बर्तनों की ९ सहकारी समितियों को १,६४,२५० रु० ऋण तथा ७९,७७० रु० अनुदान दिया गया ।

अनुसूचित जातियों के सदस्यों का चुनाव

*६८—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र प्रमुखों और विधान सभा के चुनाव में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के चुन कर आने का क्या अनुपात है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विधान सभा में चुन कर आये हुये अनुसूचित जाति के सदस्यों का अनुपात लगभग १:४.६ है । पिछड़ी जाति के सदस्यों के लिये कोई रक्षण नहीं हैं, अतः उनके सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार क्षेत्र समिति के प्रमुख पद के लिये भी कोई रक्षण न होने से यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितने प्रमुख हरिजन अथवा पिछड़े वर्ग के चुने गये ।

*६९—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या यह सच है कि क्षेत्र प्रमुख पद पर हरिजन नहीं के बराबर आये हैं तथा पिछड़ी जाति के लोग एक आध ही प्रत्येक जिला में आये हैं ? यदि हां, तो क्या इसका कारण सीमित मताधिकार है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है शासन के पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि प्रमुख के पद पर बहुत कम संख्या में हरिजन अथवा पिछड़े वर्ग के सदस्य चुने गये हैं । यदि यह सही भी है तो भी शासन के लिये इसके कारणों पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं है ।

लालगंज थानेदार का कथित अत्याचार

*७०—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लालगंज थाना, जिला रायबरेली में किसी भिखेनी नामक व्यक्ति को वहां के थानेदार ने नंगा करके जुलूस निकाला और इतना मारा पीटा कि उसके दोनों पैर टूट गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं हुई ।

*७१—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) तथा श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—[हटा दिया गया ।]

चमोली अस्पताल की एक्स-रे मशीन में खराबी

*७२—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चमोली जिले के बड़े अस्पताल चमोली के कुछ पूर्व जो एक्स-रे मशीन सरकार ने दी थी वह बेकार पड़ी है ? क्या सरकार उसको ठीक करवा कर इसे जन-उपयोगी बनाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जून, १९६१ में एक एक्स-रे मशीन चमोली अस्पताल में स्थापित की गई। कुछ समय चलने के पश्चात् वह खराब हो गयी। उसको ठीक कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा की जाती है कि वह अक्तूबर के अन्त तक पुनः काम करने लगेगी।

*७३-७४---श्री लखपतराम शर्मा---[हटा दिये गये।]

कुरावली थाने में अपराध की घटनाएं

*७५---श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में थाना कुरावली में जनवरी, १९६२ से अब तक कितनी डकैतियां पड़ीं, कितनी चोरियां हुईं, कितने कत्ल हुये, कितने मोटर ठेले लूटे गये और सन् १९६१ में कुल मह सब वारदातें कितनी हुईं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---थाना कुरावली के अन्तर्गत जनवरी, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६२ तक ६ डकैती, ९४ चोरी व ७ कत्ल हुये। कोई मोटर ठेला नहीं लूटा गया। सन् १९६१ में ५ डकैतियां जिसमें एक ट्रक लूटे जाने की घटना शामिल है तथा १५५ चोरियां हुई। कोई कत्ल नहीं हुआ।

*७६---श्री बृजेश्वरसहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त लिखी हुई वारदातें मैनपुरी कोतवाली में कितनी सन् १९६१ में हुयीं और कितनी सन् ६२ में अब तक हुयीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैनपुरी कोतवाली के अन्तर्गत सन् १९६१ में ४ डकैती व २४६ चोरियां और ९ कत्ल हुये। सन् १९६२ में दिनांक ३१ अगस्त, १९६२ तक ८ डकैती, ३२९ चोरियां व ६ कत्ल की घटनायें हुई। कोई मोटर ठेला नहीं लूटा गया।

*७७---श्री बृजेश्वरसहाय---सरकार ऊपर लिखी वारदातों को रोकने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इन अपराधों की रोकथाम के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है।

(१) ग्राम रक्षा योजना के अनुसार समितियां बनाई गई, ग्रामीण जनों की गश्ती टुकड़ियां गश्त करती हैं, पुलिस कर्मचारी बराबर गश्त कर रहे हैं।

(२) आवारा व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

(३) रंजिश व भूमि सम्बन्धी झगड़ों की सूचना मिलते ही शांति भंग की अंदेशे पर फौरन समुचित कार्यवाही की जाती है।

(४) मोटर लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिये सड़कों पर रात्रि को पुलिस की टुकड़ियों का गश्त जारी है।

*७८---श्री लखीसिंह---[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

अछनेरा महिला अस्पताल के लिये स्थान

*७९---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अछनेरा, जिला आगरा में कोई महिला अस्पताल बनने जा रहा है? यदि हां, तो कब तक बन जायेगा? और

(अ) क्या चिकित्सालय के लिये स्वास्थ्य निदेशक, श्री डी० एन० शर्मा द्वारा कोई स्थान चुन लिया गया है?

(ब) क्या श्री शर्मा द्वारा चुने हुये स्थान को Site Selection Committee द्वारा रद्द कर दिया गया था ?

(स) क्या श्री शर्मा द्वारा चुने हुये स्थान के बीच में कोई समाधि है और उसके पास ही शराब खाना है ?

(ड) क्या सरकार समाधि के ऊपर चिकित्सालय बनाने में समर्थ हो सकेगी ?

(ई) इस स्थान के लिये सरकार का कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। परन्तु अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कब तक बन कर तैयार हो जायगा ।

(अ)—स्थान साइट सेलेक्शन कमेटी का पहिले ही से चुना हुआ था। स्वास्थ्य निदेशक ने उसे approve किया है ।

(ब) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि स्थान Site Selection Committee द्वारा ही चुना गया है ।

(स) जी हां। वहां पर समाधि है, शराबखाना वहां से काफी दूर है ।

(ड) समाधि वाला हिस्सा घेर कर छोड़ दिया जायगा। उसके ऊपर किसी भवन का निर्माण नहीं होगा ।

(ई) यह स्थान सरकार को दान-स्वरूप प्राप्त हुआ है, अतः खर्च का प्रश्न नहीं उठता ।

*८०—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि Site Selection Committee द्वारा रद्द कर देने पर भी उक्त स्थान का स्वास्थ्य निदेशक द्वारा चुनने का क्या कारण है ?

(अ) क्या सरकार को चिकित्सालय के लिये कोई स्थान दानरूप में मिल रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सत्य नहीं है कि Site Selection Committee ने इस स्थान को रद्द कर दिया था ।

(अ)—जी हां। चुना हुआ स्थान दानस्वरूप ही सरकार को प्राप्त हुआ है ।

*८१—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सालय के लिये सरकार को १० हजार रुपये देने का वायदा किन्हीं सज्जन ने किया था ? यदि हां, तो वे सज्जन अब रुपया दे रहे हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उन सज्जन से इस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है और आशा है कि रुपया सरकार को मिल जायगा ।

बिजली कम्पनी, रायबरेली के विरुद्ध शिकायत

*८२—श्री रतीपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोहतक ऐण्ड हिसार इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, रायबरेली ने जिन-जिन लोगों को गलत बिल भेजा है जिसके विषय में जनता द्वारा विद्युत मंत्री के पास शिकायती पत्र आये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में केवल एक उपभोक्ता का एक शिकायती पत्र आया और जांच करने पर वह शिकायत बिलकुल बेबुनियाद पायी गई ।

*८३-८४—श्री सुखदेवप्रसाद—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बेलसर विकास क्षेत्र में सड़क निर्माण-कार्य

*८५—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बेलसर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बेलसर–उमरी बेगमगंज होते हुये परसपुर–धौरहवा घाट बन्ध तक ६ मील की सड़क व ठेकिया नाले पर पुल बनाने के सम्बन्ध में मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत गत महीने में उसे प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का पत्र

*८६—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का पत्र २१ मई, १९६० का कर्मचारियों को बोनस देने की स्वीकृति प्राप्त करने का मिला है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था और सरकार ने कम्पनी के कर्मचारियों को दो मास के बेसिक वेतन के बराबर, बोनस देने की स्वीकृति दे दी है ।

*८७–८८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जरबौ ग्राम के नव निर्वाचित प्रधान को चार्ज न मिलना

*८९—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि ग्राम जरबौ, जिला झांसी में सन् १९६१ में प्रधान पद के चुनाव में श्री सरमन लाल प्रधान के पद पर चुने गये और उन्हें ट्रेनिंग व शपथ भी ले ली जाने के उपरान्त आज तक उन्हें प्रधान पद का चार्ज नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गांव सभा जरबौ, जिला झांसी के नव निर्वाचित प्रधान श्री सरमन लाल को पद की शपथ दिनांक १४ फरवरी, १९६१ को दिलाने के उपरान्त उक्त पद का कार्यभार दिला दिया गया था, किन्तु इन्हें गांव सभा का कुछ सामान भूतपूर्व प्रधान से प्राप्त नहीं हुआ है ।

*९०—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्राम जरबौ में इस समय प्रधान के पद पर सन् १९५९ से कौन काम कर रहा है व ग्राम सभा का सामान किसके कब्जे में क्या–क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ग्राम सभा जरबौ, में दिनांक १४ फरवरी, १९६१ से श्री सरमन लाल प्रधान पद पर कार्य कर रहे हैं और इसके पूर्व श्री देशराज वर्मा प्रधान पद पर कार्य कर रहे थे। श्री देशराज वर्मा, भूतपूर्व प्रधान के पास गांव सभा के २८,००० गुम्मा, दो चौखटे ६ अंगले, ७ लालटेनें, बालीबाल का एक सेट, १ ताला, गांव पंचायत के कागजात तथा १४–.५ न० पै० हैं, जो इन्होंने श्री सरमन लाल को नहीं दिये हैं ।

*९१–श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि श्री सरमन लाल द्वारा कई प्रार्थना–पत्र सन् ६१ से अब तक चार्ज न मिलने के विषय को लेकर सरकार को दिये गये ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना–पत्र जिलाधीश झांसी से मिल कर सरकार को अब तक कब–कब प्राप्त हुये तारीख, माह व सन् बताने की कृपा करें व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । श्री सरमन लाल ने चार्ज न मिलने के सम्बन्ध में जिला नियोजन अधिकारी, झांसी तथा परगनाधीश, मोठ को क्रमशः १ अगस्त, १९६१ व २८ अगस्त, १९६१ को प्रार्थना-पत्र दिये । एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ८ अगस्त, १९६२, शासन् को भी प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति जिलाधीश को भी प्रेषित की गई है ।

श्री सरमन लाल के प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त होने के पूर्व ही चार्ज दिलाने के सम्बन्ध में परगनाधीश मोठ ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी। परगनाधीश ने एस०ओ०पुलिस को चार्ज दिलाने और ऐसा न हो सकने पर भतपूर्व प्रधान के विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा १७५ के अन्तर्गत मुकद्दमा कायम करने को लिखा था। यह मामला परगनाधीश मोठ व पुलिस की जांच में है और अवशेष सामान शीघ्र दिलाने का प्रयत्न बराबर हो रहा है।

भरथना से बिजली की मांग

*९२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भरथना (इटावा) कस्बे के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण की मांग प्रस्तुत हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*९३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उक्त कस्बे से हाइडिल लाइन केवल १२ मील दूर है इस कारण शीघ्र वहां विद्युतीकरण करने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भरथना से सबसे निकट राज्य विद्युत् परिषद् की लाइन यह सब-स्टेशन १२ मील दूर ईटा पर स्थित है। वहां से भरथना तक नई लाइन बनाने की जांच पड़ताल की जा रही है और इसके समाप्त होने पर ही यह कहा जा सकेगा कि कब तक भरथना का विद्युतीकरण हो सकेगा।

*९४-९६—श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़), श्री चन्दजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९७-९९—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१००-१०२—श्री रतनलालसिंह—[१५ वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१०३—श्री रतीपाल—[१३ वें मंगलवार के लिए प्रश्न ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—[१५ वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

*१०५—१०६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—[१२ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १२८-१२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

शोहरतगढ़ निवासी, श्री बलरामदास की टैक्स न देने के सिलसिले में गिरफ्तारी

*१०७—श्री जगदीश (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला बस्ती, तहसील नौगढ़ में महाराष्ट्र सरकार का लगभग ४६ हजार टैक्स का बकाया बलरामदास पुत्र लदूराम से वसूल करने के लिये वारंट आया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री बलरामदास, निवासी शोहरतगढ़, तहसील नौगढ़ के नाम ४६,११४·४८ रुपये इनकम टैक्स का रिकवरी सर्टीफिकेट कलेक्टर, बम्बई से प्राप्त हुआ था।

*१०८—श्री जगदीश—दिनांक १ अगस्त, १९६२ को उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा बिना रुपया वसूल किये बड़ी घस लेकर सम्बन्धित व्यक्ति को छोड़ दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक २-८-६२ को उक्त श्री बलरामदास की गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया गया था, तथा दिनांक ३-८-१९६२ को उनको तहसीलदार, नौगढ़ के समक्ष लाया गया। उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र दिया कि वे नकद रुपया देने में असमर्थ हैं और बयान हल्फी दाखिल कर के उन्होंने लगभग २,५१,००० रु० की मालियत की अचल सम्पत्ति जमानत में दी। अतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम सं० २५१ के उप-नियम (२) व (३) के अनुसार श्री बलरामदास के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। घूस लेने का आरोप निराधार है।

*१०९—**श्री जगदीश**—इसी प्रकार नौगढ़ तहसील में घूसखोरी के कितने केस जुलाई तथा अगस्त में सरकार के ध्यान में लाये गये और सरकार ने क्या किया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रश्न का क्षेत्र बहुत व्यापक है, अतएव जब तक किसी विशेष विभाग अथवा कर्मचारियों के विषय में स्पष्ट संकेत न किया जाय, उत्तर देना संभव नहीं है।

हैदरगढ़ औषधालय

*११०—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैदरगढ़ बाराबंकी औषधालय में विगत पांच वर्षों के बीच सालाना मरीजों के इलाज की क्या संख्या रही है तथा सालाना कितना धन दवा पर व्यय किया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४२९ पर)

*१११—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या यह सही है कि पहले की अपेक्षा हाल के ३ वर्षों में यहां मरीजों की संख्या घटी है और इसका कारण मेडिकल अफसर का दुर्व्यवहार, अनुभवहीनता रहा है जिसके सम्बन्ध में विगत अगस्त सन् ६१ में कई प्रार्थना-पत्र दिये गये थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(१) जी हां, मरीजों की संख्या घटी है।

(२) मरीजों की संख्या घटने का कोई विशेष कारण नहीं।

(३) चिकित्सक के विरुद्ध दुर्व्यवहार व अनुभवहीनता के सम्बन्ध में जो कई प्रार्थना-पत्र आये थे उन पर जांच की गई तथा वह सब असत्य पाये गये।

*११२—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या यह सही है कि यहां के मेडिकल अफसर एक अरसे से नियुक्त हैं जब कि एक जगह पर ३ वर्षों से अधिक न रहने की सरकार की पालिसी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान डाक्टर वहां पर अक्तूबर, १९५९ से नियुक्त है। यह अवधि अभी तक तीन वर्षों से कम है।

*११३-११४—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*११५-११७—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर)—[१५ वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

*११८-११९—**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला वाराणसी)—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किय गये।]

गोरखपुर इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्धक समिति

*१२०—श्री नियामतुल्ला अन्सारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर इंजीनियरिंग कालेज की देख-रेख करने के हेतु सरकार ने कोई कमेटी बनाई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से व्यक्ति हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ४३० पर)

*१२१—श्री नियामतुल्ला अन्सारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कालेज में जिन लड़कों का दाखिला किया गया है उसमें पूर्वी जिलों तथा बैकवर्ड क्लास से कितने छात्र लिये गये हैं और दाखिले का क्या क्राइटेरिया रखा गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुल ६० छात्रों में से २६ पूर्वी जिलों तथा १० बैकवर्ड क्लास के हैं। दाखिले का क्राइटेरिया संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ४३० पर)

प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों की पदोन्नति

*१२२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या यह सही है कि जब कभी नियोजन विभाग में कोई भी स्थान ए० डी० ओ० आदि का रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति के लिये पी० आर० डी० के कर्मचारियों को काम करने का अवसर नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों को सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस पद पर केवल ग्राम सेवकों को ही पदोन्नति दी जाती है।

*१२३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार कृपया यह भी बताने का कष्ट करेगी कि पी० आर० डी० के ऐसे कितने ब्लाक आर्गनाइजर हैं जिनको पिछले १० साल से नियोजन विभाग में ए० डी० ओ० के पद पर पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो—

(क) कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रमोशन नियोजन विभाग की दूसरी शाखाओं से हुआ है ?

(ख) कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रमोशन केवल पी० आर० डी० के कर्मचारियों में से ही हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कोई नहीं।

(क) नियोजन विभाग की अन्य शाखाओं से सहायक विकास अधिकारी के विभिन्न पदों पर की गई पदोन्नति का विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) कृषि विभाग	.. ..	११
(२) सहकारिता	.. .. ..	५६
(३) पंचायत विभाग	.. ..	१८
(४) नियोजन विभाग	.. ..	४३९

(ख) कोई नहीं।

रामनगर व मड़ियाहूं ब्लाक में कूप अनुदान

*१२४—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रामनगर ब्लाक व मड़ियाहूं ब्लाक, जिला जौनपुर में कितने कुओं के लिये अनुदान दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में कितने कुयें निर्मित हुये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मिश्रिख तहसील में दफा १०७ व ११७ के ज़मानती

*१२५—श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में तहसील मिश्रिख में कितने ऐसे व्यक्तियों को धारा ३०२ में सन् ५७–५८ में सजा सुप्रीम कोर्ट से मिली जो पहले से धारा १०७, ११७ के अन्तर्गत उस अवधि की जमानत दे चुके थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५७–५८ में तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर के किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से धारा ३०२ भा० दं० वि० में सजा नहीं मिली थी जो पहले से धारा १०७–११७ जा० फौ० के अन्तर्गत उसी अवधि की जमानत दे चुका था ।

*१२६—श्री कृष्णपाल सिंह तथा श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उसमें से कितनों को जमानत जब्ती की कार्यवाही हो चुकी है ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

विज्ञप्ति सं० ३५४३/२१०–१९३८ को खत्म करने की प्रार्थना

*१२७—श्री श्यामसुन्दर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार का विचार उस विज्ञप्ति को जो सं० ३८ में ३५४३/२१० द्वारा निकाली गयी थी उसको खत्म करने का विचार रखती है जिसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल तथा टैकनिकल इंस्टीट्यूट के नान-गजटेड कर्मचारियों की जगहें नान-पेन्शनेबिल कर दी गयी थी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विज्ञप्ति संख्या ३५४३/२१०, दिनांक १६ नवम्बर, १९३८ को खत्म करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जिसका निर्णय अविलम्ब ही लिया जायगा ।

*१२८—श्री श्यामसुन्दर—क्या सरकार और विभागों की तरह यहां के कर्मचारियों को पेन्शन तथा अन्य सुविधायें देने का कष्ट करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त विज्ञप्ति के खत्म करने के प्रश्न पर निर्णय हो जाने के पश्चात् इन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा ।

*१२९—श्री श्यामसुन्दर—क्या सरकार के पास ऐसे प्रार्थना-पत्र उद्योग विभाग में प्राप्त हुये हैं जिसमें विज्ञप्ति संख्या ३५४३/२१०, दिनांक १६ नवम्बर, १९३८ को खत्म करने की प्रार्थना की गयी थी ?

(अ) यदि हां, तो कब ?

(आ) उस प्रार्थना-पत्र पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—निदेशक उद्योग विभाग, कानपुर के कार्यालय में दो प्रार्थना-पत्र जुलाई तथा नवम्बर, १९६१ के मध्य में प्राप्त हुये थे ।

विज्ञप्ति को खत्म करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*१३०–१३१—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—[१५ वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

प्रतापगढ़ में छात्रों का कथित अराष्ट्रीय कृत्य

*१३२—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या यह सच है कि १५ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ में छात्रों द्वारा पाकिस्तानी झंडा लेकर जलूस निकाला गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस अराष्ट्रीय कृत्य को करने वालों को क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त घटना की उच्चस्तरीय जांच कराकर कोई आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

लूमस कम्पनी के हड़तालियों की गिरफ्तारियां

*१३३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली जिले के अन्तर्गत फतेहगंज पश्चिमी में स्थित लूमस कम्पनी के हड़ताली कर्मचारियों की गिरफ्तारियां जारी हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने हड़ताली कर्मचारी किन-किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

६३ हड़तालियों की गिरफ्तारियां हड़ताल के समय हुई थीं । इनमें से २४ को Criminal Law Amendment Act की धारा ७ तथा ३९ की धारा १८८ आई० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

*१३४—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस हड़ताल को जो ५,००० कर्मचारियों से संबंधित है, तुड़वाने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये और उनका अब तक क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सरकार द्वारा हड़ताल समाप्त कराने के पूर्ण प्रयत्न किये गये जिसके फलस्वरूप अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है तथा हड़ताल समाप्त हो गई है ।

*१३५—श्री हरीशकुमार गंगवार—यह देखते हुये कि परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर है, तनाव बढ़ता जा रहा है और विशेषरूप से मजदूरों की हालत हड़ताल के कारण शोचनीय हो गई है, क्या श्रम मंत्री वहां जाकर स्वयं हड़ताल समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चूंकि हड़ताल समाप्त हो गई है अतएव इसका प्रश्न नहीं उठता ।

*१३६-१३७—कुंवर श्रीपालसिंह—[१५ वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये ।]

गवर्नमेंट फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

*१३८—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Government Fruit Processing Factory, Lucknow द्वारा निर्मित रसों की बोतलों में मक्खी आदि निकलने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री फूलसिंह—जी हां, अप्रैल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी । जांच करने पर शिकायत निराधार सिद्ध हुई ।

फर्रुखाबाद के नुनिहाई होम्योपैथिक औषधालय को अनुदान

*१३९—श्री होरीलाल यादव—क्या मुख्य मंत्री प्रश्न संख्या ६५, दिनांक २३ अगस्त, १९६२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में दिये गये अस्पताल को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार इस समय विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रजिस्ट्रार, राज्य होमियोपैथिक परिषद्, उत्तर प्रदेश का इस अस्पताल संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायगा।

पूर्वी जिलों का विकास

*१४०—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के सम्बन्ध में कुछ सुझावों के साथ अगस्त, सन् १९६२ में कोई पत्र मिला है? यदि हां, तो उसमें किस प्रकार के सुझाव दिये गये हैं और उनको कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं।

दामोदर वैली कारपोरेशन को रिहन्द बिजली

*१४१—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाल में रिहन्द योजना से पैदा होने वाली बिजली बिहार के कोयले की खदानों या अन्य उद्योगों को देने की योजना बनी है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। बिहार और बंगाल के कोयले की खानों पर कोयले की उपज बढ़ाने के लिये अगले दो सालों में कुछ बिजली रिहन्द से दामोदर वैली कारपोरेशन को देना स्वीकृत किया गया है, जिसका प्रारूप नत्थी किये गये व्योरे में दिया हुआ है।

बिहार में अन्य किसी उद्योग को रिहन्द से बिजली देने की कोई योजना इस समय नहीं है:

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४३१ पर)

*१४२-१४३—श्री उमाशंकर—[हटा दिये गये।]

*१४४—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

काशी राज्य कर्मचारी

*१४५—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ), श्री विजय पालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी में बनारस स्टेट के सभी कर्मचारी रखे गये हैं? यदि हां, तो क्या उन्हें पूरे वाराणसी डिवीजन में रखने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, वाराणसी में विलीन काशी राज्य के सभी कर्मचारी नहीं रखे गये हैं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

अनुसूचित जाति संरक्षण सम्बन्धी आदेश

*१४६—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक परिगणित जाति के लिये १८ प्रतिशत संरक्षण से संबंधित कितने शासकीय आदेश जारी किये गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनुसूचित जातियों के संरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में कुल १२ आदेश स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से अब तक जारी किये गये हैं? इनमें ७ आदेश तब के हैं जब १० प्रतिशत संरक्षण था और ५ जब कि संरक्षण १८ प्रतिशत हो गया था।

मड़ियाहूं—नेवढ़िया सड़क

*१४७—श्री जगन्नाथ राव—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में मड़ियाहूं से नेवढ़िया तक जाने वाली सड़क जो ३ मील ६ फर्लांग की लम्बाई की सड़क बनी है वह किस ओर से बननी प्रारम्भ हुई थी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मड़ियाहूं से नेवढ़िया तक की सड़क लगभग ९ मील लम्बी है जिसमें से ३ मील ६ फर्लांग का अंश पक्का किये जाने हेतु, दो-दो फर्लांग के १५ प्रोजेक्टों में बांटकर संबंधित १० ग्राम सभाओं को आवश्यक निर्माण कार्य के लिये सौंप दिया गया है। इस सड़क का निर्माण किसी एक ओर से प्रारम्भ नहीं हुआ है, बल्कि संबंधित ग्राम सभायें अपने अपने क्षेत्रों के प्रोजेक्टों में कार्यरत हैं।

*१४८—श्री जगन्नाथ राव—उपरोक्त सड़क पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना अनुदान प्रान्तीय सरकार या जिला नियोजन विभाग की ओर से देने का विचार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त सड़क की ३ मील ६ फर्लांग की कथित लम्बाई को पक्का कराने के लिये जिला नियोजन समिति, जौनपुर ने ३७,५०० रु० अनुदान सन् १९५६ में स्वीकृत किया था। इसमें से १९,८१७ रु० का भुगतान अब तक हो चुका है। भुगतान की इस राशि में से ३,१०९ रु० तृतीय पंचवर्षीय योजना को अवधि में से अदा किया गया है। उल्लेखगत अनुदान का जो भी भुगतान शेष रह गया है, वह भी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही, यथा समय अदा होगा।

*१४९—श्री जगन्नाथ राव—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं से कठिरांव तक की सड़क की मरम्मत में इस तृतीय योजना में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त सड़क की मरम्मत का कोई प्रश्न इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में विकास क्षेत्र अधिकारी

*१५०—श्री मत्थूसिंह (जिला इटावा)—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के विकास क्षेत्रों में कितने ऐसे बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० हैं, जो तीन साल से एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—फर्रुखाबाद जिले के विकास क्षेत्रों में केवल एक ए० डी० ओ० ऐसे हैं जिनको एक स्थान पर काम करते ३ वर्ष का समय हो गया है। बी० डी० ओ० कोई भी ऐसा नहीं है जिसको एक ही स्थान पर काम करते ३ वर्ष का समय हो गया हो।

मेंहीपुर का विकास खंड भवन

*१५१—चौधरी अब्दुल हसीब खां—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बहराइच में मेंहीपुरवा ब्लाक की नयी बिल्डिंग, जो कि लगभग ७५,००० रु० की लागत से पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा इसी साल बनायी गयी है कई जगहों से टपकती है ? यदि यह सच है, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उसके निर्माण-कार्य में इतनी असावधानी क्यों की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, मेंहीपुरवा विकास खंड का भवन कुछ जगहों से टपकता है। मामले में जांच के पश्चात् मालूम हुआ कि भवन का निर्माण-कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तथा बरसात बाद कार्य पूरा किया जायगा। तब यह दोष दूर हो जायगा।

कानपुर जिले में बच्चा उठाने वाला कथित दल

*१५२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में कोई बच्चों को उठाने वाला दल कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो उसने अब तक कितने बच्चे उठाये और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर जिले में ऐसा कोई दल सक्रिय नहीं है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

घिरोर के लिये बिजली

*१५३—श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तमसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के कसबा घिरोर को बिजली देने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच की जा रही है और उसके समाप्त होने पर उचित निर्णय लिया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री रामप्यारे—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

राजनीतिक पीड़ितों की डी० वाई० एस० पी० के पद पर नियुक्ति

३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ४८ में कितने पोलिटिकल सफरर की डी० वाई० एस० पी० पुलिस के पद पर नियुक्ति की गई है, उनके नाम क्या-क्या हैं ? क्या उनकी सर्विस ४८ से न मानकर सन् ५१ से मानी गई है जिसकी वजह से उनकी सीनियारिटी तीन वर्ष पीछे हो गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इनकी संख्या ११ थी । इनके नाम निम्नलिखित हैं :—

१—सर्वश्री महेश सिंह,
२—मनोहर चतुर्वेदी,
३—सुभाष चन्द्र मुकर्जी,
४—मानस बिहारी मुकर्जी,
५—कामेश्वर सिंह,
६—पारस नाथ मिश्रा,
७—हरबंश नारायण सिंह,
८—महेश चन्द्र जौहरी,
९—केदार राय,
१०—विशम्भर नारायण सिंह,
११—विष्णु प्रसाद,

जी नहीं ।

दहगवां चिकित्सालय में डाक्टर न होना

४—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के दहगवां चिकित्सालय में जहां कि गत तीन वर्षों से कोई डाक्टर नहीं था २७ या २८ जुलाई, १९६२ को डाक्टर साहब भेजे गये परन्तु दो दिन बाद ही वापस चले गये जिससे कि फिर उक्त चिकित्सालय पुनः डाक्टर विहीन हो गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बदायूं जिले के दहगवां चिकित्सालय में प्रदेश में डाक्टरों की अत्यन्त कमी होने के कारण ही कोई डाक्टर २५-७-६२ से पहिले न भेजा जा सका । परन्तु जो डाक्टर भजा गया था उसने २५-७-६२ को कार्यभार ग्रहण किया और ६-८-६२ तक ही कार्य किया । ७-८-६२ से वह छुट्टी पर चला गया था और अब १८-८-६२ से उसने अपना त्यागपत्र भेज दिया है । जैसे ही कुछ और डाक्टर उपलब्ध होंगे, एक को उक्त चिकित्सालय में भजा जावेगा ।

आगरा जिले में वाटर मार्क कागज का अभाव

५—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में वाटर मार्क कागज कितने समय से उपलब्ध नहीं है ? वाटर मार्क कागज के स्थान पर कौन सा कागज प्रयोग में लाया जा रहा है तथा वाटर मार्क कागज न होने से कितने रुपये के रेवेन्यू की हानि सरकार को हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, राइफल क्लब

६—श्री चन्द्रबली सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर राइफल क्लब को इस साल डेढ़-डेढ़ लाख कारतूस के परमिट दिये गये ? यदि हां, तो उन क्लबों में इतनी मात्रा में कारतूस के खपत का क्या कारण है ? परमिट प्राप्त करने का जरिया क्या है ? वे कारतूस किसके द्वारा वितरित हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर राइफल क्लबों ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, दिल्ली से क्रमशः १,३३,९५०; १,४९,००० व १,३७,९७० कारतूसों की परमिटें प्राप्त कीं। अब तक इन सभी कारतूसों की खपत नहीं हुई है और बढ़ती हुई मात्रा में खपत का कारण क्लब के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का होना है। इन कारतूसों का क्लब के सदस्यों में वितरण क्लब के सेक्रेटरी अथवा प्रेसीडेन्ट द्वारा दी जाने वाली परमिट के आधार पर स्थानीय आर्म्स विक्रेताओं के द्वारा होता है।

झांसी से निकलने वाले समाचार-पत्र

७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सूचना मंत्री २३ अगस्त, १९६२ के नत्थी (ग) के प्रश्न ३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं जो अनियमित रूप से तथा नियमित रूप से प्रकाशित होते हों ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

अनियमित समाचार-पत्र

दैनिक

(१) साधना संदेश (२) बुन्देलखंड

साप्ताहिक

(१) नया कदम, (२) राजदूत, (३) राष्ट्रभक्त
(४) मार्गदर्शक, (५) जनसेवी, (६) झांसी न्यूज,
(७) दर्पण, (८) कर्मलोक, (९) घुटाला;
(१०) पवन प्रभात, (११) झांसी समाचार।

नियमित समाचार-पत्र

दैनिक

(१) जागरण (२) भास्कर।

साप्ताहिक

(१) जन समाचार, (२) श्रंखला, (३) इंक्शाफ,
(४) भारती।

८—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सूचना मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जो दैनिक पत्र अनियमित रूप से कभी-कभी ही प्रकाशित होते हैं वह अपने को दैनिक लिखकर जनता व सरकार को जो धोखा देते ह उसके लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—अनियमित दैनिक पत्रों को अदालती कोर्ट नोटिसेज व अन्य सरकारी विज्ञापन प्रकाशनार्थ नहीं दिये जाते हैं। जब किसी समाचार पत्र के, तीन मास की अवधि में, आधे से कम अंक प्रकाशित हों और उसके पश्चात् प्रेस एन्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट, १८६७ के अन्तर्गत बिना किसी घोषणा-पत्र के उसका प्रकाशन जारी रहे तभी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

९—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी से 'बुन्देलखंड' अखबार, जो प्रकाशित होता है, वह दैनिक है अथवा साप्ताहिक तथा ३० मार्च, १९६२ से २० अगस्त, १९६२ तक कितने बार किन-किन तारीख व माहों में प्रकाशित हुआ ?

श्री बनारसीदास—दैनिक, ३० मार्च, १९६२ से २० अगस्त, १९६२ तक कुल २२ अंक प्रकाशित हुये। इस अवधि में इनका प्रकाशन मार्च में ३० तारीख को, मई में २२ तारीख को, जून में १, २, ६, ८, १०, १५, २३ व २७ तारीखों को, जुलाई में १, १०, ११, १६, १९, २१ व २७ तारीखों को और २० अगस्त तक १, ३, ९ व १५ तारीखों को हुआ। इस समाचार पत्र के एक अंक २९, जो १६ जून व २२ जून के बीच प्रकाशत हुआ है, के प्रकाशन की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं हो सकी है।

१०-१२—श्री ऊदल—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

१३—श्री बालोजी अग्रवाल—[१५ वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

के० पी० इण्टर कालेज, इलाहाबाद के विद्यार्थी विनोदकुमार को मारने की घटना

१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद के के० पी० इन्टर कालेज के अहाते में दिनांक २४ अगस्त, १९६२ को एक छात्र को तलवार तथा हाकी द्वारा मारा गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, दिनांक २४-८-१९६२ को के० पी० कालिज के अहाते में इस प्रकार की एक घटना हुई थी।

१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार बतलायेगी कि वह छात्र कौन था और उसके कितने घाव लगे तथा इस संबंध में कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह विनोदकुमार नामक छात्र था जिसे घटना में कुल १२ चोटें आई थीं। अभी तक २ अभियुक्त हाजिर अदालत हुये हैं।

चम्बल घाटी में डाकुओं की गतिविधियां

१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के चम्बल घाटी वाह क्षेत्र में सक्रिय डाकू दलों की गति विधियों एवं सरकार द्वारा उन्हें समाप्त करने के कार्य की क्या स्थिति है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४३२ पर)

१७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर नट जाति के लोग डेरे, खेमें डाल कर गांवों में भीख मांगते हैं और डकैती डालते हैं और डाकुओं के लिये भेदिये का भी कार्य करते हैं। यदि हां, तो सरकार ने उन्हें समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१७ उक्त क्षेत्र में नट जाति के कुछ लोग डेरे डालकर रहते हैं और कुछ गांवों में जाकर बस गये हैं जो खेती आदि करते हैं। यह लोग अधिकांश चोरी और राहजनी ही करते हैं। कभी कभी जब काफी संख्या में एकत्र हो जाते हैं तो डकैती भी डाल देते हैं। वे डाकुओं के लिये भेदिये का काम नहीं करते हैं।

इनकी गतिविधियों को रोकने के लिये इनके डेरों पर कड़ी नजर रखी जाती है और जब डेरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसकी सूचना उस थाने को जिसके क्षेत्र में यह जाते हैं, दे दी जाती है। इनके अपराधों का पता लगाने के लिये पुलिस मुखबिरों की सहायता भी लेती है।

१८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने डाकू दलों का सफाया किया जा चुका है और कौन-कौन दल इस समय डाके डालने में सक्रिय हैं और उन्हें समाप्त करने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—४ डाकू दलों का सफाया किया जा चुका है। इस समय लाखन, जंगजीत, माधोसिंह, महाबीरा व भागीरथा डाकुओं के दल सक्रिय हैं।

इनको समाप्त करने के लिये उपाय प्रश्न १६ के उत्तर में दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में व्यवसाय आदि को बढ़ाने की भी कुछ योजनायें हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४३२ पर)

१९-२०—श्री राजेन्द्रसिंह—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

२१-२२—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री सहदेवसिंह—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

२३-२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—[स्थगित किये गये।]

बढ़नी केन यूनियन के किसानों का बकाया

२५—श्री कल्पनाथसिंह—क्या गन्ना विकास मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बढ़नी केन यूनियन के किसानों का १९६०-६१ के सीजन का कितना मूल्य मिलों के ऊपर बकाया है और उसे अब तक न अदा होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बढ़नी केन यूनियन के किसानों का निर्दिष्ट सीजन का गन्ने का मूल्य, जो मिलों पर बकाया है, वह लगभग इस प्रकार है

चीनी मिल का नाम	गन्ने के मूल्य की बकाया रकम (लाख रुपयों में)
आनन्दनगर	१.८५
तुलसीपुर	२.१४

इस बकाया रकम के अब तक अदा न होने का यह कारण है कि उक्त मिलों ने इस क्षेत्र का गन्ना अस्वीकृत किस्म का होने के कारण रिकवरी कम होने से गन्ने के मूल्य में छूट दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र में दे रखा है और मामला अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

२६—श्री कल्पनार्थीसिंह—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई पत्र-व्यवहार चल रहा था? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय पर भारत सरकार से, जो पत्र-व्यवहार हो रहा है, वह गोपनीय है।

२७—श्री कल्पनार्थीसिंह—क्या यह भी सही है कि जिन मिलों के जिम्मे यह दाम बाकी हैं उनके ऊपर डेफर्ड देय है? यदि हां, तो उसके दिलाने के लिये सरकार क्या प्रबंध कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार ने जो डेफर्ड प्राइस दिलाने के लिये प्राइस लिंकिंग फारमूला लागू किया है उसमें टारिफ कमीशन की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथोचित संशोधन किये जाने के बाद जब वह फारमूला अंतिमरूप से बन जायगा तो उसके अनुसार यदि उक्त मिलों पर डेफर्ड प्राइस निकलेगी तो उसके दिलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

२८—श्री रियासत हुसैन—[स्थगित किया गया।]

अमरोहा की कथित टेक्सटाइल कोआपरेटिव सोसाइटी

२९—श्री रियासत हुसैन—क्या मंत्री यह बतायेंगे कि मुरादाबाद टेक्सटाइल कोआपरेटिव सोसायटी, अमरोहा की तरफ सरकार का ४२ हजार रुपया पड़ा है जिसमें अभी कोई काम जारी नहीं हुआ और न तो रिक्वरी के लिये ही कदम उठाया गया है उसका क्या कारण है?

श्री फूलसिंह—मुरादाबाद टेक्सटाइल कोआपरेटिव सोसायटी, अमरोहा, नाम से कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठता।

३०–३१—श्री रियासत हुसैन—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

तेल घानी सोसाइटी, अमरोहा

३२—श्री रियासत हुसैन—क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि तेल घानी सोसायटी मुहल्ला बगला, अमरोहा सिटी, जिला मुरादाबाद को सन् १९६० में जो २० हजार रुपया लोन और ग्रान्ट्स दिया गया था उसमें कोई काम अब तक नहीं हुआ? ऐसा क्यों?

श्री फूलसिंह—तेल घानी सोसाइटी मोहल्ला बगला, अमरोहा सिटी जिला मुरादाबाद को सन् १९५९–६० में सरकार द्वारा कुल ३१,५६५ रु० की धनराशि ऋण तथा अनुदान के रूप प्रदान की गई है। यह कहना सही नहीं है कि उक्त समिति में काम अब तक नहीं हुआ क्योंकि इस समिति के सदस्य तेल निकालने का कार्य कर रहे हैं।

मुरादाबाद जिला उद्योग अधिकारी के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

३३—श्री रियासत हुसैन—क्या उद्योग मंत्री जी बतायगे कि डी० आई० ओ० मुरादाबाद के दफ्तर में कितनी प्रार्थना-पत्र सोसायटी के दरख्वास्तें मंजूरी के लिये पड़ी हैं और उनमें देरी होने का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—जहां तक समितियों के पंजीकरण का प्रश्न है जिला उद्योग अधिकारी (डी० आई० ओ०) मुरादाबाद के दफ्तर में कुल २० प्रार्थना-पत्र हैन्डलूम समितियों के तथा २५ प्रार्थना-पत्र अन्य उद्योगों की समितियों के उचित कार्यवाही हेतु पड़े हैं। उनके पंजीकरण के लिये भेजे जाने में देर होने के कारण निम्नलिखित है :

१—कुछ औद्योगिक सहकारी समितियों के प्रस्ताव सहकारिता के नियम के अन्तर्गत नहीं आते। आवेदन कर्ताओं से ऐसे प्रस्तावों को ठीक करने को कहा जाता है जिसमें वह काफी समय ले लेते हैं।

२—बर्तन निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आये हुये प्रस्तावों में बहुधा ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य-वर्तमान सहकारी समितियों के सदस्य हैं और वे उनसे कच्चा माल प्राप्त करते हैं। अतः इसकी छानबीन करने में देर होती है।

३—सहकारी समितियों का बैलेन्स शीट सहकारी वर्ष के अन्त में, जो ३० जून को होता है, सहकारी कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है। मुरादाबाद जिले में २२१ औद्योगिक सहकारी समितियां स्थित हैं। सहकारी कर्मचारी पिछले दो तीन माह से नई समितियों के निर्माण के अतिरिक्त इस कार्य में विशेष रूप से लगे हुये थे।

३४—श्री रियासत हुसैन—क्या मंत्री बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में ई० पी० इलेक्ट्रिक वाल्वस मैनुफेक्चरिंग कम्पनी को अभी तक सिर्फ चहार दिवारी बन पायी है ? क्या उसके लिये कोयला, तांबा, जस्ता मिलने के लिये सिफारिश की गई है। यदि हां, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—जिला उद्योग कार्यालय मुरादाबाद में ई० पी० इलेक्ट्रिकल वाल्वस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के नाम से अभी तक किसी भी कच्चे माल के दिये जाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। अतः उक्त कम्पनी के लिये कच्चे माल की सिफारिश भेजने के सम्बन्ध में प्रश्न ही नहीं उठता।

वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इटावा

३५—श्री सहदेवसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य विद्युत् मंडल (स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) ने "वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड इटावा" को निर्देश दिया है कि (consumed) उपभुक्त यूनिटों पर सरचार्ज ले कर न्यूनतम ५०० यूनिट पर सरचार्ज लिया करे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

३६—श्री सहदेवसिंह—क्या मंत्री बतायेंगे कि क्या उक्त कम्पनी उपभोक्ताओं को स्पेशल रिबेट, न्यूनतम ५०० यूनिट पर न दे कर केवल उपभुक्त (consumed) यूनिटों पर दिया करती है। यदि हां, तो सरचार्ज और स्पेशल रिबेट के सम्बन्ध में दो मापदंड क्यों हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

३७-३९—श्री बालोजी अग्रवाल—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में उत्पादित बिजली वितरण

४०—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान गत २८ अगस्त को केन्द्रीय सरकार के विद्युत मंत्री द्वारा संसद में दिये गये उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उत्पादित बिजली के वितरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के मध्य उत्पन्न विवाद को हल करने के लिये उन्होंने दोनों सरकारों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं? यदि हां, तो उस विवाद और पत्र के सम्बन्ध में एक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। किसी विवरण का सदन की मेज पर रखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

४१-४२—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—[हटा दिये गये।]

४३-४४—**श्री रामप्यारे**—[हटा दिये गये।]

४५-४७—**श्री रियासत हुसैन**—[१५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

मिश्रिख तहसील के लिये बिजली

४८—**श्री डल्लाराम** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र मछरेहटा कौरौना, गोदलामऊ व औरंगाबाद के अन्तर्गत बिजली पहुंचाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन नगरों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जा रही है तथा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टि से सम्भव होने पर इन नगरों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा।

शाहजहांपुर जिले में विकास खंडों के अस्थायी ड्राइवर

४९—**श्री राममूर्ति 'अंचल'**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर के विकास खंडों में जो जीप गाड़ियों पर ड्राइवर अस्थायी रखे गये हैं उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस सम्बन्ध में आदेश शीघ्र प्रसारित किये जा रहे हैं।

५०—**श्री राममूर्ति 'अंचल'**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर के नियोजन विभाग के ड्राइवरों को भारत सरकार के यातायात ऐक्ट के अनुसार आठ घंटेकी ड्यूटी करने का नियम रखा गया है या नहीं, यदि हां, तो उनसे जो आठ घंटे से अधिक समय की ड्यूटी ली जाती है उसका उन्हें अलग पारिश्रमिक अधिक देने की ओर क्या कर रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नियोजन विभाग के ड्राइवरों पर भारत सरकार का यातायात ऐक्ट (Motor Transport Workers Act, 1961) लागू नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

सहारनपुर जिला अस्पताल

५१—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिला अस्पताल की नई building बनाने पर क्या खर्चा आया और यह धन किन-किन साधनों से प्राप्त हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सहारनपुर जिला अस्पताल की इमारत बनाने में अब तक कुल १९,९४,१६४ रुपये खर्च हुये । यह धन निम्न साधनों से प्राप्त हुआ :

केन यूनियन सरसावा, इम्पीरियल टुबैको कम्पनी, सहारनपुर, श्रीमती केवाती कनवार, श्री एन० के० बजौरिया, अन्तरिम जिला परिषद्, सहारनपुर, शुगर मिल लक्सर, म्युनिस्पिल बोर्ड, सहारनपुर, गंगा शुगर कारपोरेशन, स्थानीय दातागण तथा सरकार ।

५२—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि सहारनपुर जिला अस्पताल में प्रति मास कुल मुलाजिमान का खर्चा क्या है और सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितना धन दवाइयों के लिये दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सहारनपुर जिला अस्पताल में कुल मुलाजिमान का खर्चा प्रतिमास १६,५०० रुपये है । प्रति वर्ष दवाइयों के लिये सरकार द्वारा ६८,७५० रुपये व्यय किया जाता है । इन धनराशियों में टी० बी० क्लीनिक के मुलाजिमान और दवाओं पर किये जाने वाले व्यय भी सम्मिलित हैं ।

५३—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि सहारनपुर जिला अस्पताल में प्रति वर्ष कितने लोग दवा लेने के लिये जाते हैं और Indoor और Outdoor रोगियों की संख्या १९६० तथा १९६१ में क्या थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अस्पताल में प्रति वर्ष लगभग ६९ हजार आउट डोर तथा इन डोर रोगी दवा लेने आते हैं । आउट डोर तथा इन डोर रोगियों की संख्या १९६० तथा १९६१ में निम्नलिखित थी :

वर्ष	आउट डोर	इन डोर
१९६०	६२,८३७	५,८७६
१९६१	६४,८६६	६,५६७

श्री सरजूसिंह, थानाध्यक्ष तालगांव के विरुद्ध स्ट्रिकचर्स

५४—**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तालगांव थाना सीतापुर के इन्चार्ज के विरुद्ध माननीय न्यायाधीश सीतापुर ने मार्च सन् १९६० से मार्च सन् १९६२ तक कितने स्ट्रिक्चर्स अपने फैसले लेते समय दिये हैं ? यदि हाँ, तो उनके संबंध में सरकार ने इन इन्चार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में श्री सरजूसिंह, थानाध्यक्ष तालगांव के विरुद्ध चार मामलों में न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा स्ट्रिक्चर्स पास किये गये थे । इनमें से दो मामले उस समय से संबंधित हैं जब श्री सरजू सिंह थाना मिसरिख में अफसर दोयम के पद पर तैनात थे । शेष दो मामले उस समय के हैं जब वे थानाध्यक्ष तालगांव के पद पर थे । चारों मामलों में जाँच जारी है ।

५५—**श्री गयाप्रसाद**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त इन्चार्ज थाना का तबादला सीतापुर से किसी अन्य जिले को हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या वह अपने स्थानान्तरण पर चले गये ह ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री सरजू सिंह का स्थानान्तरण मई, १९६२ में उन्नाव जिले को हुआ था परन्तु बाद में यह आदेश स्थगित कर दिया गया क्योंकि उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी तथा कुछ स्ट्रिक्चर्स में जाँच होनी भी बाकी थी। किन्तु इनको थाना तालगाँव से हटा कर थाना कोतवाली में अफसर दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

शिवहारी ग्राम से एक युवती का अपहरण

५६—श्री रक्षपालसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाँदा जिला में बदोसा थाना अन्तर्गत स्थित ग्राम शिवहारी से किसी युवती को उकैत पिछले दिनों रात्रि में बलात उठा ले गये ? यदि हाँ, तो वह किन परिस्थितियों में यह कर सके तथा पुलिस ने उक्त युवती को उसकी माँ को वापस दिलाने में क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२३/२४-६-६२ की रात्रि में दो व्यक्ति उक्त ग्राम में एक युवती के घर में घुस कर उसे बाहर उठा लाए और अपने १०-१२ साथियों की मदद से जो बन्दूक लाठी, फरसा तथा बल्लम से लैस बाहर खड़े थे, उसे लेकर भाग गये। थाने पर धारा १४८ ३५२/३६३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस युवती को बरामद करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं।

दहगवां ब्लाक में अस्पताल की इमारत

५७—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं ब्लाक दहगवां अस्पताल की इमारत कब तक बन जावेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अस्पताल की इमारत बनाने के लिये नकशे तथा तखमीनों पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि अस्पताल की इमारत कब तक बन जायगी।

इन्टरव्यू के लिये सुझाव

५८—श्री मुहम्मदरफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जब भी किसी विभाग में भर्ती होने वाली होती है तो उन लोगों को, जो इन्टरव्यू में बुलाये जाते हैं, तो ज्यादातर को इन्टरव्यू कार्ड एक दिन पहले शाम को या उसी दिन सुबह प्राप्त होता है ? इतने शार्ट नोटिस होने के कारण अक्सर आदमी इन्टरव्यू देने नहीं पहुंच पाते ? दूसरी चीज यह भी होती है कि हजारों आदमियों को इन्टरव्यू कार्ड जारी होने के बावजूद नहीं मिल पाते ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

५९—श्री मुहम्मदरफी खां—क्या इसकी वजह सिर्फ यह है कि यह देर में डिस्पैच किये जाते हैं और बुक पोस्ट या आर्डीनरी पोस्टकार्ड द्वारा भेजे जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

६०—श्री मुहम्मदरफी खां—क्या सरकार ऐसे हजारों आदमियों की तकलीफों को देखते हुये अपने हर विभाग के मुख्य अधिकारियों को यह हिदायत देने की कृपा करेगी कि जब भी वे अपने विभागों में भर्ती के लिये रोजगार दफ्तर द्वारा नामों की लिस्ट के मुताबिक इन्टरव्यू देने वालों को बुलावें तब उनके इन्टरव्यू कार्ड रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें और इन्टरव्यू की तारीख से हर हालत में कम से कम १० रोज पहले भेज दिया करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुख्य अधिकारियों को हिदायत देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन्टरव्यू कार्ड एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे जाते हैं। नियुक्ति अधिकारियों से माँग प्राप्त होने पर इन्टरव्यू कार्ड तुरन्त भेजने के आदेश इस समय भी हैं। इन्टरव्यू कार्ड रजिस्टर्ड डाक से भेजने के सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

देवा मेले में 'वेश्यावृत्ति' रोकने का सुझाव

६१—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बाराबंकी जिले में हाजी वारिस अलीशाह का देवा में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें देश विदेश से लाखों व्यक्ति आते हैं और वहीं पर सिर्पहटिया नामक ग्राम की भूमि पर वेश्यायें अपने खेमे लगा कर वेश्यावृत्ति करती हैं? यदि हाँ, तो सरकार उसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देवा, जिला बाराबंकी, में होने वाले मेले में वेश्याएं भी आती हैं और मजार शरीफ से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर मेले के बाहर ग्राम सिर्पहटिया के क्षेत्र में डेरा डाल कर रहती हैं। वे रोजी कमाने के ध्येय से नहीं, बल्कि हाजी वारिस अली शाह के मजार की परिक्रमा व मेला करने के लिये आती हैं।

स्थानीय पुलिस ने उन्हें वेश्यावृत्ति करने के विरुद्ध चेतावनी दे रक्खी है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

६२—श्री नत्थाराम रावत—क्या यह सत्य है कि मेले के अन्दर अथवा मेले के चारों तरफ जुआ खेलने के अड्डे भी स्थापित करके लोगों को ठगा जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। मेले में गैम्बलिंग ऐक्ट लागू किया जाता है और कड़ी देख-रेख की जाती है ताकि इस प्रकार के जुर्म न हों।

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, टूरियागंज लखनऊ में छात्रवृत्ति के नियम

६३—श्री मैनेजरसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, टूरियागंज में छात्रवृत्ति सन् १९६१-६२ की घोषित हुयी है कि नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ।

६४—श्री मैनेजरसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय में छात्रवृत्ति देने के क्या नियम हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नियमों की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४३३ पर)

६५—श्री मैनेजरसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रवृत्ति देने (स्वीकृत करने) में छात्र की योग्यता, प्रतिभा एवं आर्थिक दशा का ध्यान रखा जाता है? यदि हाँ, तो क्या पिछले सत्रों में इसके अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। पिछले सत्रों में छात्रवृत्ति देते समय छात्रों की आर्थिक स्थिति तथा उनकी प्रतिभा को ध्यान में रक्खा गया है।

६६-६७—श्री सुखदेवप्रसाद—[४ अक्तबर १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—आपने दस मिनट के लिये हाउस को ऐडजर्न किया था उस समय का मुआवजा तो मिलना चाहिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। सदन से जिन माननीय सदस्यों को निलम्बित कर दिया गया है क्या वह अपने कमरे में बिला किराया दिये हुये रह सकते हैं? इस पर हम आपकी यव्वस्था चाहते हैं।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उमाशंकर जी, बैठ जाइये।

व्यवस्था का प्रश्न उसी सबंध में उठ सकता है जो विषय हाउस के सामने है।

नेता विरोधी दल ने यह कहा कि चूंकि १० मिनट सदन स्थगित हो गया था, इसलिये १० मिनट दिये जाँय। मैंने चार मिनट इसलिये दे दिये ताकि कुछ मुआवजा हो जाय। अब उससे अधिक मैं नहीं कर सकता।

श्री नरदेव शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष एक दुखद घटना की सूचना देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय नरदेव शास्त्री, जो इस सदन के सदस्य थे, उनका परसों स्वर्गवास हो गया। नरदेव शास्त्री जी हमारे प्रदेश के उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में रहे जिन्होंने लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के नेतृत्व में और उनके उपरान्त गांधी जी के नेतृत्व में सभी उन आन्दोलनों में हिस्सा लिया जो देश की आजादी के लिए समय-समय पर चलाये गए। महाराष्ट्र प्रदेश से आकर उन्होंने ऐसे क्षेत्र को अपना घर बनाया जो क्षेत्र आज से ४०–५० वर्ष पहले उतनी मात्रा में विकसित नहीं था, जितनी मात्रा में उत्तरोत्तर अब वह विकसित होता जा रहा है। वहां उन्होंने अपने जीवन-काल में ऐसी शिक्षा संस्थाओं को निर्मित किया जो शिक्षा संस्थायें देश में ऐसे नवयुवकों को उत्पन्न कर रही है कि जो अपने उत्तरदायित्व को देश के प्रति निभायें और शिक्षा प्राप्त करके उन कार्यों में जुटें, जिनसे देश की प्रगति विभिन्न दिशाओं में हो सकती है। हम सबको यह भली-भांति विदित है कि वह महाविद्यालय, अमरावती के जीवनपर्यन्त अध्यक्ष रहे और उस अध्यक्ष के अपने कार्य-काल में उस संस्था को उन्होंने, जो कि एक बहुत छोटी संस्था प्रारम्भ में थी, वह रूप और दिशा दी कि जो रूप और दिशा उसकी आज है। वे उन विचारों के भी थे, जिन विचारों के द्वारा हम अपने प्रदेश में और देश में छुआछूत की बीमारी को दूर करना चाहते हैं और इस समाज के नेता के रूप में उन्होंने उन छुआछूत के आन्दोलनों को अपनाया और उनमें अगुवा का कार्य किया। यानी उन आन्दोलनों को चल कर अपने समाज में जो छुआछूत की बीमारी है, उसको समाप्त करने की उन्होंने जीवनपर्यन्त चेष्टा की।

वह हिन्दी के भी बड़े प्रेमी थे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वह अध्यक्ष रहे। साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते उन्होंने हिन्दी को पुनर्जीवित करने की चेष्टा की और उसे उस दिशा में बराबर ले जाने का प्रथत्न किया कि जिस दिशा में चल कर वह राष्ट्र-भाषा बन सकती है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे और सादगी से जीवन व्यतीत करके एक उदाहरण दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। वह हमारे बीच से उठ गए और हमें अपने जीवन की वह मिसाल छोड़ कर गये कि जिसका यदि हम अनुकरण करते जायं तो हम सब अपने देश और प्रदेश में सार्वजनिक जीवन को ऊंचा उठा कर चल सकते हैं और उसमें उन परम्पराओं को कायम कर सकते हैं कि जिनके द्वारा स्वस्थ सार्वजनिक जीवन हमारे बीच में बराबर निखरता रहे। वह हमारे इस सदन के सदस्य थे और सदन के सदस्य रहते हुए सदा उन्होंने अपने विचारों को इस सदन में स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट किया और उन कार्यों की पूर्ति में सहयोग देने में व्यतीत किया

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कि जिनकी पूर्ति द्वारा प्रदेश का उत्थान हो सकता है। उनकी अनुपस्थिति अब हमें अखरेगी, परन्तु उनका जीवन और जीवन में जो उन्होंने कार्य किया, वह सदा हमें प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस श्रद्धांजलि अर्पित करने के विचारों को आपके द्वारा उनके सम्बन्धियों और उन साथियों तक पहुंचाने की प्रार्थना करना चाहता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और हम सब उनके जीवन के पीछे चल सकें। ईश्वर हमें वह बल दे कि जिस बल के अन्तर्गत हम उनके बचे-बचाये कामों में उनके सहयोगी बन सकें। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी तथा सदन की सहानुभूति उनके सहयोगियों, मित्रों और सम्बन्धियों तक पहुंचाने की प्रार्थना करता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय नरदेव जी शास्त्री के निधन पर माननीय मुख्य मंत्री ने जो बातें कही हैं, उनसे मैं अपने को पूर्णतया सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, ऐसा दिखाई पड़ता है कि काल चक्र की गति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि "The lamps are going out one by one" बराबर चलती रहती है। ऐसी दुखद घटनायें जब कि आज समाज को ऐसे देश सेवी और समाज को ऐसे पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का निधन होता है तो बहुत दुख का विषय होता है। माननीय मुख्य मंत्री ने जो कहा उससे मैं जनसंघ को पूर्णतया सम्बद्ध करता हूं और अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन् से निवेदन है कि उनके परिवार को हम सब की समवेदना और सहानुभूति पहुंचाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं जनसंघ की ओर से स्वर्गीय नरदेव शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं अपने को और अपनी पार्टी को, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे सम्बद्ध करता हूं। यह वाकई बड़े दुख की बात है कि आज के युग में खास कर हमारे देश में जब कि हिन्दी राष्ट्रभाषा की बाबत हमारा आन्दोलन चल रहा है और जैसा हम समझते हैं कि हमारे यहां तीसरी क्लास से अब अंग्रेजी होने जा रही है और ६-६ साल के बच्चों को उसे पढ़ना होगा तो ऐसे समय में उनकी आवश्यकता थी। इसी काम के लिये नरदेव जी शास्त्री ने अपना जीवन दिया और ८६ साल तक अपना जीवन जनहित में लगाया। महाराष्ट्र के रहने वाले यू० पी० में आये और यू० पी० में आकर हरद्वार को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। चाहे किसी पार्टी का ऐसा व्यक्ति हो अगर वह जनहित में जीवन लगाता है और जनहित में कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति के निधन से समाज और देश का नुकसान होता है। यदि आज ऐसे मौके पर देश के ऐसे कर्मठ साथी हमारे बीच में नहीं रहे तो यह हम सब के लिये दुख की बात है। आप मेरी और मेरी पार्टी की ओर से उनके परिवार को समवेदना भेजने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं नरदेव जी शास्त्री के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, ऐसे समय में नरदेव जी शास्त्री का स्वर्गवास, जो माननीय बालगंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में देश और समाज की सेवा कर चुके हैं, जो पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं, उनके निधन पर सोशलिस्ट पार्टी और मुझे विशेष रूपसे दुख है, क्योंकि श्रीमन्, आज हमारे समाज में ऐसी क्षमता नहीं रह गई है कि वह स्वर्गीय नरदेव जी शास्त्री सरीखे व्यक्तियों को पैदा कर सके। ऐसे अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे समाज को ऐसी शक्ति दे कि वह नरदेव जी शास्त्री ऐसे व्यक्तियों के निधन से जो स्थान रिक्त हुए हैं, उसकी पूर्ति करने के लिये हमारा समाज सक्षम हो सके और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे समाज में ऐसे देश सेवी और समाज-सेवी पैदा हो सकें। इन शब्दों के साथ में अपनी समवेदना और अपनी सोशलिस्ट पार्टी की समवेदना आपके द्वारा उनके दुःखी परिवार तक भेजना चाहता हूं और उनके प्रति अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, वास्तव में नरदेव शास्त्री जी के निधन से हमारे देश और प्रदेश को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। मुझे यह सौभाग्य है कि मैं उनके साथ सदन में थोड़े दिन रह चुका हूं। उनकी सौम्यता, सज्जनता, जो उनके सम्पर्क में आया है उसका असर, सभी मनुष्यों पर रहेगा, जैसे आज नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल चलता है, नरदेव शास्त्री उन विभूतियों में से थे जिन्होंने अपना प्रदेश छोड़ कर हमारे प्रदेश में आकर अपने संपर्क स्थापित किये, अपना यहां एक स्थान बनाया और जनसेवा में उन्होंने अपना जीवन दिया। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की ओर से जो विचार नेता सदन और हमारे अन्य साथियों ने प्रकट किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि आप हम लोगों की समवेदना उनके परिवार तक भेजने की कृपा करेंगे।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, शास्त्री जी को मैं जातीतौर पर जानता था और मुझे फख्र है इस बात का कि अक्सर उनसे लम्बी-लम्बी बातें होती थीं, बहसें होती थीं, तबादले खयाल होते थे और जब कभी मैं उनसे मिला तो इसी नतीजे को लेकर मैं हटा कि यह एक बहुत बुलन्द इन्सान हैं। आज वह हमारे दरम्यान नहीं हैं। जब ऐसी हस्तियां जाती हैं तो मालूम यह होता है कि कुछ हमारी कौमी जिन्दगी की मंजिलें ओझल होती जा रही हैं। शास्त्री जी मुजस्सिमा थे, इम्बाडीमेंट थे उन मूल्यों के, उन कदरों और कीमतों के जो हमारी आजादी की तहरीक ने हमारी कौम को, हमारे लोगों को दी थी। कुर्बानी, ईसार, नरमी, प्रेम, मुहब्बत, सेवा की भावनाओं में डूबे हुए, और ऐसे इन्सान जब चले जाते हैं तो मालूम होता है कि दिल को जैसे एक धक्का लगा हो, मालूम होता है कि हमारी कौमी जिन्दगी का एक अंग गायब हो गया। आज कितना भी रोयें, कितना भी गम करें, लेकिन यह जिन्दगी का तकाजा है। आज अफसोस होता है कि वह लोग जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की बुनियादें डालीं, जिन्होंने उन जड़ों को सींचा और जिन्होंने नैतिक और एखलाकी कदरों और कीमतों को दिया, जिनकी बिना पर हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन इतना शानदार हुआ, आज वह हटते जा रहे हैं और उनकी जगह पर कुछ आ नहीं रहा है। वह कदरें और कीमतें मिट रही हैं, लेकिन नयी कदरें और कीमतें पैदा नहीं हो रही हैं। इसलिये दुख होता है और व्यक्तिगत तरीके से एक दोस्त चला जाय तो और दुख होता है, लेकिन यह उनका जाना, एक दोस्त का जाना नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय परम्परा का कमजोर होना है, राष्ट्रीय परम्परा का खत्म होना है, जिसको हम कायम रखना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे गम का इजहार आप नरदेव जी के खानदान तक पहुंचा दें, उस दुख का इजहार जो दिलों में है, उन तक पहुंचा दें और मैं यह कह सकता हूं कि वह जिस ईसार, कुर्बानी और सेवा की भावना को लेकर चले थे, कम से कम हम उसको अपने दिलों के नजदीक रखें और उस भावना को जिन्दा करने की कोशिश करें।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज इस संसार से और प्रदेश से एक बहुत ऊंची हस्ती हमेशा के लिये बाहर चली गयी। आचार्य नरदेव शास्त्री इस सदन के सदस्य भी थे और यह हमारा सौभाग्य था कि उनके सामने मैं भी इस सदन में रह चुका था। उन्होंने जो कार्य इस देश की तरक्की के लिये, हमारी बुराइयों को मिटाने के लिये किया वह सराहनीय है। उन्होंने जो पथ प्रदर्शन किया, उससे हम प्रोत्साहन लेते हैं। वह हमारे लिये एक रोशनी के दीपक थे जो तारीकी में, अंधेरे में हमारी रहनुमायी करता है। अध्यक्ष महोदय,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानसहाय]

मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि हमारी समवेदना और श्रद्धांजलि उनके परिवार तक तथा उनके साथी और इष्टमित्रों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं विभिन्न नेताओं द्वारा जो बातें आदरणीय शास्त्री जी के सम्बन्ध में कही गयी हैं, उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। इसमें कोई शंका नहीं कि वे एक परिव्राजक के रूप में अपना घर छोड़ कर सैकड़ों मील, हजारों मील आकर गंगा के तट पर हरिद्वार में बसे। वहां बस कर एक प्राचीन शिक्षा प्रणाली को जागृत करने का प्रयत्न किया, एक शिक्षा प्रणाली वहां उन्होंने स्थापित की और तदनन्तर महात्मा गांधी का अनुचर बनकर देश सेवा में संलग्न होकर जो कुछ योगदान हो सका, उन्होंने दिया।

जैसा कि डाक्टर अहमद साहब ने कहा है, वह हमारे लिए एक उदाहरण बन कर रहे और हमारे बीच से चले गये। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन को हम अपने समक्ष रख कर उस पथ पर चलने का प्रयत्न करें कि जिस पर जाकर उन्होंने हमारे देश और समाज का उन्नयन किया।

मैं इस आदरणीय सदन की समवेदना उनके सम्बन्धियों और मित्रों तक पहुंचा दूंगा और आप से प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट खड़े होकर उनके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए खड़े हुए।)

४ सितम्बर, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १ व २ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के वर्तमान सत्र में श्री श्यामलाल के ४-९-६२ तारांकित प्र० सं० १ व २ के उत्तर से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में यह सूचना दी गयी थी कि श्रीमती सोमनारा के मरा हुआ बच्चा अस्पताल में १६-८-१९६२ को पैदा हुआ। यह तिथि पुलिस अधिक्षक, बस्ती ने जो सामग्री इस प्रश्न के विषय में भेजी थी, उसके आधार पर ही दी गयी थी। मुझे खेद है कि वास्तव में यह तिथि १६-८-६२ न होकर १४-८-६२ थी। अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में जहां भी १६-९-१९६२ का जिक्र आया है वहां माननीय सदन उसको १४-८-१९६२ पढ़ लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—मैं आदरणीय सदन को बता दूं कि माननीय श्यामलाल जी ने परसों मुझे यह सूचना दी थी कि माननीय नवल किशोर ने १४ के बजाय १६ तारीख बतायी थी। तो मैंने उपगृहमंत्री को सूचना दी थी कि सही तारीख आप बतावें। उसी संबंध में वेरीफाई करने पर यह तारीख आपने १४-८-६२ बतलाई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—यह तो एजेंडे में आना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—यह कल शाम तक वेरीफाई नहीं हो पाया, आज सुबह ही हुआ। मैंने उनसे बताया था कि माननीय श्यामलाल जी ने कहा है, इसलिए जल्दी करें। तो माननीय उपमंत्री जिससे कांटैक्ट करना चाहते थे उनसे हो नहीं पाया, इस वजह से विलम्ब हुआ और एजेंडा में नहीं रक्खा जा सका।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—जब उत्तरों के लिये प्रमुखता दी जाती है तो हमारे लिये भी यह सहूलियत होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—हां, ठीक है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय उपमंत्री ने खेद प्रकट किया और बताया कि १६ के बजाय १४ तारीख थी। लेकिन इस सिलसिले में बता दूं कि ४ अगस्त को पांचवां-छठवां अल्पसूचित तारांकित मेरा प्रश्न था, उसमें जो मेरा आरोप था, वह यह आरोप था....

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ जायं, तभी इस संबंध में बात कर लेंगे....

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, १४ तारीख को मरा हुआ बच्चा महिला के पेट से निकला। माननीय उपमंत्री जी ने बताया कि वह १६ तारीख को निकला और डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिला के पेट में कोई रोग था। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी फिर से जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो बयान अब दिया गया है जो आपके प्रश्न का उत्तर है उन सब को मैं देख लूं। आप आ जायं तो उस पर हम सोच-विचार कर लेंगे कि क्या कार्यवाही की जाय। तो आप कृपया आजाइयेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या वे अपना बयान फिर देंगे?

श्री अध्यक्ष—अब मैं उसको देख लूंगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—दो विशेषाधिकार के प्रश्न मुझे मिले हैं। एक तो माननीय भानु प्रताप सिंह, माननीय विजयसिंह तथा माननीय काशीनाथ बहादुरपाल के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ है और दूसरे पर माननीय शिवनाथसिंह, माननीय काशीनाथ मिश्र, तथा माननीय गयाप्रसाद के हस्ताक्षर हैं, माननीय उमाशंकर के दस्तखत नहीं है। इसे मैंने अभी स्टडी नहीं किया है, देख लूंगा।

समाचार-पत्रों द्वारा गलत-पार्टी-सम्बद्धता छापने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री अध्यक्ष—माननीय श्यामलाल जी ने एक शिकायत की है, वह ठीक है। जो समाचार पत्रों के प्रतिनिधि यहां बैठे हुये हैं, वे कृपया नोट कर लें

माननीय श्यामलाल जी स्वतंत्र रूप से चुन कर आये थे और उन्होंने यह सूचित किया था कि वे रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। तो आप जब भी उनसे सम्बन्धित रिपोर्ट छापा करें, तो उनको रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य ही लिखा करें न कि पी० एस० पी० या स्वतंत्र पार्टी के। यही उनकी शिकायत थी।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—मैं रिपब्लिकन हूं, और जब दूसरी पार्टी का मुझे सदस्य लिख दिया जाता है तो मेरे क्षेत्र में भ्रम फैल जाता है कि कहीं मैंने यह पार्टी छोड़ तो नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष—अब वह भ्रम नहीं होगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—ये रिपब्लिकन बाई बर्थ (जन्मजात) हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—इसके मानी यह हैं कि सिर्फ पब्लिक के।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। एक माननीय दौलत लाल जी का है, उस पर माननीय रामसुन्दर पांडेय जी के दस्तखत नहीं हैं, जिसमें यह है कि कुछ राज्य तथा केंद्रीय सरकारी अफसरों आदि पर नगरपालिका का करीब २० लाख रुपया बाकी है। यह अस्पष्ट है और अविलम्बनीय भी नहीं है, इस कारण इसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

दूसरा श्री ऊदल जी का है। जो ऐक्वीजीशन ऐक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है, यह उससे संबंधित है। तो वहां पर जो चीज पास हुई है, उस संबंध में हम क्या कर सकते हैं?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार ने उस जमीन को एक्वायर किया और प्रदेशीय सरकार के खिलाफ इस ऐक्वीजीशन के मामले में हाईकोर्ट में रिट दायर हुआ। हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला किया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से अपील दायर की गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार के खिलाफ फैसला दिया। अब इस सरकार ने यह कदम उठाया है और उनसे केंद्रीय सरकार से सिफारिश की है कि लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—केन्द्रीय सरकार से कोई सिफारिश की है या नहीं, इसको प्रश्न के द्वारा पूछा जा सकता है, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, भानुप्रताप जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, उसके बारे में क्या रहा?

श्री अध्यक्ष—वह मैंने अभी पढ़ा नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, जरा यह बता दिया जाय कि कब दिया गया था। यह तो शायद कल दिया गया था?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। इस पर लिखा है ९ बजकर २७ मिनट पर और तारीख २७ सितम्बर, १९६२। आज २७ तारीख ही है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष—वह मैंने देख लिया है और सरकार के पास भेज दिया है।

इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न मेरे पास आये थे दफा ५२ के, उन पर मैंने आदेश दे दिये हैं। जो माननीय सदस्य उनको देखना चाहें, देख लें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—हमको, श्रीमन्, माननीय राधेश्याम जी का नोटिस मिला था दफा ५२ के अन्तर्गत अतिवृष्टि के बारे में, उस पर कब वक्तव्य दूं?

श्री अध्यक्ष—सब के साथ दे दीजिये। अगर माननीय राधेश्याम जी सदन से हटा दिये गये हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि उस पर वक्तव्य ही न हो। उसमें और भी लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अतः सबके साथ उस वक्तव्य को आप दे दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, बाढ़ से संबंधित नियम ५२ में हमारा भी था।

श्री अध्यक्ष—मैंने कई मर्तबा यह बता दिया कि जब मैं नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न स्वीकार कर लेता हूं तो फिर दूसरों को नहीं लेता। अगर कोई माननीय सदस्य उस संबंध में मुझसे कोई बातचीत करना चाहें तो मैं बड़ा आभारी हूंगा उनका, यदि वे मुझे साढ़े तीन और साढ़े चार बजे के बीच में मिल लें।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिये निर्वाचित ३ सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब आदरणीय सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिये निम्नलिखित ३ सदस्य निर्वाचित हुये हैं :

१—श्री जगदीशनारायण सिनहा (सहारनपुर),

२—श्री रामायणराय (देवरिया),

३—श्री सूबेदारसिंह (मैनपुरी) ।

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के लिये निर्वाचित १ सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के लिये जिन एक सदस्य का निर्वाचन हुआ है, वह हैं—श्री देवीदत्त छिनवाल (नैनीताल) ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निर्वाचित ५ सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निम्नलिखित ५ सदस्यों का निर्वाचन हुआ है—

१—श्रीमती कलारानी मिश्रा (हरदोई),

२—श्री नरेंद्रबहादुरसिंह (रायबरेली),

३—श्री रघुनाथसिंह (वाराणसी),

४—श्री रामसूरतप्रसाद (गोरखपुर),

५—श्री वशिष्ठनारायण शर्मा (गाजीपुर) ।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिए निर्वाचित ४ सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के ४ सदस्य इस प्रकार हैं: सर्वश्री जगदम्बाप्रसाद (फैजाबाद), बृजेश्वरसहाय (मैनपुरी), मन्नालाल (खीरी) और सरदारसिंह (सहारनपुर) ।

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट, जिसका कार्यकाल दि .क २३ सितम्बर, १९६२ को समाप्त हो गया है, में कार्य करने के लिये, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के खंड ३ के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट जिसका कार्यकाल दिनांक २३ सितम्बर, १९६२ को समाप्त हो गया है, में कार्य करने के लिये, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के खंड ३ के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ पर विचार होगा। इसमें कोई संशोधन है नहीं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें कई ऐक्ट में संशोधन है, तो जरा सी इसकी सफाई प्रस्तुत कर दें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—इसमें दो अधिनियमों के संशोधन हैं। एक तो यू०पी० जमींदार डेट रिडम्शन ऐक्ट, १९५२ है और दूसरा य०पी० इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ है। जो अनुसूची है उसमें यह सब दिया हुआ है.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने दो का ही नाम लिया, तीसरे सन्देह का निवारण यू० पी० ऐक्ट संख्या २५,१९३४ भी दूसरे पेज पर बायीं तरफ लिखा हुआ है, इसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—मैंने देख लिया, आप बैठ जायं, उसे छोड़ें, उससे मतलब नहीं है।

खंड २, अनुसूची १ तथा २

यू०पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

२—यू०पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ और "उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" के उपबन्ध, निहित होने के दिनांक से, नागर क्षेत्रों के संबंध में क्रमशः अनुसूची १ और २ में उल्लिखित परिष्कारों के साथ, इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित था।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ९,१९५७

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "नागर क्षेत्र" और "निहित होने का दिनांक" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में हैं।

अनुसूची १

(धारा २)

उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३,१९५४) द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४)

क्रम-संख्या	परिष्कार या संशोधन
१ धारा २ में	(क) खंड (एन) और (ओ) में:— (१) पार्श्व में आये हुये शब्द, अक्षर और अंक "U. P. Act I of 1951" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "U. P. Act No. IX of 1957." रख दिये जायें;

†२१ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*२६ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

क्रम-संख्या	परिष्कार या संशोधन
	(२) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय, और (३) शब्द तथा अंक "Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर शब्द तथा अंक "Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956." रख दिये जायं, (ख) खंड (ओ) में, कामा, शब्द और अंक, "and includes in the case of compensation, interim compensation payable under section 29 of the said Act" निकाल दिये जायं,और (ग) खंड (ओ) के पश्चात् नये खंड (पी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:— (*p*) the expressions "agricultural area", "date of vesting" and "urban area" shall have the meanings assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari abolition and Land Reforms Act, 1956."
२ धारा ९-ए में	उपधारा (४) में, शब्द तथा अंक "estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर शब्द तथा अंक "agricultural areas under the U. P. Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956" रख दिये जायं ।
३ धारा १४ में	उपधारा (७) में:— (१) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुये कामा, के बीच में, जहां कहीं भी वे आये हों, कामा, शब्द तथा अंक "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं, और (२) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय ।
४ धारा १५ में	अंक "1952" के पश्चात् शब्द, अंक तथा कामा "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं ।
५ धारा १६ में	खंड (३-ए) में शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय ।
६ धारा १८ में	प्रतिबन्धात्मक खंड में— (१) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुये कामा के बीच में कामा, शब्द तथा अंक "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं, और (२) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय ।

क्रम-संख्या		परिष्कार या संशोधन
७	धारा १९ में	उपधारा (२) में शब्द "rehabilitation grant" और शब्द "estate" के स्थान पर क्रमशः शब्द "annuity" और शब्द "agricultural area" रख दिये जायं।
८	धारा १९-ए में	(क) शब्द, कामा तथा अंक "U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1954" के स्थान पर शब्द, कामा तथा अंक "Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravitt Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं, (ख) अंक "1962" और शब्द "applies" के बीच में कामा, अंक तथा शब्द "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं, (ग) शब्द "said Act" के स्थान पर शब्द "Act last aforesaid" रख दिये जायं, और (घ) शब्द "rehabilitation grant" और शब्द "estate" के स्थान पर क्रमशः शब्द "annuity" तथा "agricultural area" रख दिये जायं।
९	धारा २३-ए में	(क) पार्श्व तथा धारा में आये हुये शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय, (ख) शब्द "and Rehabilitation Grants Officer, as may be necessary" निकाल दिये जायं, और (ग) कामा, शब्द तथा अंक "section 70 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर कामा, शब्द और अंक "section 55 of the Uttar Pradesh Urban Area Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956" रख दिये जायं।
१०	धारा २३-बी में	(क) शब्द "rehabilitation grant" पार्श्व में और जहां भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय, और (ख) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुये "कामा" के बीच में कामा, अंक और शब्द "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं।
११	धारा २४ में	शब्द, अंक और कामा "but including proprietary rights in the land in the areas which on the 7th day of July, 1949, were included in a Municipality or a Notified Area under the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916, or a Cantonment under the provisions of the Cantonments Act, 1924, or a Town Area under the provisions of U. P. Town Areas Act, 1914." निकाल दिये जायं।
१२	धारा ४८ में	शब्द तथा अंक "section 23 of section 24, section 23-B or section 24" के स्थान पर कामा, शब्द और अंक "section 23, section 23-B or section 24" रख दिये जायं।

अनुसूची २

(धारा २)

उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३ ई०)

क्रम-संख्या		परिष्कार या संशोधन
१	बड़े शीर्षक और प्रस्तावना में—	(क) पार्श्व में जहां भी शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१" आये हों उनके स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७" रख दिये जायं, (ख) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, और (ग) जहां भी शब्द तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६" रख दिये जायें।
२	धारा २ में	(क) खंड (ग) के पश्चात् नये खंड (गग) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:— "(गग) किसी कृषि क्षेत्र के संबंध में "निहित होने का दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है, जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में उस क्षेत्र के संबंध में निहित होने के दिनांक के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो," (ख) खंड (च) में अंक तथा शब्द "१ जुलाई, १९५२" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायं, (ग) खंड (छ) के स्थान, पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "(छ) 'कृषि क्षेत्र,' 'कार्षिक वृत्ति' 'प्रतिकर,' तथा 'नागर क्षेत्र' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में है," (घ) खंड (ट) में जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा (ङ) खंड (ड) में जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें।
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ९, १९५७		
३	धारा ३ में	(क) उपधारा (२) में— (१) पार्श्व में आये हुये शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "उ०प्र० अधिनियम संख्या ९,१९५७" रख दिये जायें,

क्रम-संख्या	परिष्कार या संशोधन
	(२) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें,
	(३) अक्षर, शब्द तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" के स्थान पर अक्षर, शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६" रख दिये जायें, और
	(४) जहां भी शब्द, अक्षर तथा अंक "३० जून, १९५२" आये हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें, तथा
	(ख) उपधारा (३) में—
	(१) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि" क्षेत्र" रख दिये जायं, तथा
	(२) जहां भी शब्द तथा अंक "३० जून, १९५२" आये हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें।
४ धारा ४ में	(क) उपधारा (२) में—
	(१) पार्श्व में आये हुये शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "उ०प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७" रख दिये जायें,
	(२) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें,
	(३) शब्द, अक्षर तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६" रख दिये जायें,
	(४) अंक तथा शब्द "३० जून, १९५२" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें, तथा
	(५) जहां भी अंक तथा शब्द "१ जुलाई, १९५२" आये हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायें, तथा
	(ख) उपधारा ३ में—
	(१) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें,
	(२) अंक तथा शब्द "१ जूलाई, १९५२" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायें, तथा
	(३) जहां भी अंक तथा शब्द "३० जून, १९५२" आये हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें।

क्रम-संख्या		परिष्कार का संशोधन
५	धारा ५ में	(क) शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा (ख) प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण निकाल दिये जायें।
६	धारा ६ में	(क) उपधारा (१) में जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा (ख) उपधारा (२) में शब्द "आस्थानों" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें।
७	धारा ८ में	(क) जहां भी शब्द "आस्थान" तथा आस्थानों" आये हों उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "कृषि क्षेत्र" तथा "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें, (ख) पार्श्व शीर्षक में तथा जहां भी शब्द "पुनर्वासन अनुदान" आये हों उनके स्थान पर शब्द "वार्षिक वृत्ति" रख दिये जायं, तथा (ग) शब्द "अनुदान" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक वर्ष में देय वार्षिक वृत्ति" रख दिये जायें।
८	धारा ९ में	शब्द "उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में दिये गये बंधों (Bonds) को कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाये" के स्थान पर शब्द "उसके कृषि क्षेत्र के लिये प्रतिकर के रूप में दिये गये बंधों की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय अथवा उसकी वार्षिक वृत्ति की कुर्की करके निष्पादित की जाय" रख दिये जायें।
९	धारा १० में	शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें।
१०	अनुसूची १ में	(क) पैरा १ में दिये हुये सूत्र में अंक "8" के स्थान पर अंक "16" रख दिया जाय, (ख) पैरा २ की मद (२) के खंड (क) में शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायं, तथा (ग) पैरा २ की मद (३) में जहां भी शब्द "आस्थान" तथा शब्द "आस्थानों" आये हों उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "कृषि क्षेत्र" तथा शब्द "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें।
११	अनुसूची २ में	(क) शब्द "अंकित मूल्य" तथा शब्द "के प्रत्येक रुपये" के बीच में शब्द "या कुर्क की गयी वार्षिक वृत्ति" बढ़ा दिये जायें, तथा (ख) अंक "8" के स्थान पर अंक "16" रख दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—अब में क्लाज २ को ले रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—हम क्लाज १ का विरोध करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह तो बाद में आयेगा। खंड २ के बारे में तो कुछ नहीं कहना है?

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—खंड २ का मैं विरोध कर रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि माननीय मन्त्री जी ने केवल दो अधिनियमों का नाम लिया, तीसरा जो मैंने प्वाइंट आउट किया, उसके बारे में वे क्या कहते हैं? उन्होंने मान लिया कि है इसमें?

श्री अध्यक्ष—हां, है।

(श्री हरिनाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—श्री हरिनाथ जी, खंड २ में कुछ है नहीं।

श्री हरिनाथ तिवारी—इसी में तो सब है।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, तो बोलें।

*श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व में कह चुका हूं कि जो भी विधेयक सदन के सामने आवें उनको अच्छी तरह से अध्ययन कर के ही सदन के सामने लाना चाहिये। ऐसी प्रणाली पहले भी रही है और यही दो ऐक्ट जिनके आधार पर कि यह विधेयक पेश है, यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट और डेट रिडेम्टशन ऐक्ट इन दोनों को सेलेक्ट कमेटी के सामने विचार के लिये पहले भेजा गया था और उसके बाद वह यहां विचार के लिये आये थे, लेकिन अब न मालूम कौन सी प्रणाली हमारी सरकार कायम करना चाहती है कि अब जितने भी बिल आते हैं उन की न तो कोई सूचना होती है और न उन पर जनता की राय ही ली जाती है और न उनको सेलेक्ट कमेटी में ही भेजा जाता.....

श्री अध्यक्ष—यह आप ठीक कहते हैं, लेकिन यह तो आप पहले ही कल कह चुके होंगे। अब आप खंड २ पर कहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—ऐसे खंड रखे जाते हैं कि जिन में इतनी ग़लती होती हैं। पहले इन्हीं ग़लतियों के निवारण के लिये सेलेक्ट कमेटियां बनती थीं, लेकिन वह नहीं बनाई जा रही हैं। हमारी आपत्ति यह है कि इस खंड में ही २ सूचियां दी हुई हैं, अनुसूची १ व २। अब तो सारे ऐक्ट ही सूचियों पर बनना आरम्भ हो गये हैं, बजाय इसके कि कोई मौलिक ऐक्ट बने, अब केवल सूचियों पर ही ऐक्ट बनेंगे। डेट निवारण तो अवश्य होना चाहिये, लेकिन जिस प्रकार जमींदार डेट रिडक्शन ऐक्ट बनाया था उसी प्रकार इसको भी अरबन क्षेत्र डेट रिडक्शन कानून कर देते। फिर आपने लाज कर दिया। बनाने जा रहे हैं ऐक्ट और कर दिया लाज, जब कि अरबन या और चीजों से सम्बन्धित ला बनाने जा रहे हैं। सब से पहले मैं कहूंगा कि इस खंड में जहां यह रखा जाता है कि "उल्लिखित परिष्कारों के साथ, इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित था।" इसके माने यह हुये कि यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ और १९५२ जब से लागू हुए हैं उसी समय से यह भी लागू होगा। अब इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के सेक्शन ४ में लिखा है कि "Application for benefit of Act and time within which it may be made :— (1) At any time within one year after the date on which this chapter comes into force"
इस तरह से यह सन् ३४ से लागू होगा और आप १ साल की मियाद सेक्शन ४ में देते हैं तो इस तरह से तो वह मियाद ही नहीं रहेगी और सारा ऐक्ट स्वयं ही इन्फक्चुअस हो जायगा। अब कोई दरख्वास्त नहीं दे सकता, आप एक साल की लिमिटेशन सन् १९३४ और सन् १९५२ से लागू कर रहे हैं और कहते हैं कि इससे लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष—यह एक वर्ष कब से माना जायगा?

श्री हरिनाथ तिवारी—यह इस चेप्टर के फोर्स में आने से लगाया जायगा। आप इसको सन् १९३४ और सन् १९५२ से लागू कर रहे हैं। यानी हमारा मतलब यह है कि हेस्ट में यह सब किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? कम से कम एक मौका तो विचारशील लोगों को दिया जाय, बार एसोसियेशन आदि को दें जिससे वह अपनी राय दे सकें। दो ऐक्टों को मिश्रित किया है यह जो दो अनुसूची बनायी हैं। बारा २ से ही यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनफ्रक्चुअस हो जाता है। अब पास तो कर लेंगे बहुमत से, हाथ उठाये जायंगे, चाहे समझें या न समझें, परन्तु अब इस पर विचार नहीं करेंगे और पास करने जा रहे हैं। यह तो सोच लें कि इससे किसी को फ़ायदा हो सकेगा कि नहीं।

इसी प्रकार से खंडशः देखें। खंड २ (क) के उपखंड (n) से (o) के लिये कहा जा रहा है पार्श्व में आये हुए शब्द सबस्टीट्यूट किये जायंगे। कल हमने बताया था, मंत्री जी ने जो किताब वितरित की है इसमें देख लें कहीं है मार्जिन पर? कहीं नहीं। इसको कहीं अमेंड किया "The U. P. Encumbered Estates Act, 1934 as amended by the U. P. Encumbered Estates Act, 1954" यह सब वैसे का वैसा ही है।

मार्जिन पर चेंज कर देते हैं और कहीं नहीं चेंज करते हैं।

इसी प्रकार U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952. में भी वही है। मार्जिन पर चेंज कर लेंगे, लेकिन जहां लिखा होगा U. P. Act No. XV of 1953 provide for scaling down of the debts of the Zamindars whose estates have been acquired for the provisions of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950. उसको भी नहीं चेंज किया। उसको वैसे ही रहने दिया और कहा मार्जिन में चेंज कर देंगे। तो वह चेंज नहीं होगा। वह ऐक्ट जिस तरह से लिखा है वैसे ही रह जायगा। प्रिलिमिनरी चीज़ वैसे ही रहती है। वह तो ऐक्ट वही समझा जायगा। यह तो मार्जिन में सिर्फ़ किया है। जो हमने अभी पढ़ा है यह सब वैसे का वैसा रह जायगा, इनको कहीं अमेंड नहीं किया है।

इसके बाद रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की जगह शब्द ऐन्युटी रख दिया गया है। उसको डेफ़ीनीशन कहीं नहीं दी है। जो विचार रखा गया था इसको ऐक्ट का रूप देना चाहिये, डेफ़ीनीशन अलग देनी चाहिये वह कुछ नहीं। १९३४ में क्या परिस्थितियां थीं, अब १९६२ में क्या हो गईं, इसका कोई विचार नहीं। उस समय इसके बनाने वाले कौन थे? वही जमींदार थे, जिन पर इन्डेटडनेस बढ़ी हुई थी। और कल श्रीराम जी उन्नाव के बहुत उत्तेजित हो गये थे यदि बीच में कुर्सियां न होतीं तो इस पार कूद आते। एनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट किनका बनाया हुआ था? १९३४ में जमींदारों की क्लास ने बनाया था और वह चाहते थे उनकी इन्डेटेडनेस खत्म हो। और इसका थोड़ा सा म उदाहरण दे दूं क्योंकि इसमें हर जगह लैंडलार्ड आया है।

"This Bill is intended to assist land owners whose assets, if relief is given are sufficient to discharge this indebtedness. It applies to only larger land-lords."

माननीय अध्यक्ष महोदय को पता होगा कि ३४ में वही लैंडलार्ड थे जिन्होंने अपनी बचत के लिये यह ऐक्ट, एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट बनाया था और यहां उद्देश्य में क्या कहते हैं "दिया जाने वाला प्रतिकर उक्त भूमि के बाजार मूल्य से कम है, इसलिये यह आवश्यक है कि देय प्रतिकर के अनुपात में उनके ऋणों को कम करने के लिये व्यवस्था की जाय।" बाजार मूल्य के भाव से प्रतिकर कम है तो सरकार उसे बढ़ा सकती है, नहीं तो अपने पास से नहीं देगी। अब गला काट रही है किसका? जो किसी तरह रुपया बचा कर उन्होंने जमीन पर दे दिया है, उनका गला सरकार काटना चाहती है। हमारा यह उद्देश्य अनकांस्टीट्यूशनल हो जाता है। डेटर और क्रेडिटर हमारे लिये समान हैं। माननीय मंत्री से मैंने प्रार्थना की थी कि इसके विषय में सर्वेक्षण करायें कि अर्बन इन्डेटेडनेस कितनी हो गयी है, कितनों का लाभ होगा और कितनों का लाभ नहीं होगा। जल्दी से विधेयक ले आये, एन्युटी शब्द को देखने के लिये ही चार किताबें देखनी होंगी। हमें शोषक कहा जाता है किन्तु दरअसल यह सरकार शोषक है। उन्होंने एंकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट पास कराया। आपने विरासत ली।

श्री अध्यक्ष—आप आज बहुत नाराज हैं। बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—नाराज नहीं हूं। "सदन का समय नष्ट करते हैं" अगर ऐसा कहता हूं तो यह कहना भी उचित नहीं होगा। ऐसे ऐक्ट्स को लाकर पब्लिक टाइम और मनी वेस्ट होता है। जरा भी उस पर विचार नहीं किया। एन्युटी शब्द की कहीं भी परिभाषा नहीं है। जल्दी में ऐक्ट्स को क्यों लाया जाता है? जरा सोच समझ कर विचार विमर्श कर के लाये जाया करें। मैं बतलाऊंगा कितनी गलतियां हैं उनके सुधार की आवश्यकता है।

"The applicant may, at any time, apply to the special judge for the cancellation of the order appointing receiver and the special judge shall, if he is satisfied · · · ·" मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे यह मालूम पड़ता है कि एप्लीकेशन पड़ी हुई है और आप कहेंगे कि अब जो कुछ है सब खत्म कर दो, रिसीवर को हटा दें।

श्री अध्यक्ष—नहीं इसमें तो सिर्फ यह है कि—

"In sub-section (4) for the words and figures "Estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950. . . . ."

श्री हरिनाथ तवारी—हमारा कहना यह है कि यह वह स्टेज नहीं है। अभी तो न कोई रिसीवर एप्वाइंट हुआ है, न कैंसिलेशन के लिये अभी आर्डर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—इसमें तो इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में जहां "Estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" आया है इन शब्दों को निकाल कर– क्योंकि इस्टेट्स तो अब कोई रहेंगी नहीं "Agricultural areas under the U. P. Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956." रख दिया जाय। बात यह है कि अर्बन एरियाज को यह एप्लाई कर रहे हैं और अर्बन एरियाज में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट एप्लाई नहीं करता है। तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि अभी यह स्टेज तो आनी नहीं है। सेक्शन १४ में, बीच में सेक्शन १२ का कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—व्यवस्था का प्रश्न है। आप और माननीय हरिनाथ जी आपस में सेक्शन १२ और सेक्शन १४ कह रहे हैं. . .

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा तो व्यवस्था का प्रश्न है, जब तक उस पर आप को व्यवस्था नहीं मिल जावगी मैं तो बैठूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष—क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं यह कह रहा हूं कि माननीय हरिनाथ तिवारी अंग्रेजी में आपस में कुछ कहते हैं और आप उसका अंग्रेजी में जवाब दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष—बिल पढ़ रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अनुवाद कर दें तो हम भी समझ जायं।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री हरिनाथ तिवारी—सेक्शन १४ के पहले तो सेक्शन १२ है।

श्री अध्यक्ष—उसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—आना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—उसको न उठाइये। जब तक कोई अमेंडमेंट हमारे सामने न आये तो कैसे हो सकता है।

श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, सेक्शन १४ में भी हमें वही आपत्ति है जो कि सेक्शन ४ में हमने उठाई थी कि जब एप्लीकेशन ही नहीं है और लिमिटेशन्स ही नहीं रखेंगे तो डिटरमिनेशन आफ क्लेम्स कैसे होंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय तिवारी जी, सेक्शन १४ में तो वही बात आ जाती है, लेकिन १५ दूसरा है।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, क्या आप माननीय तिवारी जी के अमेंडमेंट का जवाब दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—देखिये आपके नियमों के अन्तर्गत इतना अधिकार तो नहीं, लेकिन इतनी मुझे सुविधा दी गई है कि जहां भी बहस होती हो, मैं उस बहस में आदरणीय सदन की सहायता दे सकूं कि बहस किस तरह से हो। अगर माननीय तिवारी जी को मेरी सहायता अनुचित लगे या उन्हें अस्वीकार हो तो मैं खामोश हो जाऊंगा।

श्री हरिनाथ तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि जैसा कि हमने सेक्शन ४ में कहा था कि डिटरमिनेशन आफ़ क्लेम्स नहीं होते हैं इसलिये यह कवर नहीं होता है। इसके अलावा इसमें एक आपत्ति और थी कि क्लाज ४ (सी) है उसमें हमने कल कहा था कि एग्रीकल्चरल ऐक्ट रिपील हो गया है तो इसे क्यों रखा जाता है? कल हमने मंत्री जी को भी बताया था कि जो चीज़ अनावश्यक थी, इस समय के लिये उनको ऐक्ट में नहीं रखना चाहिये था। जब कि सेक्शन १४ के सब क्लाज ४ (सी) के बारे में यह है कि एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट रिपील हो गया है तो उसी ऐक्ट का रिफ्रेन्स लाया जाना अनावश्यक है।

(इस समय १२ बज कर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, सेक्शन १५ में जो अनुसूची (१) है उसके सम्बन्ध में हमने कहा था कि एक्जिस्टिंग डिक्रीज, १९३४ में पास हुई थीं और आप का यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट उस समय की डिक्रीज के लिये था। अब आप कहेंगे कि धारा ऐक्ट में लाई जा रही है तो इस समय भी लागू हो सकता है।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य हिन्दी में ट्रांसलेशन कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—ऐक्ट को उद्धृत करेंगे तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—श्रीमन्, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, मूल अधिनियम अंग्रेजी में है इसलिये अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—पढ़ें अंग्रेजी में, लेकिन हिन्दी में भाष्य कर दें।

श्री लखीसिंह—मैंने कल भी कहा था कि सन् १९४२ होता तो मैं इन अंग्रेजी की किताबों की होली जला देता।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो सन् १९६२ है।

श्री हरिनाथ सिंवारी—धारा १५ में यह कहा गया है—

"In determining the amount due on the basis of a loan which has been the subject of a decree the Special Judge shall accept the findings of the Court which passed the decree except in so far as they are inconsistent with the provisions of section 14 or section 4 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1962."

इसका भाष्य यह है कि जिस समय स्पेशल जज उन कर्जों पर विचार करेगा तो वह यह देखेगा कि वह डिग्रियां यू० पी० जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट जो १९६२ में पास किया गया है उसके बरखिलाफ न हो।

हमारा विचार यह है कि यह ऐक्ट १९३४ का है। सन् १९३४ के पहले की डिग्रियां वैसे भी १९६२ तक १२ साल से ऊपर हो जाती हैं और आप विचार करने जा रहे हैं कि १९३४ से पहले की अगर डिग्रियां हों तो उनको भी लाना चाहते हैं। कानूनन ला सकेंगे। कोई बाधा नहीं होगी बारह साल के लिमिटेशन की। तो यह जो आपने अमेंडमेंट रखा है यह न्याय संगत नहीं है। करना यह चाहिये कि यह उसी दिन से लागू होगा जब से यह ऐक्ट लागू होगा। इस पर नहींविचार किया माननीय मंत्री महोदय ने।

खंड १६ में ग्रांट और ऐन्युटी है। इसके पहले भी मैंने कहा था कि ऐन्युटी की परिभाषा नहीं दी है, कहीं पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज यह रह गयी थी, इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट की धारा २ को देखें, जहां पर लैंड लार्ड की डेफिनीशन दी है, सेक्शन २ (जी) में एक प्राविजो दिया हुआ है। आपने इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट बिलकुल उसी के अनुरूप रखा है। उसे तब्दील तो किया नहीं है? अब आप प्राविजो देखें—

"Provided that no person shall be deemed to be a landlord, if his land is assessed to less than a local rate of one rupee under section 109 of the District Boards Act, 1922."

इसमें आपने कोई संशोधन नहीं किया है। अब हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि आप अरबन एरियाज इन्डेटेडनेस को खत्म कर रहे हैं, आप यह बताइए कि अरबन एरिया में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स कैसे लगेगा और आप ने इस पर भी विचार नहीं किया। यह जो उनके लिए इतना था कि लैंड लार्ड नहीं समझा जायगा अगर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अनुसार इतना टैक्स देता है, वह अरबन एरिया पर कैसे लागू हो जायगा, उनके लिए तो म्युनिसिपल्स ऐक्ट अलग है? तो उसको इसके अनुरूप भी नहीं बनाया।

अब धारा १८ में प्रतिबन्धात्मक खंड में:—

"(१) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुए कामा के बीच में, कामा शब्द तथा अंक "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962." रख दिये जांय, यह इस अनुसूची में दिया है। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने उसकी जगह पर नहीं रखा है। उसमें है—

"Provided that secured debts which, in accordance with the provisions of section 8 of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952."

इसके बाद रख दिया है। "And" भी नहीं लिखा है और वैसे ही रख दिया है। कहते हैं उसी के बीच में रख दो। तो यह किस तरह से पढ़ा जायगा? दोनों ऐक्ट एक साथ रख दिए गए हैं। यानी दोनों लागू करना चाहते हैं या एक को लागू करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं है? इससे तो मतलब यह निकलता है कि यू० पी० जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट और और यह दोनों साथ साथ आप ला रहे हैं। इसको वहां पर रख दिया जायगा तो वह यों पढ़ा जायगा—

"Provided that secured debts which, in accordance with the provisions of section 8 of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952, as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962."

इस तरह से दोनों ऐक्ट साथ साथ हो जायंगे। धारा १९ में रिहैबिलिटेशन की जगह एम्युटी रख दिया है जबकि ऐन्युटी की परिभाषा कहीं नहीं दी है।

१९ (ए) में भी वही चीज है जो १८ में मैंने अभी बतायी थी। एक जगह लिख कर देख लें १८ तथा १९ दोनों के अन्दर दोनों ऐक्ट एक साथ रख रहे हैं। तो फिर ऐक्ट अमेन्डेड कहां रहेगा ? या तो यही रहेगा, इसी को रख लें या डेट रिडक्शन को ही रख लें।

श्री मैनेजर्सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रकाश हो जाय तो अच्छा है। तिवारी जी को देखने में कुछ कठिनाई हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रकाश तो भगवान देगा।

श्री हरिनाथ तवारी—हम यह उम्मीद करते हैं कि उस तरफ भगवान प्रकाश दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आप प्रार्थना कीजिये कि दोनों तरफ भगवान प्रकाश दें।

श्री मैनेजर्सिंह—श्रीमन्, इधर पढ़ने के लिये प्रकाश भगवान दें और उधर सोचने के लिये भगवान प्रकाश दें।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप समाप्त कीजिये। पहले आपको स्टडी करना चाहिये था। अब तो जो आप विचार करके आये हैं उसी पर बोलिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—मैं यह बतला रहा हूं कि इस विधेयक के अन्दर क्लाज वाइज क्या-क्या गलती है। अब इसमें दूसरा ऐक्ट है जो जमीदारों के ऋण को कम करने के लिये लाया गया है। वह जो उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ है। उसको भी आप रख रहे हैं। यह दूसरी अनुसूची में है।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, जो आप पहले से सोचकर आये हैं, वही आप कहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—अब मैं क्या बताऊं। मन्त्री जी ने इस विधेयक को चूं-चूं का मुरब्बा बना दिया है। इस विधेयक के अन्दर ६, ६ ऐक्ट लाकर रख दिये हैं। उनको अगर हम देखें नहीं तो यहाँ पर कुछ बतला नहीं सकते हैं। आप इसके शीर्षक और प्रस्तावना में भी संशोधन चाहते हैं। उसके अन्दर क्या चाहते हैं वह मार्जिन में मन्त्री जी कहते हैं कि बतलाया गया है। जो जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ है, उसके स्थान पर आप चेन्ज करना चाहते हैं। यहाँ पर वह चेन्ज नहीं हो सकता है। जब तक यह चेन्ज नहीं होगा आप संशोधन नहीं कर सकते। कल आपने कहा था कि वहां मार्जिन पर लिखा हुआ है। हमको वह कहीं दिखाई नहीं दिया। आप ५२ के स्थान पर ५७ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं मार्जिन में यह नहीं है। अब हम कैसे समझें कि ओरिजिनल में क्या है। जो हमको दिया गया है उसके अनुकूल यह नहीं है जो कि आप ऐड कर रहे हैं। जो आपने उद्धरण दिया उसको हमने देखा वह हमको कहीं नहीं मिला। हमने इस पुस्तक को देखा है। आप अमेंडमेंट मार्जिन में चाहते हैं, लेकिन इसके बाद जो इस के बाडी में लिखा हुआ ह, ऊपर लिखा हुआ है, वह सब क्या यंही रह जायगा ? और बातों को अमेंड करने के लिये कुछ नहीं कहा गया है। तो यह तो "क" के लिये हुआ।

अब आप "ख" को देखें। इसमें लिखा है कि जहाँ भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायं। तथा (ग) में है कि जहाँ भी शब्द तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५६" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी बात कहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—अब इसकी धारा ३ है कि यह तुरन्त ही लागू हो जायगा और इसमें कहते हैं कि यह १९३४ से लागू हुआ समझा जायगा। और इसकी सफाई कहीं नहीं की गयी है। यह दोनों बातें बिलकुल कन्ट्राडिक्टरी हैं। मेरा खयाल है कि इस प्रकार के विधेयक लाने के पहले काफी समझ लेना चाहिए, गौर कर लेना चाहिए। यह तीन-तीन ऐक्ट कवर करता है।

श्री उपाध्यक्ष—काउन्सिल ने इसको पास कर दिया है।

श्री हरिनाथ तिवारी—वही साथी यहाँ बैठे हैं। अगर यहां विचार नहीं कर सकते तो वहां भी विचार नहीं कर सकते। मैंने जब ब्रूट मेजारिटी की बात कही थी तो नाराज हो गये थे। सब को सीख देते हैं, लेकिन खुद वह बात नहीं मानते। "सीख वाको दीजिये जाको सीख सुहाय।" और हम बताते जायं और "भैंस खड़ी पगुराय" यह बात समझ में नहीं आती।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो तिवारी जी, मैं समझता हूं कोई बात रह नहीं गयी ?

श्री हरिनाथ तिवारी—हम कोई इरेलेवेंट बात नहीं कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आप पाज मत करिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—४-६ ऐक्ट हैं, देखना ही पड़ता है। अब (ग) है उसमें है "जहां भी शब्द तथा अंक '१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक 'उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६' रख दिये जायं।" तो यह फिट नहीं होता। पूरे प्रदेश के लिए यह लागू नहीं होता। यह कहा ही नहीं है कि यह उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगा।

अब खंड २ है, उसमें (ग) के पश्चात् लिखा है कि (गग) रख दिया जाय। लेकिन जब "(ग)" ही नहीं है तो "(गग)" कहाँ रखा जायगा ? ओरिजिनल में है ही नहीं तो कहाँ से उसके बाद रख दिया जायगा ? "(ग)" देते तो "(गग)" रखते। अब यह "(ङ)" के बाद रखा जायगा, कहाँ रखा जायगा ?

श्री लखीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसको वापस करा दीजिये और दोबारा शुद्ध करा कर इसको यहाँ लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—अब उसके बाद (ख) में है कि खंड (च) में अंक तथा शब्द "१ जुलाई, १९५२" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी आप और ज्यादा बोलेंगे ?

श्री हरिनाथ तिवारी—जी हां। अभी तो बहुत बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय हरिनाथ तिवारी, जरा जल्दी खत्म करें।

श्री हरिनाथ तिवारी—जल्दी ही खत्म कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धारा २ में यह (गग) के रूप में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके विषय में कह रहा था। श्रीमन्, यह ऐक्ट सन् १९५६ में बना था। उस समय से अभी तक यही लिखा

जाता है कि "निर्दिष्ट समय"। श्रीमन्, इसका तो पब्लिकेशन आदि सब हो चुका है लेकिन अभी भी वहां पर "निर्दिष्ट समय" रखा गया है यह ठीक नहीं है। यहां पर तो उसके स्थान पर स्पष्ट तरीके से फलां-फलां डेट लिखनी चाहिये थी। इसी तरह से और धाराओं में भी हर जगह निहित शब्द न लिख कर एक निश्चित डेट देनी चाहिये।

इसी प्रकार खंड ३ में भी वही "निहित" रखा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां-जहां भी "निहित" रखा गया है वहां उसको नहीं रहना चाहिये। उसकी जगह उसकी निश्चित डेट दे देना चाहिये।

आगे आप देखें कि धारा ५ में (ख) पर यह संशोधन है कि प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण निकाल दिये जायें। यह ठीक नहीं है। श्रीमन्, हिन्दू ला के कुछ प्रिंसिपिल्स हैं और उसको भी इसमें कवर कर लेना चाहिये। जो कुछ भी एक फादर के, या सन के, या फैमिली के राइट्स हैं, उनको आप निकाल देना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है कि इसको नहीं निकालना चाहिये।

इसी प्रकार जो और छोटे-छोटे संशोधन हैं जो नहीं होने चाहिये, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिये। उनको माननीय मंत्री जी दुरुस्त करने की कृपा करें।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुकदमे वकील के पास आते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक तो वे जिनमें बहुत से कागजात और रूलिंग्स की जरूरत नहीं है और वे बहस किये जा सकते हैं बिला तैयार किये हुए। दूसरे तरह के मुकदमे वे होते हैं जिनमें बहुत से डाक्यूमेंट्स हैं, बहुत सी रूलिंग्स हैं, इधर-उधर के हवाले हैं, हिसाब-किताब है, और जब तक उनको देखा न जाय तब तक वे समझ में नहीं आते। माननीय तिवारी जी का कहना ठीक है कि यह विधेयक महज इसे ही पढ़ने से समझ में नहीं आ सकता। इसके लिये जरूरी है कि कई अधिनियम सामने रख कर देखे जावें और पढ़े जावें, तब मामला हल हो जाता है। मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें हमने दो अनुसूचियां दी हैं। अगर पहली अनुसूची को छोड़कर पहले दूसरी अनुसूची को देखा जाय तो उसमें यह लिखा है कि जो ऋण कम करनेवाला कानून है, डेट रिडैम्पशन ऐक्ट, जो सन् १९५२ में पास हुआ था, उसमें हम क्या क्या संशोधन कर दें। इन संशोधनों को समझने के लिये जरूरत इस बात की है कि अधिनियम सामने रखा जाय और यह अधिनियम जो हिन्दी में है इसकी कापी मैं माननीय तिवारी जी को दे दूंगा, वह इसे देख लें। इसमें मार्जिन पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

श्री हरिनाथ तिवारी—केवल मुझे ही देने से काम नहीं चल सकता है। यह तो सारे सदन को. . . .

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—वह भी बताता हूं। इस विधेयक के साथ अधिनियमों के कुछ अंश दे दिये गये हैं। यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के कुछ सेक्शन और डेट रिडम्पशन ऐक्ट के कुछ सेक्शन इसमें दे दिये गये हैं। ये इस विधेयक के अंश नहीं हैं। केवल माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिये इतने कोटेशन्स दे दिये हैं। मगर असली अधिनियम को फिर भी देखना पड़ेगा। अगर असली अधिनियम में मार्जिन पर यह ऐक्ट लिखा हुआ है तो उसे हटाने की हमने कोशिश की है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में न आती हो। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम उत्तर प्रदेश नगर ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ की जगह होगा अधिनियम सन् १९६२। डेट रिडम्पशन ऐक्ट इस अधिनियम से संशोधित हो जायगा। तो जहां जहां ऋण कम करने वाला अधिनियम सन् १९५२ लिखा हुआ है वहां इतना और बढ़ जायगा कि जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है। अब आप देखें कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में जहां डेट रिडम्पशन ऐक्ट लिखा है वह इस अधिनियम से संशोधित हो जायेगा जब यह पास हो जायेगा। जब हम इसे लागू करने लगेंगे तो यह जरूर कहेंगे कि डेट रिडम्पशन ऐक्ट जैसा कि वह संशोधित हुआ है इस अधिनियम से। अनुसूची १ में जो संशोधन हमने दिये हैं उनमें जरूरी हो जाता है कि हम यह लिखें कि डेट रिडम्पशन ऐक्ट जैसा कि वह संशोधित हो गया है इस ऐक्ट के द्वारा।

अब अगर इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट का स्कोप देखें तो उसमें कोई नयी दरख्वास्त आप नहीं ला सकते हैं। उसमें धारा ४ में लिखा है कि १ साल में जितनी दरख्वास्तें होनी थीं वे हो गईं। अरबन एरिया के जमींदार इस नये इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में दरख्वास्त दे देंगे, ऐसा मंशा नहीं है। इकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में डिग्रियां हो चुकी हैं। वे अब दोबारा होने वाली नहीं हैं। ऋण कम करने वाले अधिनियम में क्लाजेज दिये हुए हैं। जो डिग्रियां हो चुकी हैं उन्हें कैसे कम कराया जा सकता है? इसकी धारा ४ आप देखें? डिग्री देने के पश्चात् न्यून करने का अधिकार। इनकम्बर्ड इस्टेट्स की डिग्री जमींदार कम करा सकता है। इस अधिनियम में शुरू में लिखा है कि यह किन केसेज में लागू होगा, उन जमींदारों को जिनकी जमींदारी सन् १९५०वाले अधिनियम के अनुसार जब्त हुई। अगर किसी जमींदार की जमींदारी इस अधिनियम के द्वारा ली गई है जो कि अरबन एरिया की है तो वह दफा ४ में कम कराने की दरख्वस्त नहीं दे सकता है। तो यहां यह किया जा रहा है कि वह जमींदार अपना कर्जा कम करा सके। जब तक हम यह संशोधन नहीं करते तो यह कह दिया जायगा कि सन् १९५२ वाला अधिनियम आपके केस में लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह जमींदारी वह नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य उन दोनों अधिनियमों को रख कर देखें और उनमे ये संशोधन कर लिये जायं तो मालूम हो जायेगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

अब हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें हवाला दे दिया गया है एमेंडिंग ऐक्ट का, तो या तो एमेंडिंग ऐक्ट रहे या वह ऐक्ट रहे। संशोधन विधेयक बजाते खुद पूरा नहीं है। वह यह कहता है कि फलां दफा में फलां संशोधन कर लिया जाय। अगर हम यह कह दें कि दो में से एक ऐक्ट रहेगा, तो इसके कोई मानी नही होंगे। तो हमेशा यही कहा जायगा कि मूल अधिनियम जैसा कि इस संशोधन विधेयक द्वार संशोधित हुआ है। तभी वह बात पूरी होगी। और यही किया गया है। "As amended by such and such Act" बढ़ाया गया है। दोनों चीजों को एक साथ पढ़ने से बात पूरी समझ में आवेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो दोनों अनुसूचियों में संशोधन दिये हुये हैं वह अगर उन ऐक्ट्स के हिसाब से देखे जायं, जिनके कि वे संशोधन हैं, तो आपको मालूम होगा कि उनमें से कोई भी अनुचित नहीं हैं, उनमें कोई गलती नहीं है। यद्यपि बाहर से देखने से यह मालूम होता है कि इससे उल्टा है, लेकिन अगर ठीक प्रकार से बिचार किया जाय और उन अधिनियमों को सामने रख कर देखा जाय, तब कोई गलती दिखाई नहीं देगी और वास्तव में कोई गलती है भी नहीं।

जिस, पर बहुत जोर दिया गया उस धारा २ को यदि आप देखेंतो मालूम होगा कि इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट की धारा २ में क्लाजेज 'एन' और 'ओ' हैं जिनको सन् १९५४ के ऐक्ट द्वारा बढ़ाया गया था। सन् १९५४ के ऐक्ट में जब यह क्लाजेज बढ़ाये गये तो जो सरकारी कापी है उसमें मार्जिन में 'एन' और 'ओ' के सामने लिखा हुआ है 'यू० पी० ऐक्ट १, १९५१।' अब इस संशोधन विधेयक द्वारा जब यह संशोधित हो जायेगा तो "यू० पी० ऐक्ट १, १९५१" के स्थान पर "यू० पी० ऐक्ट नं० ९, १९५७" लिख दिया जायगा। जहां वह नहीं लिखा गया है, तो उसको देखने से मुगालता हो सकता है।

इसी तरह से इसमें जो जो भी संशोधन हैं उनमें से प्रत्येक अपनी जगह पर सही है और अच्छी तरह से देख लिया गया है। अतः मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि वह इन दोनों फेहरिस्तों को पास कर दे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ तथा अनुसूची १ और २ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की माँग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री मैनेजरसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,इधर की तादाद उधर से ड्योढ़ी है । जब आप 'हाँ' अथवा 'ना' को ज्यादा बताते हैं तो जरा न्यायपूर्वक बताइये । आप जिस आसन पर विराजमान हैं, उसकी मर्यादा को रखिये और संख्या को ठीक-ठीक प्रकार से असेस करें ।

श्री रुम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, कल आपने फाटक बहुत जल्दी बंद करा दिया था, आज कृपया `र से बंद करायें ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्षमें —१०३,
विपक्ष में—८९ ।)

खंड ३

व्यावृत्ति
यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदश अधि-नियम संख्या १५, १९५३

३—यदि यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" का कोई उपबन्ध, इस अधिनियम द्वारा निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किया गया हो तो, जब तक कि कोई अन्य अभिप्राय प्रतीत न हो, वह निरसन, परिवर्तन या संशोधन—

(क) किसी ऐसी बात को फिर से प्रवर्तित न करेगा, जो उस समय प्रचलित या विद्यमान न रही हो जबकि निरसन, परिवर्तन या संशोधन प्रभावी हुआ हो,

(ख) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किसी उपबन्ध के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर, या तदन्तर्गत यथाविधि की गयी या हुई बात पर प्रभाव न डालेगा,

(ग) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किसी उपबन्ध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व पर प्रभाव न डालेगा,

(घ) उपर्युक्त किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के सम्बन्ध में, किसी ऐसे उपचार या किसी ऐसी जांच या वैधिक कार्यवाही पर प्रभाव न डालेगा जो इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व प्रारम्भ की गयी हो,

और यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" के उपबन्धों के अनुसार उक्त किसी भी उपचार को कार्यान्वित किया जा सकता है और उक्त कोई भी जांच या वैधिक कार्यवाही जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या १५, १९५३

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—पीछे, सब को एक साथ न लेकर एक एक लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसलिये मैं सबको एक साथ ही लेता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन हमको विरोध तो करना ही है। इसलिये आप कृपया एक-एक ही कर के लें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

सन्देह का निवारण, यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

४—संदेह के निवारणार्थ यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के किसी भी उपबन्ध के निरसन या संशोधन का निम्नलिखित पर प्रभाव न पड़ेगा :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७
य० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५४

(क) उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २५, [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अधीन स्वीकृत किये गये किसी ऐसे बंधक का बराबर बने रहना जिसमें बंधक की गयी संपत्ति का कब्जा बंधकधारी को सौंप दिया गया हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५४
यू ० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

(ख) ऋणी का किसी ऐसे किस्त के भुगतान का दायित्व जिसका भुगतान उसके द्वारा किये जाने का आदेश यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २७ या २८ [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अनुसार दिया गया हो, अथवा राज्य सरकार का उक्त किस्तों या उनके किसी भाग को यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २९ के अधीन मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५४

(ग) यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ३० या ३१ [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अधीन बन्धों को जारी करने के लिए पहले ही से दिये जा चुके आदेश का प्रवर्तन या उत्तर प्रदेश इन्कबमर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन पहले ही जारी किये जा चुके किन्हीं बंधों का बराबर बंध बना रहना,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

(घ) भूमि में स्वामित्वाधिकारों (proprietary rights) का ऐसा हस्तान्तरण अथवा विक्रय जो यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ३१, ३३ तथा ३४ [जो उत्तर प्रदेश इन्कबमर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के द्वारा निरस्त की गयी] के अधीन किया गया हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १९५४

(ङ) भूमि में स्वामित्वाधिकारों के हस्तान्तरण या विक्रय के लिए यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ३१, ३३ तथा ३४ के अधीन दिये गये किसी आदेश का प्रवर्तन जब उस आदेश के अनुसरण में स्वामित्वाधिकारों पर कब्जा, यथास्थिति, उस व्यक्ति का जिसे वे हस्तान्तरित किये गये हों या उनके क्रेता को दे दिया गया हो ; और

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

(च) वह भार जो यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ के अधीन प्रार्थना-पत्र दिये जाने के दिनांक के पश्चात् ऋणी की मृत्यु होने पर, अवैध सेटिल्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९५७ या यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० में किसी बात के होते हुए भी, यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४० के अधीन सृजित किया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९५७
यू० पी० ऐक्ट संख्या ७, १९२०
यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—११३,
विपक्ष में—१०२।)

खंड ५

५—किसी प्रलम्बमान कार्यवाही या जांच पर इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू०पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ तथा "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" की प्रवृत्ति को अथवा इस अधिनियम द्वारा उनके संशोधन के पूर्व उक्त अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ कोई भी न्यायालय या प्राधिकारी, यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ तथा "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" के उपबन्धों का ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ, जिससे मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, ऐसा अर्थ लगा सकता है जो उसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत विषय के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक या उचित हो।

न्यायालय और अन्य प्राधिकारी के अनुकूलन संबंधी अधिकार
यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३
यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन् डिवीजन के फल में बहुत ही नैरो मार्जिन रहा है, इसलिये आप कृपया लाबी में डिवीजन करावें, मेरी मांग तर्क के साथ है कि लाबी में डिवीजन हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं आप से निवेदन करूंगा कि गणना के फलस्वरूप आज सरकार अल्पमत में हो गयी है। अतः आप सदन को स्थगित करें और जब सरकार फिर से विश्वास प्राप्त कर ले तभी कार्यवाही होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह कैसे आप कहते हैं ?

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री यादवेन्द्रदत्त—लाबी में डिवीजन की मांग हुई थी। क्योंकि मार्जिन बड़ा नैरो है और गिनने में गलती हो सकती है, इसलिये लाबी में डिवीजन दें।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

(प्रश्न पुनः) उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—१३७,
विपक्ष में—१०४।)

खंड ६

कठिनाइयों को दूर करने के अधिकार

य० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३ ई०

६—राज्य सरकार किसी भी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए जो यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ अथवा "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" के उपबंधों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियमों के उपबन्धों में संक्रमण के संबंध में उत्पन्न हो, आदेश द्वारा,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३ ई०

(क) यथास्थिति, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" इस अधिनियम के आरम्भ के पश्चात् दो वर्ष की अवधि पर्यन्त ऐसे अनुकूलन के, चाहे वह परिष्कार के रूप में हो या परिवर्द्धन या लोप के रूप में, अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, जिसे राज्य सरकार आवश्यक या इष्टकर समझे; और

(ख) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जो उसमें निर्दिष्ट किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७

कतिपय अधिनियमों का संशोधन करके ऐसे मध्यवर्तियों के ऋणों को कम करने के लिए जिनके कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन अर्जित कर लिये गये हैं, और उससे सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए, व्यवस्था करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

त० शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋणविधि प्रवृत्ति अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

इस सम्बन्ध में बहुत कुछ निवेदन किया जा चुका है । अब मुझे ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं मालूम होती । हर खंड पर विचार हो चुका है इसलिये और मैं प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२....

एक सदस्य—इसे वापस लीजिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मुख्य मंत्री को २३७ आदमियों ने हस्ताक्षर करके इस विधेयक को वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा है । इस तरह से ४३० में २३७ इस विधेयक के विरोध में है । इसका स्पष्ट मतलब है कि सरकार अल्पमत में है और सदन का उसमें विश्वास नहीं है । इस कारण जब सरकार में विश्वास नहीं है तो वह विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकती । अगर वह विधेयक को प्रस्तुत करना चाहती है तो सदन का विश्वास प्राप्त करे तब वह विधेयक ला सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है । मेरी व्यवस्था सुन लें । आप बैठ जायं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—२३७ आदमियों ने दस्तखत करके दिये हैं । आपका एटीट्यूड बिलकुल एक स्कूल मास्टर का है । इस बात का मुझे बड़ा खेद है । पहले मेरी बात तो पूरी सुन लें तब आप व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने यही तो कहा है कि २३७ आदमियों ने हस्ताक्षर करके दिये हैं ।

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)—श्रीमन् .....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—शान्त रहिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—कांग्रेस दल के ६७ आदमियों ने भी इस प्रकार का परिपत्र दिया है मुख्य मंत्री को । उसमें कांग्रेस के मान्धाता सिंह जी ने तथा बाकी सदस्यों ने दस्तखत किये हैं । वह सूची लम्बी है और अध्यक्ष महोदय के पास है ।

एक निवेदन यह भी करना है कि ये जो हस्ताक्षर आज उपाध्यक्ष महोदय को समर्पित करने वे यह २ लाख ९६ हजार परिवारों के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके हस्ताक्षर से वह परिपत्र है और उसमें यह निवेदन है कि सदन क्यों इस बिल को (लैंड टैक्स बिल) वापस लें । मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है और आप इस पर अब व्यवस्था दें ।

---

†४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप मेरी व्यवस्था सुन लें। जो कोई बात सदन के बाहर हुई हो उससे सदन का कोई वास्ता नहीं होता। सदन का जब तक डिसीजन नहीं होता, तब तक वह बात नहीं मानी जा सकती इसलिये वह आउट आफ आर्डर है। माननीय राजस्व मंत्री।

श्री हुकुमसिंह विसेन—(मेजों के थपथपाने के मध्य) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—(व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे कृपया शान्त रहें और बैठ जायं।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। श्रीमन्, आपने अभी हमारे नेता जी के उत्तर में कहा है कि जो चीजें सदन के बाहर हुई हों, उनका यहां पर जिक्र नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे नेता सदन, माननीय चन्द्रभानु गुप्त को ये दस्तखत दो लिस्टों में दिये गये हैं (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री कृष्णपाल सिंह के खड़े रहने पर) उपनेता, विरोधी दल, आप विराजिये। इस पर मेरी रूलिंग हो चुकी है (श्री कृष्णपाल सिंह के बोलते रहने पर) आप विराजिये, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैंने जो रूलिंग दी है उसी पर आप बोल र हैं।

श्री कृष्णपालसिंह—अब ऐसी परिस्थिति इस सदन में उठ खड़ी हुई है.....

श्री उपाध्यक्ष—एक बात सुनिये। मैंने जो रूलिंग दे दी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं।

श्री कृष्णपाल सिंह—श्रीमन्, यह सूची सदन के अन्दर दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष—वह सदन की कार्यवाही में नहीं है। कोई कागज आप दे दें वह हाउस का डेसीजन नहीं होगा।

श्री कृष्णपालसिंह—आप नेता सदन से कृपया पूछिये।

श्री उपाध्यक्ष—कोई पूछने की जरूरत नहीं है। माननीय कृष्णपालसिंह जी, आप विराजिये।

[श्री कृष्णपालसिंह—मुझे बहुत खेद है कि यहां पर बैठ करके काम नहीं हो सकता और गुप्ता सरकार के विरोध में एक बार खड़े होना पड़ा। मुझे खेद है कि अब मैं बैठ नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप निश्चय कर के आये हैं कि इस तरह आप करेंगे तो मुझे बड़ा खेद है।

श्री कृष्णपालसिंह—मैं निश्चय करके नहीं आया हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनायी जा रही हैं कि कोई बात कहने नहीं दी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—एक रूलिंग हो गयी चाहे गलत या सही, लेकिन आपको रूलिंग माननी पड़ेगी और अगर आप नहीं मानेंगे....

श्री कृष्णपालसिंह—श्रीमन्, अब ऐसा अवसर आ गया है कि इस सदन को बारीकियों पर चलना बड़ा असम्भव हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप विराजेंगे नहीं तो मुझे दुःख के साथ आगे कुछ करना पड़ेगा।

श्री कृष्णपालसिंह—श्रीमन्, आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य करता हूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—तो अब आप सदन छोड़ दीजिये।

श्री कृष्णपालसिंह—मैं तो अपनी बात पूरी करना चाहता हूं।

श्री उपा क्ष—मैं माननीय कृष्णपालसिंह को इंगित करता हूं

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय कृष्णपालसिंह को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय कृष्णपालसिंह जी को एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय कृष्णपाल सिंह जी, आप सदन छोड़ दीजिये, बड़ी कृपा होगी आपकी।

श्री अवधनारायणप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रस्ताव उपस्थित होने से पहले मैंने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था। उसको सुनना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अवधनारायणप्रताप सिंह—श्रीमन्, आपको मानना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—राजा साहब जब सदन छोड़ देंगे उसके बाद में आपकी बात सुनूंगा।

(मार्शल के प्रार्थना करने पर श्री कृष्णपालसिंह सदन छोड़कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—श्रीमन्.....

श्री उपाध्यक्ष—कहिये आप क्या कह रहे हैं?

श्री मन्नालाल—श्रीमन्, यह हस्ताक्षर मुख्य मंत्री जी को सदन में दिये गये हैं, इसलिये आप व्यवस्था करें। मुख्य मंत्री जी जनतंत्र की दुहाई देते हैं। इसलिये आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—व्यवस्था के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा।

श्री मन्नालाल—श्रीमन्, देखिये.....

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, आप अगर रूलिंग के खिलाफ कोई बात कहेंगे तो मैं उसको सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री मन्नालाल—श्रीमन्, आपको सुनना पड़ेगा। आप व्यवस्था दें और इस बिल को वापस करायें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मन्नालाल जी, आप विराजिये नहीं तो सदन छोड़िये।

श्री मन्नालाल—श्रीमन्, इस बिल को वापस कराइये.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं श्री मन्नालाल जी को इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मन्नालाल जी को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय मन्नालाल जी को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । तदुपरान्त मार्शल के प्रार्थना करने पर श्री मन्नालाल सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर,....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जाइये ।

इस समय २ बजकर ४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

(.व्यवधान)

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस बिल को वापस कराइये ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, एक बात सुन लीजिये । आप बोल सकते हैं । आप बैठ जायें तो मैं आपको बतला दूं ।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, यह काला कानून है और यह उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—शारदानन्द जी, आप बैठ जाइये ।

श्री शारदानन्द—श्रीमन्, मैं बैठने के लिये तैयार नहीं हूं । यह काला कानून सदन में नहीं आ सकता है और मैं कहता हूं कि मैं बैठूंगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय शारदानन्द जी, अगर आप नहीं बैठते हैं तो मैं आपको इंगित करता हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय शारदानन्द जी को एक माह के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय ।

श्री शारदानन्द—श्रीमन्, मैं जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय शारदानन्द, एक बात सुन लीजिये । आप बैठ जाइये ।

श्री शारदानन्द—मुझे कुछ नहीं सुनना है । मुझे जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना है । मैं उसी आवाज को पहुंचा रहा हूं । यह मेरा अधिकार है ।

श्री राजा अवधेशप्रताप (जिला देवरिया)—एक प्वाइंट आफ आर्डर है, श्रीमन्,....

श्री अध्यक्ष—मैं सुनूंगा । मगर आप सुनने भी दें ।

श्री शारदानन्द—मैं सदन में बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का काश्तकार क्या चाहता है.....

श्री अध्यक्ष—आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह आप पूछ क्या रहे हैं ? इससे मालूम होता है कि आपने गलत इंगित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष—मैं कह रहा हूं कि बैठ जाइये । क्यों नहीं बैठते ?

श्री रक्षपालसिंह—कोई आदमी निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ है, आप सुनते नहीं हैं.....

श्री अध्यक्ष—मैं एक-एक शब्द सुनना चाहता हूं और मैं आदर से सुनना चाहता हूं.....

श्री शारदानन्द—मुझे जो इंगित किया गया है वह पहले वापस लीजिये। मैं काश्तकारों की जो आवाज ले कर आया हूं उस आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय शारदानन्द जी को एक माह के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री शारदानन्द—यह तानाशाही है, इस तानाशाही को अब उत्तर प्रदेश के काश्तकार बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। इस काले कानून को उत्तर प्रदेश के काश्तकार बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं। अगर हिम्मत है काश्तकारों के पास चलें तो आपको पता चल जायगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि जनतन्त्र की सरकार है, दूसरी तरफ आप जनतन्त्र का गला घोंटना चाहते हैं। हम लोगों का फर्ज है कि जनता की आवाज को आप के कानों तक पहुंचाएं ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१८२,
विपक्ष में—५३ ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय शारदानन्द सदन छोड़ें ? माननीय शारदानन्द आपको बोलने का अधिकार नहीं है ।

श्री शारदानन्द—मैंने आपसे शुरू में कह दिया कि मैं बोलूंगा। मैं बोलने के लिये सदन में खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष—मार्शल, माननीय शारदानन्द को सम्मानपूर्वक बाहर ले जायें।

(मार्शल के प्रार्थना करने पर श्री शारदानन्द सदन छोड़कर बाहर चले गये।)

श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—जरा एक बात सुनिये। मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा आप अपना नाम बता दीजिये ।

श्री पूरनलाल—मेरा नाम पूरनलाल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह बिल वापस करा दीजिये। यह बिल वापस किया जाय।

श्री अध्यक्ष—जरा एक मिनट मेरी बात सुनिये, मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री पूरनलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की जनता ने हस्ताक्षर करके भेजा है, जनता का गला घोंटा जा रहा है, यह बिल वापस किया जाय। मैं इसके विरोध में खड़ा हूं। यह बिल वापस किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इस प्वाइंट आफ आर्डर पर मेरी व्यवस्था भी सुनियेगा, पूरन लाल जी। आप बैठ तो जायें।

श्री पूरनलाल—जनता का गला घोटा जा रहा है....

श्री अध्यक्ष—तो मैं व्यवस्था तो दूं.....

श्री पूरनलाल—व्यवस्था आप क्या देंगे ? बिल वापस करा दीजिये, यही व्यवस्था है आपकी, अध्यक्ष महोदय। व्यवस्था यही है कि बिल वापस कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—तो मैं कुछ बोलूं या नहीं ?

श्री पूरनलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—एक बात सुनिये ।

श्री पूरनलाल—आप बिल वापस करा दीजिये, मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष—जरा आप सुन लीजिये ।

श्री पूरनलाल—आप बिल वापस करवा दीजिये। २३७ सदस्यों ने हस्ताक्षर करके भेजा है इसके विरोध में। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मुझे कुछ कहने दीजियेगा। आप कहते हैं कि मैं वापस करा दूं तो मुझे भी कुछ कहने दीजिये। प्वाइंट आफ आर्डर आपका यह है, आप चाहते यह हैं कि यह २३७.....

श्री कृष्णा—यही तो हम लोग कह रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—श्री कृष्णा, आप बैठिये। पूरनलाल जी, हमारी बात सुन लीजिये। आप कहते हैं कि २३७ सदस्यगण ने दस्तखत किये हैं, यही है न ? तो इस विधेयक को विचार करके २३७ आदमी वोट कर देंगे तो वापस हो जायगा। (व्यवधान) सुन लीजिये। वापस कराने का एक ही तरीका है, या तो सरकार वापस ले, या सदन पास कर दे कि यह वापस हो। दो में से एक ही बात हो सकती है। आप डिफीट कर दीजिये, यही तरीका संसदीय है। यह तो तरीका नहीं है कि आप मुझसे कहें कि वापस करा दीजिये। यह मेरे अधिकार की बात नहीं है यह तो आपके ही अधिकार की बात है। आप उस अधिकार को बरतें।

श्री पूरनलाल—मैं यह कह रहा हूं कि २३७ सदन के सदस्यों ने इसके विरोध में हस्ताक्षर करके दिये हैं और ढाई लाख लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—आप इस बिल को नापास कर दीजिये, यही तरीका है।

श्री पूरनलाल—यहां बहुमत के बल से आप उसे कैसे होने देंगे ?

श्री अध्यक्ष—२३७ आप कहते हैं इसके विरोध में है तो नापास करा दीजिये। अगर यह बिल नापास हो जाता है तो वापस लेने का प्रश्न कहां आयेगा? देखिये, प्रश्न तो आपके सामने मौजूद है। बिल आपके सामने आ गया।

अनेक सदस्य—अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—देखिये, माननीय राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि.....

अनेक सदस्य—नहीं किया है (शोर)।

श्री अध्यक्ष—आप एक बात कर लीजिये। आप कहते हैं कि अभी उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा है न ? तो अब अगर प्रस्ताव नहीं रखा है तो वापस क्या चाहते हैं ?

श्री पूरनलाल—आपने अनुमति दे रखी है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—वह प्रस्ताव रखें तब आप कहियेगा।

श्री पूरनलाल—वह रख ही नहीं सकते (शोर)।

श्री अध्यक्ष—(श्री पूरनलाल से) सुनिये, यदि उन्होंने अभी प्रस्ताव नहीं रखा है तो वे प्रस्ताव जब करें तब आप एतराज कर सकते हैं।

श्री कृष्णा—मैं कहता हूं कि इस पर आप चुनाव लड़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। मैं आदेश दे रहा हूं।

श्री पूरनलाल—यह बिल वापस कराइये।

श्री अध्यक्ष—एक बात हमारी सुन लीजिये। अगर उन्होंने सदन में प्रस्ताव विचार करने के लिये रख दिया है तो उस पर आप विचार करके हरा सकते हैं और अगर नहीं रखा है तो आप प्वाइन्ट रेज नहीं कर सकते।

श्री पूरनलाल—आप इस बिल की अनुमित न दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं अब आप बैठ जांय। अगर आप नहीं बैठते हैं तो मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री पूरनलाल—मैं तो यही कहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बैठते हैं तो कृपया सदन छोड़ दें।

श्री पूरनलाल—मैं यही कह रहा हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ दें।

श्री पूरनलाल—हमको यहां पर जनता ने बोलने के लिये भेजा है। हम सदन नहीं छोड़ सकते।

श्री अध्यक्ष—जनता ने आपको इसलिये नहीं भेजा है कि आप यहां पर अव्यवस्था पैदा करें।

श्री पूरनलाल—हम जनता की बात कहने के लिये यहां पर आये हैं।

श्री अध्यक्ष—अब आप सदन का त्याग कर दीजिये। आप कृपा कर बाहर जायं।

श्री पूरनलाल—हम जनता के नुमाइन्दे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं आखिरी मर्तबा आपको कहता हूं कि अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन का त्याग कर दें।

श्री पूरनलाल—मैं तो यही कहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—अगर आप सदन का परित्याग नहीं करते हैं तो मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और माननीय पूरनलाल जी को इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री पूरनलाल जी को एक मास के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री पूरनलाल जी को एक मास के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—(श्री पूरनलाल से) अब आप सदन के बाहर जायं।

श्री पूरनलाल—जनता ने मुझे यहां पर अपनी बात कहने के लिये भेजा है। हमारी बात यहां पर सुनी नहीं जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नियम के अनुसार जो बात आप कहना चाहें वह आपको एक मर्तबा नहीं १० मर्तबा कहने का अधिकार है।

श्री पूरनलाल—हम तो कह रहे हैं। सुनी नहीं जा रही है।

श्री अध्यक्ष—(श्री पूरनलाल से) आप इंगित हो चुके हैं। अब आप सदन के बाहर जायं। आप एक मास के लिये निलम्बित हो चुके हैं।

मैं मार्शल को आज्ञा देता हूं कि वह माननीय पूरनलाल जी को सदन के बाहर कर दे।

(मार्शल के प्रार्थना करने पर श्री पूरनलाल सदन छोड़कर चले गये।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे बड़ा दुख है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री ने विन्डिक्टिव एटीट्यूट अख्तियार किया है उसके बारे में मुझे शिकायत नहीं है परन्तु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि निलम्बन करने का प्रस्ताव श्री पूरनचन्द्र के लिये हुआ है या पूरनलाल के लिये ?

श्री अध्यक्ष—अगर उनका नाम पूरन चन्द्र है तो पूरन चन्द्र के लिये हुआ है और अगर उनका नाम पूरन लाल है तो पूरन लाल के लिये हुआ है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह रूलिंग आपकी किस नियम के अनुसार है ?

श्री चैतन्यराज सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, (व्यवधान) उस पर मुझे वैधानिक आपत्ति है या आज करने वाले हैं उस पर वैधानिक आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप आपनी बात कहिये।

श्री चैतन्यराजसिंह—जो प्रस्तुत बिल है उसका जो चार्जिंग क्लाज है ३ (१) उसे आप देखें ? उसमें लिखा है .....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह विधेयक यहां विचार के लिये प्रस्तुत हुआ ही नहीं तो यह आपत्ति आप कैसे सुन सकते हैं, यह मैं आप से जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—आप का खयाल है कि प्रस्तुत नहीं हुआ, माननीय सदस्य का खयाल है कि प्रस्तुत हो चुका है।

(अनेक सदस्य—प्रस्तुत नहीं हुआ, नहीं हुआ है।)

श्री अध्यक्ष—इसका सबूत तो कार्यवाही में मिल जायगा।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त—हम लोगों ने तो सुना ही नहीं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यहां था कि क्या सरकार जो माइनारिटी गवर्नमेंट हो गयी है, वह यह बिल सदन में प्रस्तुत कर सकती है या नहीं ? पहला, प्रश्न तो यही है।

श्री चैतन्यराजसिंह—जब आदरणीय सदन की राय है कि बिल प्रस्तुत ही नहीं हुआ तो जब प्रस्तुत हो तो मुझे आपत्ति उठाने का मौका दिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विरोधी दल के नेता बार-बार चर्चा करते हैं कि यह गवर्नमेंट माइनारिटी गवर्नमेंट है। तो मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि आज भी यह गवर्नमेंट उतनी ही मेजारिटी में है जितनी कि पहले थी।

(व्यवधान—शोर)

श्री अध्यक्ष—मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर अब बीच में कोई शख्स बोलेगा तो मुझे विवश हो कर उस के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैंने माननीय रक्षपाल जी को बोलने के लिये पुकारा है।

(व्यवधान—इस समय बहुत से सदस्य खड़े हो गये और एक साथ जोर-जोर से बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—जो विरोधी दल के लोग खड़े हुये हैं वह कृपा कर सदन छोड़ दें।

(व्यवधान—विरोधी दल के सदस्य जोर-जोर से बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—सोशलिस्ट दल वाले बाहर जायं। सदन छोड़ दें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप उसको सुन लें। आप तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने रक्षपाल जी का नाम पुकारा था।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं उस समय बैठ गया था।

श्री अध्यक्ष—मैंने रक्षपाल जी को बुलाया है। अगर उनको सुनना चाहते हैं तो आप बैठ जायं।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—मैंने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, पहले मैं बोलूंगा।

श्री रक्षपालसिंह—पहले तो आप माननीय मुख्य मन्त्री से कहें कि वह अपने अपशब्दों को वापस ले लें, उसके बाद मेरे ४ व्यवस्था के प्रश्न और हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल ने चैलेंज किया कि यह गवर्नमेंट.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जिस प्रकार उन्होंने अनवाण्टेड शब्दों को यहां पर कह दिया, बिना नाम पुकारे हुए उसको आपने कैसे एलाऊ किया?

श्री अध्यक्ष—आप भी बगैर पुकारे खड़े हो जाते हैं, तो कोई भी हो सकता है।

(श्री यादवेन्द्रदत्त के खड़े होने पर)

नेता विरोधी दल, मैं आप का बहुत ही आदर करता हूं, इस नाते कि आप विरोधी दल के नेता हैं। आप की बात मेरे लिये सुनना आवश्यक है। इस सदन की मर्यादा है कि नेता सदन और विरोधी दल का आदर किया जाय और हम करते हैं, लेकिन दल के नेता का कर्त्तव्य है कि वह अपने साथियों को कम से कम अपने लिमिटेशंस के अन्दर रखें (श्री टम्बेश्वरी प्रसाद के खड़े होने पर) आप बैठिये।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने निलंबन का प्रस्ताव रखा था, उसमें मैं संशोधन उपस्थित करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे सुना नहीं, इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—उसके संशोधन का प्रश्न नहीं है, वह समाप्त हो गया, वह वापस नहीं आ सकता। अब आप बैठें, आप उठा चुके।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में जो कार्यवाही हो रही है, उससे साफ़ मालूम होता है कि यह सदन कंट्रोल में नहीं है और यहां की सरकार इसको नहीं चला सकती है तो राज्यपाल महोदय से आप के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वह इस राज्य का संचालन अपने हाथ में ले लें।

श्री अध्यक्ष—सदन नहीं चल रहा है तो हमें आंखें खोल कर देखना होगा कि किसके कारण नहीं चल रहा है। मैं हर एक आदरणीय सदस्य को सुनने के लिये तैयार हूं, लेकिन एक-एक कर के बात करें।

अब मेरे सामने केवल एक प्रश्न रखा गया कि २३७ सदस्यों ने सरकार के विरोध में हस्ताक्षर कर दिये हैं। अब उसके दो तरीके हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने अगर प्रस्ताव को पेश कर दिया है तो उस सूरत में आपको अधिकार होगा कि विचार-विनिमय के पश्चात् आप उसको डिफ़ीट कर दें। अगर उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया तो जो प्रस्ताव हमारे सामने रखना चाहते हैं वह आ नहीं सकता। तो दोनों सूरतों में आप को अधिकार और कोई बात करने का नहीं है सिवाय इसके कि जो चैतन्यराजसिंह ने शुरू किया था वह करें।

(अत्यधिक शोर)

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय विरोधी दल के नेता सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि यह सरकार बहुमत में नहीं है, तो उधर से माननीय मुख्य मन्त्री ने उठ कर कहा कि यह सरकार बहुमत में है। अभी हाउस आफ कामन्स में जो विरोधी दल के नेता हैं, मिस्टर गैटास्किल, उन्होंने अपने यहां ई० सी० एम० के प्रश्न पर मांग की है कि रिइलैक्शन हो जाय। तो यहां पर भी यह अच्छा होगा कि जोत के प्रश्न को लेकर फिर से इलेक्शन करा दिया जाय ताकि मालूम हो जाय कि कौन बहुमत में है, कौन नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था, और इस तरह का व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आप को इस बात का मौका है कि आप यह साबित कर दें कि सरकार बहुमत में नहीं है। इस तरह से एक दो माननीय सदस्य के कहने पर कुछ नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि सरकार बहुमत में नहीं है तो आप नो कान्फीडेन्स मोशन ला सकते हैं। यह केवल शोर मचाने से नहीं हो सकता। (व्यवधान) अब माननीय राजस्व मंत्री अपना भाषण शुरू करें।

(राजस्व मंत्री के उठने पर कई सदस्य खड़े हो कर जोर जोर से बोलते रहे और मेज थपथपाते रहे।)

श्री अध्यक्ष—मैंने राजस्व मंत्री जी को बुलाया है, आप लोग कृपया बैठिये। (सदस्यों के न बैठने पर) अगर आप बैठना नहीं चाहते, तो कृपया सदन को छोड़िये। माननीय कृष्ण जी, आप सदन छोड़िये, आप कृपया सदन छोड़िये। (श्री कृष्णा के सदन न छोड़ने पर) मैं माननीय कृष्णा को इंगित करता हूं (अत्यधिक शोर के बीच)।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री कृष्णा को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय (शोर)।

श्री अध्यक्ष—(शोर के बीच) प्रश्न यह है कि श्री कृष्णा को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(शोर के बीच प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय कृष्णा जी, आप कृपया सदन छोड़िये, आप एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये गये हैं। (श्री कृष्णा के सदन से बाहर न जाने पर) मार्शल, श्री कृष्णा को सम्मानपूर्वक बाहर ले जाओ।

(मार्शल के प्रार्थना करने पर श्री कृष्णा ने सदन छोड़ने से इन्कार किया और अपने स्थान से बराबर भाषण करते रहे।)

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय कृष्णा मार्शल के कहने पर सदन नहीं छोड़ेंगे तो मुझे दुःख होगा और पुलिस को बुलाना पड़ेगा। (शोर)

श्री कृष्णा—आपने कहा था कि पुलिस नहीं बुलायी जायेगी। आप अपने वचनों का आदर करें। यह बड़ा अन्याय है.....

(अत्यधिक शोर के बीच श्री कृष्णा बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—माननीय कृष्णा, आपको बोलने का अब कोई अधिकार नहीं है और आप सदन से बार-बार कहने पर भी बाहर नहीं जा रहे हैं। मार्शल इनको बलपूर्वक सदन से बाहर ले जायं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—श्री कृष्णा जी आप सदन छोड़ें। आपको सदन छोड़ना पड़ेगा।

(इसके उपरान्त पुलिस के कुछ सिपाही मार्शल के साथ सदन में आये और श्री कृष्णा को उठाकर सदन से बाहर ले गये।)

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—श्रीमन्, आपके इस कुर्सी पर विराजमान होते हुए यह अत्याचार हो रहा है। यह हाउस आफ कामन्स की मिसाल के विपरीत है। मुझे बड़ा खेद है कि आपके यहां होते हुए सदन में पुलिस आई।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें। श्रीमन्, सदन में आपने पुलिस बुलाई, मैं समझता हूं यह आपने उचित नहीं किया। क्या आप हाउस को एडजर्न करके यह नहीं कर सकते थे?

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष—क्या यह परम्परा अच्छी है जो इस समय इस सदन में हो रही है। आप शोर मचायें, मैं आदेश दूं उसका पालन न करें और फिर आप यह कहें। मैं कहता हूं कि आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या आप इसका मुझे उत्तर देने का अवसर देंगे?

श्री अध्यक्ष—उत्तर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरा काम सदन को चलाना है। अगर अव्यवस्था होगी तो मेरे सामने दो ही सूरतें हैं कि या तो सदन को स्थगित कर दूं—यहां ४०० आदमी मौजूद हैं अब आप स्वयं देख लीजिये कि सदन के स्थगन के पक्ष में कितने हैं और उसके विरुद्ध कितने। अगर अधिकांश सदस्य सदन के बैठने के पक्ष में हैं तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का अधिकार किसी को नहीं है और कार्यवाही चलती रहेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, हमारे लिये आप पुलिस ही बुला लेते हैं या हमको सुनते भी हैं?

श्री बलवान्तसिंह (जिला कानपुर)—यह बिल जो आने वाला है उसको पेश करने के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी को आपने पुकारा।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनको भाषण के लिये बुलाया था।

श्री बलवानसिंह—इस बिल के विरुद्ध इस वक्त सभी दल हैं, स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इस समय खामोश हैं। हमारे प्रान्त की साढ़े ६ करोड़ जनता का एक-एक बच्चा इससे नाराज है। लाखों आदमियों के खिलाफ़ में दस्तखत हुए हैं। नेता विरोधी दल ने बताया कि २३७ उधर के लोगों ने इस पर दस्तखत किये हैं। यह अब यू० पी० का ही सवाल नहीं रह गया है, सारे हिन्दुस्तान का सवाल हो गया है। प्रधान मन्त्री तक यह सवाल गया। इस पर जो माननीय नेता सदन ने चैलेंज किया, उस को नेता विरोधी दल ने स्वीकार किया है कि इलेक्शन इस प्रश्न पर करा लिया जाय। सरकार इसी प्वाइंट पर जनता के सामने आये कि इस सूबे की जनता के ऊपर यह टैक्स लगाया जाय या नहीं। नेता विरोधीदल ने उस चैलेंज को स्वीकार किया है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो जो प्रश्न मैंने उठाया था और उस सम्बन्ध में जो बातें आपने कही हैं, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। आपने यह कहा कि "मैं शोर मचा रहा हूं"।

श्री अध्यक्ष—मैंने यह नहीं कहा।

अनेक सदस्य—आपने कहा, आपने कहा।

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि "आपके दल की तरफ से शोर हो रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं।"

श्री यादवेन्द्रदत्त—जब आप हाउस को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्या कंट्रोल करता....

श्री अध्यक्ष—अगर यह बात है और सदन में अगर आप कहने के लिये तैयार हैं कि आप अपने दल को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो....

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैंने क्या कहा? मेरी बात तो सुन लें। मैं सदस्यों की भावना को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

भागते क्यों हो? माननीय मुख्य मंत्री भाग कर नैनीताल चले गये, क्योंकि यहां खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—अच्छा, एक बात सुन लीजिये। मैं स्पष्ट निवेदन कर दूं ताकि भ्रम न रहे। अगर दलों ने जिनको मैंने रिकग्नीशन दिया है, उनके नेता अपने सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर सकते और नहीं करते, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि रिकग्नीशन जो मैंने दिया है उसे जारी रखूं या विदड्रा कर लूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आपने नहीं दिया है।

एक सदस्य—कोई परवाह नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे आप कुछ कहने दें। जो आपने प्रश्न उठाया कि इस तरफ शोर मचाया जा रहा है, इसके माने यह कि मैं शोर मचवा रहा हूं, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपील करें अपने साथियों से कि वे शोर न मचावें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अगर माननीय मुख्य मन्त्री चुनौती में विश्वास करते हैं तो वे इस ईश्यू पर इस्तीफा दें और इसी ईश्यू पर सारे सूबे में जनरल एलेक्शन करा लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—देखिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं किसी की भावना को नहीं रोक सकता, विशेष कर इस टैक्स पर।

लैंड टैक्स लगाने के इश्यू पर ही मैं उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिये तैयार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विरोधी दल इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार होंगे, अगर माननीय मुख्य मंत्री इस्तीफा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल, प्रश्न यह है कि मैं यहां पर इसलिये नहीं हूं कि इस इश्यू पर बाहर क्य हो रहा है, या अन्दर क्या हो रहा है, इसे देखूं, यह मेरे अधिकार की बात नहीं है। मेरे सुपुर्द सिर्फ एक काम है और वह यह कि यह सदन के समय का ठीक तरीके से इस्तेमाल हो नियम के अनुसार। जहां मैं गलती करूं आप बतलावें, लेकिन इस वक्त कर्त्तव्य यह है कि नियमों के अन्तर्गत....

(श्री उमाशंकर के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उमाशंकर जी, बीच बीच में आप कई बार बोल पड़ते हैं, मैं आप को वार्न करता हूं कि आप बीच में ज्यादा न बोलें। आप इस वक्त बैठ जायं, मैं बोल रहा हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि नियम के अन्तर्गत हमें विचार विनिमय करना चाहिये। अगर आप का यह दावा है और ठीक हो सकता है कि आपके पक्ष में बहुमत हो, तो निश्चय ही सरकार हार जायगी और अगर आपके पक्ष में बहुमत नहीं है तो केवल इस आधार पर आपके क्लेम पर वापस हो जाय....नहीं हो सकता। आप के शोर करने की वजह से प्रस्ताव का पेश होना सुनाई नहीं दिया, यह तो गलत बात है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो इस बिल के प्रस्तुत होने का सवाल है, मैं समझता हूं कि वह प्रस्तुत हो चुका है।

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—नहीं, नहीं।

श्री रक्षपालसिंह—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है, सर।

(श्री बलवानसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—माननीय बलवानसिंह जी, आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूं। अगर आप को कुछ कहना हो और कोई प्वाइंट आफ आर्डर हो तो कहें, वरना बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मुझे तो आप कुछ कहने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री बलवानसिंह जी, आप बैठ जायं, श्री काशीनाथ जी बोलेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर, या व्यवस्था का सवाल इस आदरणीय सदन के संचालन के विषय में है। आपके द्वारा यहां जितने माननीय सदस्य इंगित किये गये वे लोग कितने दिनों के लिये निलम्बित किये जायं, हमारी प्रक्रिया नियमावली इस पर बिलकुल साइलेंट है। जिस प्वाइंट पर हमारी प्रक्रिया नियमावली साइलेंट है वहां हाउस आफ कामन्स का हवाला दिया जाता है कि अगर कोई पहली बार उल्लंघन करेगा तो वह ५ दिन के लिये निलम्बित होगा तो हमारे मुख्य मन्त्री जो ने किस नियम के अनुसार आज सब सदस्यों को जो निकाले गये हैं एक मास का प्रस्ताव उन के विरुद्ध लाये? इस पर मैं आप की निश्चित व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—हाउस आफ कामन्स में इस सम्बन्ध में स्टैंडिंग आर्डर्स हैं। नम्बर २१, २२, २३ इस सम्बन्ध में हैं और २२, २३ में निश्चित रूप से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव हो या न हो, अगर पहली बार इंगित होगा तो वह आटोमेटिकली ५ दिन के लिये हो जायगा और दूसरी बार आटोमेटिकली २० दिन के लिये हो जायगा और उसके बाद पूरे सेशन के लिये हो सकता है। अब हमारे यहां उन स्टैंडिंग आर्डर्स के स्थान पर नियमावली है और हमारे नियम में दिया है कि "जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जाय नेता सदन तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि उस सदस्य को ऐसी कालावधि के लिये जिसका प्रस्ताव में उल्लेख हो, सदन की सेवा से निलंबित किया जाय"। हमारे ऊपर उन नियमों के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि कितने दिन के लिये कौन व्यक्ति निलंबित किया जाय। यह नेता सदन पर है कि वह परिस्थिति और माननीय सदस्य का तरीका देख कर अपने स्वविवेक से प्रस्ताव रखें। उसके बाद सदन को अधिकार है कि वह उसको स्वीकार करे या न करे। अब एक मास का जो निलंबन सदन ने स्वीकार किया है वह सदन का आदेश हो गया और अब उस पर कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

अब श्री झारखंडे राय कहें क्या कहना चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—हमारी दूसरी बात तो सुन ली जये....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, हमने श्री झारखंडेराय को बुला लिया है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय विवाद का हो गया है वह एक मेजर पालिसी मैटर है। आप ने बहुमत और अल्पमत जानने की एक बात कही, लेकिन यह मसला बहुत गम्भीर और गहरा है और मौजूदा कांग्रेस सरकार जिसकी ओर से बिल लाने की बात है इस कांग्रेस पार्टी को पिछले आम चुनाव में केवल ३४ प्रतिशत वोट मिले और वह लोग जो मौजूदा बिल के विरोध में हैं उनको ६६ प्रतिशत कुल मिलाकर वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी के एलेक्शन मैनीफेस्टो में भी इस मेजर पालिसी के विषय में कोई जिक्र नहीं था जिससे कि जनता महसूस करती, जानती और समझती कि उसके ऊपर भविष्य में टैक्स बढ़ेंगे, और उसके बारे में अपना मत प्रकट करती। जब सभी अपोजीशन के दल इसके विरोध में हैं तो इसका तो मतलब यह है कि नैतिक रूप से और बुनियादी तौर पर जनता का बहुमत इस बिल के इस रूप में लाये जाने के विरोध में है। इस बिल का कांग्रेस पार्टी में बहुत तीव्र मतभेद है और यह बात किसी से अब छिपी नहीं रह गई है कि कांग्रेस केबिनेट में, सूबा कांग्रेस कमेटी में, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में तथा विधान मंडल कांग्रेस दल में इसका तीव्र विरोध हो रहा है। बहुत-सी जिला कांग्रेस कमेटी और मंडल कांग्रेस कमेटियों ने इसके विरोध में प्रस्ताव पास कर के अपनी संस्था और सरकार के प्रमुख नायकों के पास विरोध-पत्र भेजे हैं। अनेक कांग्रेसजनों का खुला वक्तव्य, विरोध में, समाचारपत्रों में आ चुका है। अनेकों खंड विकास समितियां तथा अनेकानेक ग्राम सभाओं ने विरोध प्रस्ताव पास किया है। प्रदेश से चुने संसद् सदस्यों से भी इस पर राय लेनी चाहिये थी। मेरा विश्वास है कि यदि सदन के सदस्यों को वोटिंग की इन्डिविजुअल आजादी दे दी जाय और सभी दल के सदस्यों पर से पार्टी ह्विप हटा दिया जाय तो इस सदन के बहुमत सदस्य लोग इसके विरोध में निकलेंगे। इस तरह से यदि बिना पार्टी के नियंत्रण के इस पर स्वतंत्र वोटिंग कराई जाय तो मेरा विश्वास है कि अपार बहुमत इसके विरोध में होगा। ऐसी हालत में मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री से कि आज प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा बहुमत इसके पक्ष में नहीं है। फिर भी अगर यह बिल लाने की कोशिश की जा रही है तो मुझे यह डर है कि यही तरीका अनजाने में फ्रासिज्म के लिये रास्ता प्रशस्त करता है।

दूसरे बहुमत का अनादर होता है। प्रजातंत्र, जिसके ऊपर भारतीय संविधान खड़ा है और उस पर हम सब की मान्यता है, उसके बुनियादी अधिकारों की आत्मा का हरण होता है और साथ-साथ जनमत के अनादर के साथ या तो जनता में मायूसी पैदा होगी अथवा स्पोरेडिक

ऐक्शन्स और आतंकवादी भावनाएं पैदा हो सकती हैं जो दोनों आज की स्थिति में देश के भविष्य के लिये अंधकार का रास्ता होंगी। इसलिये मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री और उनकी सरकार या तो इस बिल को मौजूदा फ़ार्म में बिल्कुल वापस कर ले और फिर नये सिरे से विचार करके १, २ महीने के बाद नया बिल लाये, उनका अधिकार है। अथवा अगर वह बिल्कुल इस जिद पर अड़ी है तो ऐसे बुनियादी मसलों पर आम चुनाव भी हो जाया करते हैं, वे हो जायं। अथवा टेस्ट के लिये २, ४ आदमी इधर के और उधर के तय कर के चुनाव लड़ लें और उसमें जो जनता का मत प्रकट हो उस जनमत को देखने के बाद सरकार बिल लाये अथवा न लाये। मेरा दृढ़ मत है और मैं मांग करता हूं कि अब इस रूप में यह बिल नहीं लाना चाहिये। इसका नैतिक और मौलिक अधिकार सरकार को नहीं है। अतः सरकार को इसे अविलम्ब वापस कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं पूछना चाहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शायद आप बोल रहे हैं, मेरे लिये प्रश्न यह है कि मैं क्या करूं। यह बहस, तर्क आपका ठीक हो सकता है, सही हो सकता है कि कांग्रेस को ३४ प्रतिशत वोट मिले, अधिकांश विरोधी दलों को मिले। लेकिन आज कोई विरोधी दल ऐसा यहां पर उपस्थित नहीं है जो शासन अपने हाथ में ले सके।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह गलत है।

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी आप बैठ जायं। प्रश्न यह है कि वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है कि हुकूमत चला सकते हैं। सवाल तो यह है आपके साथ कितने आदमी हैं और इस सदन में कितने आदमी हैं, यह देखना है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय गुप्त जी के साथ ६८ आदमी थे और उन्होंने सरकार चला ली।

श्री काशीनाथ मिश्र—दस्तखत पढ़ लें कितने आदमी हैं मुख्य मंत्री के साथ, मालूम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—यही सही है आप बैठ जायं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपर)—श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप मेरी पूरी बात सुन लें।

कुंवर श्रीपालसिंह—जितना आप कहें, उतने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—एक-एक शब्द का जवाब नहीं दिया जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं जवाब नहीं चाहता हूं। यह जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री बतला दें जो २३७ आदमियों के दस्तखत इनके पास हैं कि बिल वापस कर लें, क्या वह गलत है?

श्री अध्यक्ष—मेरा निवेदन यह है, साधारण शिष्ट समाज का यह नियम होता है...

(सरकारी पक्षमें आपस में बातचीत करने पर)

सताड़ दल में होते हुये भी आपको नहीं मालूम कैसे बैठना चाहिये। मैं बात कर रहा हूं और आप गपशप कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—उनको निकलवाइये।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। मैं नम्रता से कह रहा था कि एक शिष्ट समाज का यह नियम है कि यदि एक व्यक्ति एक स्थान एक पद पर है तो हम उससे कितने ही असहमत क्यों न हों, हम कितना ही विरोध अपने हृदय में क्यों न रखते हों शिष्टता, भद्रता इस बात का

[श्री अध्यक्ष]

तकाजा करती है कि जो बात वह कहना चाहें उसको बहुत शांतिपूर्वक सुन लें। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा न हो कि दुनिया यह कहे कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का केंद्र, लखनऊ जो कि तहजीब के लिये मशहूर है वहां पर यह सब हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री को आप सुनना चाहें तो मैं माननीय मुख्य मंत्री को बुलाऊं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुःख है कि मेरे सम्मानित मित्र झारखंडे राय जी ने फासिज्म की चर्चा की। फासिज्म दुनिया में किस तरह से आया है आज उसका नग्न दृश्य इस सदन में, वह अगर नहीं देख सके और उसके सिलसिले में उन्होंने कुछ विचार प्रकट नहीं किये, इसके मेरे हृदय को बहुत आघात लगा है। जो तरीका आज इस सदन में कुछ साथी बरतना चाहते हैं और गणतंत्र की परम्पराओं का विरोध करना चाहते हैं वह वही तरीके हैं जो हमारे बीच में फासिज्म लाते हैं।

एक बात उन्होंने कही कि हम ३४ फीसदी वोट से आये हैं। हमने भी कभी नहीं कहा कि हम ६० फीसदी से आये हैं, लेकिन गणतंत्र के तरीके हैं और सारे देश में व प्रदेशों में गणतंत्र के वही तरीके अपनाये जाते हैं। हम आये क्योंकि हमारा दल अधिक संख्या में चुन कर आया और विधान के अन्तर्गत उस दल ने इस हुकूमत की बागडोर को संभाला और आज भी उसी बहुमत से हम यहां हैं जिस बहुमत से उस दिन आये थे और जिस दिन हमने सरकार को संभाला था। आज यदि उस दल की तरफ से विधेयक प्रस्तुत होता है तो इस सदन का कर्तव्य है कि जो उस विधेयक के संबंध में बातें कही जायं उनको सुना जाय और जो संशोधन उपस्थित किये जायं तो उन्हें पेश किया जाय और जो इस सदन के तरीके हैं उनके द्वारा उस विधेयक के विषय में विचारों का आदान प्रदान किया जाय। यह कौन सा तरीका और कहां का तरीका है कि चन्द व्यक्ति उठ कर खड़े हों और नेतागण कुछ न कहें और बाद में यह कहें कि हम तो कुछ कर नहीं रहे थे। यदि नेतागण जैसा कि मैं इस सदन में उस मर्तबा कह चुका हूं अपने पीछे बैठे हुये साथियों को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। हम इस गणतंत्र को नहीं चला सकेंगे और गणतंत्र के चलाने में असफल हो जायेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—इस पर प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप बैठिये। जवाब दे दीजियेगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं झारखंडेराय जी से कहना चाहता हूं कि जो कुछ हम कर रहे हैं और जो हम टैक्सेशन मेजर्स ला रहे हैं वह एक प्रोग्राम के अन्तर्गत है। उस प्रोग्राम को देश के नियोजन आयोग ने देश और प्रदेश की योजनाओं के लिये मंजूर किया है। उसके विचारों के अन्तर्गत हम सारे प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कोई अनोखा प्रदेश नहीं है जहां देहात के क्षेत्र में टैक्स लगने का प्रश्न उठा हो। आज हमारे सारे देश व प्रदेशों में विभिन्न ढंगों से रूरल ढंगों से रूरल सेक्टर पर टैक्स लगाया जा रहा है और यदि उत्तर प्रदेश में सरकार वह कार्य कर रही है तो कोई अनोखा कार्य नहीं कर रही है।

प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में यह विषय उठाया। मुझे लिखा और मुझे से कहा कि मुझे इस विषय पर फिर से प्लानिंग कमीशन से बात करनी चाहिये, फिर से लाल बहादुर जी से बात करनी चाहिये। प्लानिंग कमीशन के समक्ष में और मेरे साथीगण गये और उन्होंने हमें सुझाव दिया और उनके सुझावों से और आगे इस विधेयक के अन्दर हम बढ़ गये हैं। इस सदन में जो हम इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं अगर माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि वे बहुमत में हैं तो वे इस विधेयक को गिरा सकते हैं, लेकिन राजा साहब और अन्य विरोधी दल जो यह सोचा करते हैं कि इस दल में दरार आ गयी है तो वे इस भ्रम में न पड़ें। मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि वे इस भ्रम में न पड़ें। यह दल जिस बहुमत में था जब इसने सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से उसी बहुमत में यह आज भी है और यह रहेगा।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में दखल नहीं देना चाहता था इसलिये कि पहली वजह यह थी कि इतना शोरगुल था कि मैंने यह समझा कि अगर मैं बोलूंगा तो एक नक्कारखाने में तूती की आवाज होगी इसलिये बोलना ही बेकार होगा। दूसरी वजह यह थी कि अगर कोई बहस की जाय तो एक ऐसे वातावरण में की जाय जबकि हम एक दूसरे को समझ सकें। वह वातावरण भी नहीं था। लेकिन कुछ प्रश्न उठ गये हैं जिनके बारे में मैं दो, तीन मिनट में अपने नजरिये को रख देना चाहता हूं।

सवाल यहां यह उठा है कि कौन बहुमत में है और कौन अल्पमत में है। मैं समझता हूं कि हम कांग्रेस से कितना भी एख्तलाफ क्यों न रखते हों लेकिन हकीकत यह है कि आज असेम्बली में कांग्रेस बहुमत है और हम अल्पमत में हैं और गवर्नमेंट की कार्यवाही वैधानिक तरीके से जाहिर है कि जो असेम्बली में बहुमत में होगा वही चलायेगा, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। यह दूसरी बात है कि हम उस बहुमत की नीति को न मानें और आगे चल कर हम उसको चुनाव के अन्दर बदल दें, लेकिन आज हम यह दावा नहीं करते कि इस सवाल के ऊपर अगर हम यहां लड़ते रहेंगे तो सरकार को बदल देंगे या आल्टरनेटिव सरकार बना देंगे। मैं तो जो विशेष नजरिया है उसी के ऊपर कहूंगा। अगर कोई भाई कहें कि आज इस यू० पी० के अन्दर हम सरकार बना लेंगे तो मैं इसे गलत समझता हूं। मैं मसले को उलझाना नहीं चाहता। सीधा मसला यह है कि टैक्स किस पर लगे और किस पर न लगे। इस पर आपस में बात होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि अच्छे वातावरण में यह बहस हो। आज जो यहां तूफान मचा या जो प्रोटेस्ट हुआ, मैं जाती तौर पर इसे पसन्द नहीं करता। मैंने एक दफा नहीं, दस दफा कहा और अपने दोस्तों से कहा कि इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिये। फासिज्म की बात की गयी। दुनिया में मैंने भी देखा है कि फासिज्म किस तरह से आता है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से ढील छोड़ दी गयी, जो शक्तियां प्रगतिशील दिशा की तरफ जाना चाहती हैं उनको नहीं बांधा गया तो हिन्दुस्तान के अन्दर हम आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे जिसको हम फासिज्म कहते हैं। (व्यवधान) मेहरबानी करके मुझे बोल लेने दें। मेरी भी ३०–४० साल की राजनीतिक जिन्दगी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—प्वाइंट आफ क्लैरिफिकेशन है।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में बता सकते हैं।

श्री जेड० ए० अहमद—मैं साफ बात कहूंगा। मैं विरोधी पक्ष में बैठा हूं। जो विरोधी पक्ष की ठीक बात है उसका मैं समर्थन करूंगा और जो विरोधी पक्ष की गलत बात है उसका समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा और जो सरकार की गलत बात है उसका भी मैं समर्थन नहीं करूंगा और जो सरकार की अच्छी बात है उसका मैं समर्थन करूंगा। लेकिन साथ ही मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जो आज प्रदेश के अन्दर परिस्थिति पैदा हो गयी है इस टैक्स के सवाल को ले कर, मेरी गुजारिश यह है कि सरकार को सोचना चाहिये। किसी तरह आप सोचें, इस बिल के अन्दर और परिवर्तन करें, लेकिन आज यह हकीकत है, चाहे आप मानें या न मानें बहुत जबरदस्त असंतोष चारों तरफ है और इस असंतोष को आपकी निगाह में रखना पड़ेगा।

दूसरी बात, मैं बहुत परेशान हूं कि किस बिल के बारे में कहूं। बिल पुराना है और नाम लिया जाता है एकड़ों का। पहले कहा जाता है कि एक एकड़ पर छूट दी गयी, फिर ६ एकड़ कहा जाता है, फिर ८ एकड़ कहा जाता है, लेकिन इस बिल के अन्दर कहीं एकड़ का जिक्र नहीं है, इसके अन्दर रुपये का जिक्र है। रुपये के टर्म्स में क्या परिवर्तन हुआ है? सुनूं तो, क्या काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर बड़ा परिवर्तन हो जाय। मुझे उम्मीद है कि इससे भी बड़ा परिवर्तन आप अन्त में चलते वक्त करेंगे। लेकिन क्या परिवर्तन है यह साफ तौर पर हमारे सामने आना चाहिये। चमकता हुआ बिल हमारी आंखों

[श्री जेड० ए० अहमद]

के सामने हो। उसका एक एक वाक्य साफ हो। जिक्र किया जाता है बीघे और एकड़ का, लेकिन उसका नाम तक इस बिल में नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस बिल को जिस शक्ल में आप ले आये हैं उसको मेहरबानी करके वापस ले लीजिये और वक्त लेकर दूसरा बिल ले आइये। हम उस पर जरूर गौर करेंगे और संजीदगी के साथ गौर करेंगे। हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि हमारे भाइयों का गरम खून ठंढा पड़ जाय। लेकिन इस बिल पर बहस करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यह साफ नहीं है। बाद में अगर आप संशोधन करेंगे तो यह उलझ जायगा। इसलिये इस बिल को मेहरबानी करके अभी वापस ले लें और दूसरा बिल लाइये। उस पर हम जरूर गौर करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, हमारा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—माननीय काशीनाथ जी, जो मैं मुनासिब समझता हूं उसे करता हूं। माननीय डाक्टर साहब ने कुछ मौलिक प्रश्न हमारे सामने रखे हैं।

श्री रक्षपालसिंह—इस संबंध में प्वाइंट आफ आर्डर उठाता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूं जो प्वाइंट आफ़ आर्डर आप उठाना चाहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसको सुनूंगा और मैं सुनना चाहता हूं। लेकिन माननीय डाक्टर साहब ने जो बातें उठाई हैं उस संबंध में माननीय राजस्व मंत्री जी को अवसर मिलना चाहिये कि वे कुछ कहें। मुझे उनसे कहना है कि वे इस संबंध में कुछ कहें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। साथ ही डाक्टर साहब के एतराज पर वे शायद वापस ले लें।

श्री रक्षपालसिंह—मेरा कहना यह है कि हर पार्टी के २-२ व्यक्ति इस पर बोलें।

श्री अध्यक्ष—आप जानते हैं कि मैं किस को बोलने दूंगा और किस को नहीं बोलने दूंगा, यह मेरे अधिकार की बात है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, आपकी आई कैंचिग कहां गई ?

श्री अध्यक्ष—मैं राजस्व मंत्री जी को बुला चुका हूं, वे बोलेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पर बिचार करके पेश कर चुका हूं। अब इस संबंध में चन्द बातें कहना चाहता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा लगता है कि कि आपकी निगाह आई कैंचिग छोड़कर दूसरी तरफ चली गई।

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई आई कैंकिग व आई का सवाल नहीं है। मैं किसी से भी कह सकता हूं कि वह हाउस को एड्रेस करे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय अगर बिल पेश किया गया है तो हमारा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—पेश कर दिया है। (व्यवधान) मैं ठीक कहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने राजस्व मंत्री जी को बुलाया है।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, यह बिल पेश हो चुका है या नहीं। यह बता दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रस्ताव पेश हुआ है। बिल तो पहले ही पेश हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—बिल तो पहले पुरःस्थापित हो चुका है। आज प्रस्ताव है कि इस बिल पर विचार किया जाय। प्रस्ताव का प्रश्न है, वह पेश हो चुका है या नहीं। बिल तो पहले आ चुका है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, मैं हुज्जत रफा करने के लिये फिर प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, यह पेश नहीं हुआ है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह पहले ही पेश हो चुका है, जहां तक मुझे सूचना मिली है।

कुंवर श्रीपालसिंह—आपने तो उनको जवाब देने के लिये खड़ा किया है।

श्री अध्यक्ष—राजस्व मंत्री जी, मैंने यह कह दिया है कि अगर प्रोसीडिंग्स में लिखा है कि विचारार्थ प्रस्ताव पेश हो गया है तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गिरधारीलाल जी रेवेन्यू मिनिस्टर को क्या बताने गये थे ? वह हमारे विधान सभा के कर्मचारी हैं। मंत्री जी के पी०ए० नहीं हैं। मंत्री जी को यह क्या बताने गये थे, यह आप बताइये।

श्री चैतन्यराजसिंह—मैं आपके द्वारा सदन के निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जिस रूप में आया है वह संविधान के बिलकुल खिलाफ है। यह नहीं आ सकता है। इस पर मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—देखिये, अब सूरत यह है कि मैं व्यवस्था देता हूं कि चूंकि प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है उसको मैं मानता हूं। अब आप जो कांस्टीट्यूशनल इश्यु पेश करना चाहते हों वह पेश करिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—एक वैधानिक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने जो इस बिल को पास होने का प्रस्ताव पेश किया है वह पेश हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—अभी पास होने के लिये प्रस्ताव नहीं पेश किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—आपने कह दिया कि प्रस्ताव पेश किया है।

श्री अध्यक्ष—यह विचार के लिये है।

श्री काशीनाथ मिश्र—विचार के लिये सदन में प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। यह हमारी वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझ गया। आप बैठ जाइये। मैं आप से पूछूंगा।

*श्री चैतन्यराजसिंह—आप इस बिल में चैप्टर २ के अन्दर क्लाज ३(१) देखिये इसमें लिखा है—

"(1) There shall, subject to the provisions of section 7 and 9, be charged, and levied for each agricultural year, a tax on each holding of a land-holder, equal to two and a half per centum of the capital value of the holding."

मान्यवर, यह जो इस के अन्दर चार्जिग क्लाज है यह गलत है। कार्य ही नहीं हो सकता है तो बिल किस रूप में आयेगा। जब संविधान के अन्तर्गत सरकार को अधिकार ही नहीं कि वह इस तरह का कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाये तो बिल ही कहां आयेगा ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आपकी क्या अथारिटी है ?

श्री चैतन्यराजसिंह—मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। संविधान में आर्टिकिल २६५ में लिखा है कि केंद्रीय और प्रदेशीय सरकार टैक्स लगा सकती है। लेकिन टैक्स का क्या स्कोप है वह आर्टिकिल २४६ के सेवेंथ शिड्यूल, लिस्ट १ में दिया हुआ है। आप मान्यवर, देखेंगे सेवेंथ शिड्यूल की लिस्ट वन, आइटम नं० ८६। "Taxes on the capital value of the assets, exclusive of agricultural land of individuals and companies, taxes on the capital of companies." यह वह आइटम है....

श्री अध्यक्ष—जरा एक मिनट। शिड्यूल, लिस्ट वन, आइटम नम्बर ८६। "Taxes on the capital value of the assets, exclusive of agricultural land of individuals and companies, taxes on the capital of companies."

श्री चैतन्यराजसिंह—तो श्रीमन्, यही आइटम है, जिसके कि केंद्रीय सरकार ने वेल्थ टैक्स या और दूसरे केंद्रीय टैक्स लगाये हैं। उसके अनुसार ऐग्रीकल्चरल लैण्ड पर यूनियन सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, यह आइटम ८६ से स्पष्ट है। अब आप मान्यवर, लिस्ट २ देखें।

श्री अध्यक्ष—एक बात जरा देख लीजिये। टैक्सेज आन दि कैपिटल वैल्यू आफ दि असेट्स, इसको आप समझ लीजिये। असेट्स से क्या माने आप समझते हैं ?

श्री चैतन्यराजसिंह—असेट्स से मतलब वही प्रापर्टी से है। आप तो बड़े एमिनेंट प्रैक्टिसिंग एटार्नी रहे हैं। आप इस चीज को जानते हैं....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—हम कुछ नहीं समझ रहे हैं आपकी बातों को।

श्री अध्यक्ष—तो अब हम लोग समझ कहां से दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—हिन्दी में हो जाय।

एक सदस्य—यह हिन्दुस्तान है, इंग्लिस्तान नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—सदन की भाषा हिन्दी है।

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ कर सुना देता हूं। हिन्दी में पढ़ देता हूं।

एक सदस्य—और माननीय सदस्य से भी कह दें कि हिन्दी में कहें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, यह समझ कहां से दें यह शब्द वापस ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—अच्छा वापस हो गया, दो मर्तबा, बस दस मर्तबा वापस हो गया। आप सुनिये सप्तम अनुसूची, सूची नम्बर १ प्रविष्टि ८६—

"व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़कर उसके मूलधन पर कर, समवायों के मूलधन पर कर।"

समवायों के मूलधन पर कर, यह मतलब है। आपका कहना यह है कि केवल यूनियन गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि....

श्री चैतन्यराजसिंह—जी मान्यवर, मेरा यह कहना कतई नहीं है। मेरा तो यह निवेदन था कि इस कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत यूनियन गवर्नमेंट अलावा ऐग्रीकल्चरल लैंड के और कैपिटल वैल्यू पर टैक्स लगा सकती है और सिस्ट २ के अन्दर जो कि प्राविन्शयल लिस्ट है

मान्यवर, उसको आप देखें तो जो, ऐग्रीकल्चरल आईटम्स हैं, जो सूबे से संबंधित हैं, उसमें बिलकुल स्पष्ट रूप से ऐग्रीकल्चर या ऐग्रीकल्चरल लैंड या ऐग्रीकल्चर से संबंधित एनीमल हस्बेंड्री, फिशरीज और दीगर चीजें जितनी हैं वह आइटम नम्बर १४, १५, १६, १७, १८, ४५, ४६, ४७ और ४८ के अन्दर दी गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप १४, १५ और१६ कह रहे हैं ?

श्री चैतन्यराजसिंह—मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कांस्टीट्यूशन के बनाने वालों का यह मन्शा था कि किसी भी प्रकार से कोई भी टैक्स कृषि भूमि पर न लेंगे । जिन लोगों ने हमारे कांस्टीट्यूशन को बनाया था उन लोगों का मन्शा यह था और उन्होंने १४,१५,१६,१७,१८, ४५, ४६, ४७ और ४८ के अन्दर ऐग्रीकलचरल लैंड या एग्रीकलचर होल्डिंग को उसके हर आइटम में रखा है । जो आइटम मैंने पढ़ा है शिड्यूल ७ की लिस्ट २ में कहीं पर भी किसी प्रकार की एग्रीकलचरल होल्डिंग के ऊपर कैपिटल वैल्यू पर टैक्स का जिक्र नहीं है । मान्यवर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ला को फ्रेम करते हैं तो हमको स्टेट्यूट्स का ठीक से, इन्टरप्रिटेशन करके ध्यान देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—आपने जो सूची नम्बर ७ बतलाई है....

श्री चैतन्यराजसिंह—यूनियन सरकार को यह अख्तियार है संविधान के अन्दर कि वह किसी भी सम्पत्ति पर टैक्स लगाये अलावा एग्रीकलचरल लैंड के ।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि ऐग्रीकलचर लैंड की कैपिटल वैल्यू पर कर लगाने का अधिकार यूनियन सरकार को नहीं है ?

श्री चैतन्यराजसिंह—यह निश्चित है । अब आप कृपया चार्जिंग सेक्शन को देखने की कृपा करें कि स्टेट्यूट्स किस तरह से फ्रेम होंगे । इसका जो मेन क्लाज है उसको आप देखने का कष्ट करें । वह दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है:—

3. (1)"There shall subject to the provisions of sections 7 and 9 be charged, and levied for each agricultural year, tax on each holding of a land holder, equal two and a half per centum of the capital value of the holding of a land holder."

बाद में आफ ए लैंड होल्डर लगाने से वह सेन्टेन्स पूरा हो जाता है । अब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्लाज ३ का जो (१) है वही मेन क्लाज है ।

श्री अध्यक्ष—हमारी एक दिक्कत को आप सुनें । दिक्कत यह है कि ८६ में स्पष्ट-रूप से ऐग्रीकल्चरल होल्डिंग या ऐग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ा गया है और ४८ में कृषि भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क की बात है ।

श्री चैतन्यराजसिंह—आप कृपया उसको अंग्रेजी में पढ़ने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—आपका सारा प्वाइंट यह है कि कैपिटल वैल्यू पर कर नहीं लग सकता । कैपिटल वैल्यू आफ ऐग्रीकल्चरल लैंड इस एक्सक्ल्यूडेड फ्राम लिस्ट वन ।

श्री चैतन्यराजसिंह—मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कैपिटल वैल्यू पर टैक्स लग सकता है और उसका अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है । पर केन्द्रीय सरकार भी इस संविधान के अन्तर्गत एग्रीकल्चरल लैंड पर टैक्स नहीं लगा सकती ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, महावीर प्रसाद जी, आप कुछ कहियेगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक मेरे मित्र का एतराज है.....

श्री चैतन्यराजसिंह—आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ।

श्री अध्यक्ष—आपका प्रपोजीशन तो हो गया यह कि.....

श्री चैतन्यराजसिंह—आप मेरी पूरी बात सुन लें और फिर राजस्व मंत्री जी को उसका उत्तर देने का मौका दें। लेकिन आप सुनने के मूड में बात सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर।

श्री चैतन्यराजसिंह—श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे एक बार शान्तिपूर्वक सुन लें और फिर चाहे जो डिसीजन दें।

मेरे कहने का मतलब यह था कि कैपिटल वैल्यू पर टैक्स लग सकता है, पर वह केन्द्रीय सरकार ही लगा सकती है। पर इस कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को भी यह अख्तियार हासिल नहीं है कि वह एग्रीकल्चरल लैंड पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगा सके। एक तो मेरा प्वाइंट यह है। अब मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह तो केन्द्रीय सरकार का स्कोप रहा। अब प्राविंशियल गवर्नमेंट का जो स्कोप है वह सातवीं शेड्यूल की लिस्ट दो में दिये हुये हैं, उसे आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—जी हाँ, फरमाइये।

श्री चैतन्यराजसिंह—आप इसमें देखें कि यह ऐग्रीकल्चरल आइटम्स शुरू होते हैं आइटम १४ से। यह इस प्रकार हैं—

"14. Agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases.

15 Preservation, protection and improvement of stock and prevention of an imal diseases; veterinary training and practice."

16. Pounds and the prevention of cattle trespass.

17. Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I.

18. Land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation of landlord and tenants, and the collection of rents; transfer and alienation of agricultural land; land improvement and agricultural loans; colonization."

यह १८वाँ श्रीमन् बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्रीमन् आइटम ४५ को देखें। ४६ में हैं "Taxes on Agricultural income"। प्रोविंश्यल गवर्नमेंट ऐग्रिकल्चरल इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगा सकती है, सरकार ने लगाया है और इसी सदन ने ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल पास किया, वह ऐक्ट बना। अब आप ४७ देखें, "Duties in respect of agricultural land"—तो यह कोई ड्यूटी तो है नहीं और न इनकम टैक्स है। यह टैक्स है।

एक सदस्य—यह बहुत मौलिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—आप समझ नहीं रहे हैं, और कहते हैं कि मौलिक प्रश्न है।

एक सदस्य—हम समझ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अच्छा है आप समझ रहे हैं, मौलिक प्रश्न है।

एक सदस्य—वह जो उन्होंने पढ़ा वह यह है, "Duties in respect of succession to agricultural land."

श्री चैतन्यराजसिंह—ठीक है, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं। उसमें सक्सेशन का भी सवाल नहीं आता। जो देने वाले हैं वह जिन्दा हैं। अब बता दीजिये कि ऐग्रिकल्चर से जहाँतक संबंध है तो इसके अन्दर कौन सा आइटम है जिसके अन्दर टैक्स लग सकता है?

श्री अध्यक्ष—लेकिन ४९ क्या है ?

श्री चैतन्यराजसिंह—अब उसके पहले आप गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ देखें। चूंकि जाहिर है कि हमारा कांस्टीट्यूशन उसी पर बेस्ड है। यह इस ऐक्ट का जो आइटम ४२ है उससे अनुसूची में वह ४९ आया। तो ४२ में क्या था ?

"Taxes on land and buildings, huts and windows."

अब उसमें से "हट" और "विंडो" क्यों एलिमिनेट हुए ? वह इसलिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी म्यूनिसिपल, टाउन, नोटिफाइड एरिया में कोई भी प्लाट आफ लैंड रख सकता था और २० एकड़ का प्लाट है तो उसमें महज एक झोपड़ी बना लेने से वह उसके कैपिटल वैल्यू टैक्स से जो कि उस जमीन पर इम्पोज हो सकता था, बच जाता था। तो कांस्टीट्यूशन फ्रेमर्स ने देखा कि हमारे यहां शहर के अन्दर काफी स्पेकुलेशन होता है तो वह इस बात के लिए मजबूर हुए कि वह "हट्स" और "विंडोज" को रिमूव करें। यह मान्यवर, इसलिए आया। मान्यवर, आप देखें कि उसके अन्दर हट्स एन्ड विन्डोज आया है। इसलिये कि करेक्ट वैल्युएशन पर टैक्स दें। इन शब्दों को, हट्स एन्ड विन्डोज, को निकाला गया। अब आप देखें कि जो बिल पेश है उसके अन्दर होल्डिंग शब्द आया है। होल्डिंग का मतलब लिया है यू० पी० ऐक्ट, १९३९ से। उसमें एग्रीकल्चरल होल्डिंग के यह मानी नहीं दिये गये हैं कि लैंड एन्ड बिल्डिंग। जो एन० एस० विन्द्रा का इन्टरप्रिटेशन है जनरल क्लाजेज ऐक्ट पर, १९५४ का एडीशन, उसके पेज ५११ पर लैंड की करेक्ट डिफिनीशन दी हुई है, उसमें लिखा है—

"The expression "land" shall include messuages, tenements and hereditaments, houses, and buildings and any tenure."

यह डिफिनीशन है। अब मान्यवर, एग्रीकल्चरल लैंड तो इस लैंड से बहुत डिफर करती है। एग्रीकल्चरल लैंड पर तो न बिल्डिंग्स होती हैं न टेन्योर होता है।

श्री अध्यक्ष—तो लैंड की जो डिफिनीशन जनरल क्लाजेज ऐक्ट में दी हुई है उसको आप यह समझते हैं कि वह यहां एप्लाई करती है ?

श्री चैतन्यराजसिंह—जी हां, आइटम ४९ में वही डिफिनीशन एप्लाई करती है जो मैंने अभी कोट की है। अब आप देखें लिस्ट (२) के आइटम (५) को—

'Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, district boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-govern or village administration."

तो इस पर टैक्स लग सकता है। यह आइटम ५ में जो चीज स्पेसीफाइड है, अगर वह कन्डीशन्स फुलफिल हो जाती हैं तो आइटम ४९, जैसा कि आपने प्वाइन्ट आऊट किया, वहां वह टैक्स लगा सकते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड पर नहीं लगा सकते हैं।

अब मान्यवर, मैं एक चीज और अर्ज कर दूं। आप उस पर भी गौर फरमायें। यह है A. I. R. Commentaries on the Constitution of India, Volume III, एक पैरामांउट रूल यह है कि It is a well established principle that what cannot be done directly may not be done indirectly."

मान्यवर, आप तो स्वंय सिविल बार के एक बड़े वकील रह चुके हैं और आपने बड़े गौर से इस केस को पढ़ा होगा। दुर्गेश्वर वर्सेज सेक्रेटरी फार काउन्सिल। यह केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसमें यह तय हुआ था कि What can not be taxed directly can not be taxed indirectly

[श्री चैतन्य राजसिंह]

तो जब वह ४९ में भी नही आता है तो what can not be taxed directly cannot also be taxed indirectly. यही मेरे कहने का मतलब है कि आप इस पर गौर फरमावें ।

अब यह एग्रीकल्चरल इनकम–टैक्स भी नहीं है । मैं आप से यह भी निवेदन कर दूं कि मेरे इस प्वांइट का जवाब देंगे माननीय राजस्व मंत्री जी । उनके पास सिर्फ एल० एल० एस०-डी० है जोकि हाई कोर्ट से हुआ है । उसमें हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि होल्डिंग्स पर टैक्स लग सकता है । तो जब यह एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स भी नहीं है तो यह है क्या ? यह फिस्कल टैक्स है । आप किसी टैक्स को देख लीजिए । टैक्स में, चाहे किसी भी इनकम पर लगता हो, जैसा कि हाई कोर्ट ने होल्ड किया था, स्लैब रेट होता है, जैसा कि इनकम टैक्स में है कि पहले २,००० रुपये पर इतना होगा, उसके ऊपर इतना होगा, इसी तरह है । इसी प्रकार से लार्ज लैंड होल्डिन्ग्स टैक्स में स्लैब रेट था । जैसे जैसे होल्डिन्ग बढ़ती जाती थी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता था । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस बिल को लाये हैं, यह न तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, न यह लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स है, न यह वैल्थ टैक्स है । यह है क्या, हमारी समझ में नहीं आता । अगर यह टैक्स किसी कोर्ट में जायेगा, हाई कोर्ट में जायगा, तो इसका वहां टिकना मुश्किल हो जायगा । एक मिनट भी यह बिल टिक नहीं सकेगा । मैंने इसे काफी कोशिश की है समझने की । मेरी समझ में तो यही आया कि गवर्नमेंट अपने बहुमत के बल पर इस बात के लिये आमादा है कि वह प्लान के नाम पर लगान ड्यौढ़ा करेगी । उनके इस टैक्स के लाने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है । इस बिल को लाने की मंशा केवल यही है कि यह कहकर कि हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है, जनता पर टैक्स का भार डाला जाय । इस सरकार का यह बिल लाने की मंशा सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकती ।

अब आप जरा देखिये कि फिस्कल टैक्स के मायने क्या हैं । मेरे पास यह लिटिल आक्सफोर्ड डिक्शनरी है । इसमे फिस्कल टैक्स के या फिस्कल के मानी यह दिये हुए हैं ।

श्रीमन्, इस Fiscal शब्द के मानी हैं—public revnue, legal official use it is a kind of a shriek.

अब पिछली दो योजनाओं के चले जाने पर भी आप जनता को कुछ भी दे नहीं पाये और उस पर यह टैक्स लगाया जा रहा है । तो यह टैक्स it is a kind of shriek.

अब मैं आपको इस फिस्कल शब्द का ओरीजिन बताता हूं । उसका मतलब पब्लिक ट्रेजरी से होता है....

श्री अध्यक्ष—इसके ओरीजिन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह अलग प्वाइन्ट है ।

श्री चैतन्य राजसिंह—अब श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी यही कहेंगे कि यह हाईकोर्ट ने होल्ड किया है । गजेन्द्र गडकर ने कहा है कि एक केस था म्युनिसिपल कोर्पोरेशन वर्सेस किसी आदमी का, जिसका नाम मुझे इस समय याद नहीं रहा । उन्होंने यह कहा कि चीफ जस्टिस महोदय के सामने उसको ठीक प्रकार से रखा नहीं गया । माननीय राजस्व मंत्रीजी उसको क्वोट करेंगे । लेकिन श्रीमन्, उस वक्त लैंड होल्डिन्ग टैक्स नहीं बल्कि लार्ज होल्डिन्ग टैक्स का सवाल था । उसमे स्लेब रखा गया था और वह धीरे-धीरे इन्क्रीज होता जाता था । लेकिन यह जो टैक्स लगाया जा रहा है वह १०० एकड़ पर भी ड्यौढ़ा और ४ एकड़ पर भी ड्यौढ़ा । यह तो सीधा सीधा रेवेन्यू का बढ़ाना हो गया ।

इसके अलावा आप जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट की धारा २५१ को देखें तो मालूम होगा कि वह इस प्रकार से है—

"251. Variation in the land revenue payable by a bhumidhar to whom section 245 applies.— Notw thstanding anything contained in this Act, the land revenue payable by a bhumidhar shall not be varied within forty years next after commencement of this Act except on the ground of increase or decrease in the area of his holding."

लेकिन यह होल्डिंग के एरिया के बढ़ने घटने से न बढ़ना ही है और न घटना ही है। इस सरकार ने इसी आदरणीय सदन के अन्दर भूमिधरों को यह आश्वासन दिया था कि यह सरकार अगले ४० साल तक किसी प्रकार का लैंड रेवेन्यू नहीं बढ़ायेगी। अब श्रीमन्, आप उसी के सेक्शन ४ को देखें—

"4. VESTING OF ESTATES IN THE STATE—(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government may, by notification, declare that, as from a date to be specified all estates situate in Uttar Pradesh shall vest in the State and as from the beginning of the date so specified (thereinafter called the date of vesting), all such estates shall stand transferred to and vest , except as hereinafter provided, in the State free from all encumbrances."

अब मान्यवर, अगर आप इसी सेक्शन को पढ़ कर देखें तो हर एक जमीन जो है वह स्टेट के अन्दर वेस्ट कर चुकी है और लैंड होल्डर जो है वह केवल टिनैंट है या कंट्रैक्टर है? उसे टेनेंसी का यह राइट सेक्शन १८ के अन्दर सरकार से खरीद करके मिला है और उसका गवर्नमेंट के साथ कंट्रैक्ट हुआ है कि ४० साल तक सरकार उस भूमिधरी जमीन पर लैंड रेवेन्यू इनक्रीज नहीं करेगी। तो इस आदरणीय सदन के लिये क्या यह सम्मानित चीज होगी कि इसी सदन ने जो कानून बनाया है—यहां किसी पार्टी का सवाल नहीं है कि कौन किस दल का है, बल्कि सदन की मर्यादा का प्रश्न है। इस सेक्शन ४ के अन्दर सरकार ने समस्त उत्तर प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि ४० वर्ष तक भूमिधर पर लगान नहीं बढ़ाया जायगा और उसी आश्वासन पर विश्वास करके किसान ने १० गुना देकर भूमिधरी राइट को परचेज किया और सरकार ने भी करोड़ों रुपया जमींदारी एबालिशन फंड के नाम पर खर्च किया। तो क्या हम लोगों के लिये यह आनरेबिल चीज है कि इस हाउस में बैठ कर उस आश्वासन को तोड़ें कि लैंड रेवेन्यू इनक्रीज किया जाय। माननीय कृषि मंत्री जी यहां विराजमान हैं जिनके करकमलों द्वारा यह सेक्शन बना था और जिन्होंने जनता में जाकर यह आश्वासन दिया था कि हम ४० साल तक लगान नहीं बढ़ावेंगे। ऐसी हालत में इस आदरणीय सदन में बैठ कर हम अगर लगान को बढ़ावें तो क्या यह हमारे लिये सम्मानित बात है?

मान्यवर, एक निवेदन और करना है। अगर आपकी समझ में यही आवे कि चार्जिंग सेक्शन सही है और दुरुस्त है तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कैपिटल वैल्यू आफ लैंड होल्डिंग कहां है? जो टिनेंट है वह तो कंट्रैक्टर है। मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं हूं और मुझे १० साल बाद में जंगल का कंट्रैक्ट मिल जाता है तो क्या मैं उस कंट्रैक्ट के अन्तर्गत इसके लिये बाध्य हूं कि मैं जंगल काटूं? ऐसा नहीं है, मैं उस जंगल का सब-कंट्रैक्ट अपने अन्दर किसी को दे सकता हूं। बेसिकली मैं कंट्रैक्टर रहूंगा। तो वे किसान जिन्होंने पैसे लगा कर भूमिधरी राइट को परचेज किया है तो फिर उस कैपिटल वैल्यू को पेमेंट करने वाला और होगा, यह इस बिल के अन्दर क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो क्या हमारे लिये वांछनीय है कि हम प्लानिंग के नाम पर सरकार को टैक्स लगाने की मंजूरी दे दें जो बाद में कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सके? तो अब ऐसा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट का ही एक विभाग लगाये और दूसरे विभाग से लिया जाय। आप स्टेट्यूट्स में पढ़ कर देखें, मैं उस को पढ़े देता हूं

"Exemptions from tax granted by a statute should be given full scope and amplitude and should not be whittled down by importing limitations no

[श्री चैतन्यराज सिंह]

inserted by the legislature. Where an exemption is conferred by statute by an exemption clause, that clause has to be interpreted liberally and in favour of the assessee but must always be without any violence to the language used. The rule must be construed together with the exempting provisions, which must be regarded as paramount.

इस में यह नहीं है कि आगे चल कर किसी तारीख में यह सेक्शन जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को डिफीट कर देगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, हमारी बात आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—आप इस की मौलिकता को समझ नहीं रहे हैं . . . .

श्री चैतन्यराज सिंह—मुझे आप से यह निवेदन करना है कि यह टैक्स लगाने का गवर्नमेंट को किसी तरह से भी अधिकार नहीं है और इस लिये ऐसा बिल आदरणीय सदन के समक्ष नहीं आ सकता । मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को वापस ले लें और जब प्रापर्ली इस को वह ड्राफ्ट कर लें तब लायें । इस वक्त इसको विदड्रा कर लें और इस हालत में यह सदन के सामने नहीं आ सकता ।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, पहले हमारी बात सुन ली जाय उसके बाद आप माननीय माल मंत्री का जवाब दिलवायें साथ में ही . . . .

श्री अध्यक्ष—नहीं एक होने दीजिये, यह कांस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं केवल २ मिनट लूंगा । मैंने भी कुछ इस पर विचार किया और मैं उनकी राय से बहुत कुछ सहमत हूं जो कि उन्होंने अभी सदन में व्यक्त की है । मैं दोहराऊंगा नहीं, यह सचमुच बड़ा काम्पलीकेटेड क्वेश्चन आफ ला है । कई आर्टिकिल ऐसे हैं कि जिन के अनुसार इस सरकार को ऐसा कानून बनाने की अथारिटी नहीं है । इसमें मैं समझता हूं कि ऐसी लीगल गुत्थियां हैं और इससे पहले कि हम या माननीय मंत्री जो इस पर विचार व्यक्त करें अच्छा होगा अगर माननीय एडवोकेट जनरल की राय इस पर ले ली जाय और तब तक इस पर विचार स्थगित रखा जाय । अभी एक रूलिंग हुई है होल्डिंग्स के सामने केस विचारणीय था जिस में एडवोकेट जनरल ने एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स टैक्सेशन कानून को डिफेंड करते हुये साबित किया था कि यद्यपि इन्कम टैक्स यहां का विषय नहीं है लेकिन इस प्रकार का टैक्स लग सकता है । तो इस पर अच्छा हो कि उन की राय ली जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों के इतमिनान के लिये बताना चाहता हूं कि यह बिल एडवोकेट जनरल साहब का ही ड्राफ्ट किया हुआ है और किसी दूसरे ने इस को ड्राफ्ट नहीं किया है । हमारे मित्र को आपत्ति है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार ऐसा बिल यहां लाने का नहीं है और लैंड पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता । मैं इसकी दूसरी पेचीदगियों में नहीं जाऊंगा । हमारे मित्र ने काफी विद्वतापूर्ण और तैयारी के बाद अपना भाषण दिया उन्होंने कहा कि आर्टिकिल ८६ की लिस्ट १ में दिया है कि अगर उसको असेट माना जाय तो केन्द्रीय सरकार टैक्स लगा सकती है लेकिन उसी में आगे यह भी दिया है कि "exclusive of agricultural land, of individuals and companies" यह उन्होंने नहीं देखा । वह उसके परव्यू से निकाल दिया गया इन लफ्जों के जरिये से । लिहाजा हमने आइटम ४९, लिस्ट २ में लैंड और बिल्डिंग टैक्स के जो बिल अभी पास किये हैं, उसमें हम लगा सकते हैं और हमने लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स भी लिया जो सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन No body questioned the validity and the jurisdiction of the State Government. इसलिये मैं कहता हूं

कि इस तरह की युक्तियां लगा करके और उसमें डिस्टिंक्शन है उसी लफ्ज पर, अगर हम कैपिटल वैल्यू को असेट मान कर लगाते हैं तो नहीं लगा सकते। लेकिन हम उसे लैंड ट्रीट करते हैं, असेट नहीं करते हैं। लिहाजा आइटम ४९ के अन्तर्गत हमें लगाने का अधिकार है।

श्री काशीनाथ मिश्र—जिस समय जमींदारी अबालीशन बिल पास हुआ उस समय उसको पेश करते समय स्वर्गीय पंडित गोविन्दबल्लभ पन्त जी ने क्या कहा था उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं तथा क्या कार्यवाही हुई थी उसकी तरफ ध्यान दिलाता हूं। हमारे माननीय चरण सिंह जी बैठे हैं वह भी हिस्सा लिये थे, उस पर आप अपनी व्यवस्था दें। जो एक दफा आश्वासन इस सदन में दिया गया स्वर्गीय पन्त जी द्वारा क्या उस आश्वासन के विरुद्ध, और जो प्रस्ताव हुआ फिर से, यह सदन कार्यवाही कर सकता है?

यह बिल जिस समय इंट्रोड्यूस हुआ ७ जुलाई, १९४९ को उस समय स्वर्गीय पंत जी ने कहा :

"We have been accentuated only by the desire to do all that we can to secure justice for every one and in particular to create conditions which will enable the vast masses of our farmers, peasants and cultivators to lead a better life, to develop a true sense of social responsibility and to regain the lost sense of community spirit, without which democracy, whether political or economic, cannot blossom fully...."

और भाषण देते हुये उन्होंने इस बिल के ऐम्स और आब्जेक्ट्स को भी बताया था किस लिये जमींदारी अबालीशन बिल पेश किया जा रहा है और उसमें किसानों को क्या क्या राइट्स दिये जायंगे:

1. The much needed finance for the development of the State.

दूसरे पर मेरा एम्फेसिस है: 2. To rescue the tenantry from rack-renting and other high handedness of the landlords.

स्वर्गीय पंत जी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि जमींदारी अबालीशन बिल इस लिये पेश कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में किसानों की रक्षा कर सकें, उनकी टेनेन्सी पर, उनके खेतों पर किसी तरह की रेक रेन्टिंग नहीं होगी। तो जो बिल इस समय पेश हो रहा है यह क्या उस आश्वासन के विरुद्ध नहीं जा रहा है, रेक रेन्टिंग नहीं हो रही है?

जहां तक माननीय जेड० ए० अहमद द्वारा यहां पर सवाल उठाया गया डेमोक्रेसी का तो आपके द्वारा मैं उनको तथा सदन को बताना चाहता हूं बापू ने कहा था.....

श्री अध्यक्ष—दो बातें हैं, आप बोलिये तो सही, या तो प्वाइंट आफ आर्डर हो या कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट हो।

श्री काशीनाथ मिश्र—कांस्टीट्यूशनल है। और डेमोक्रेसी की बात, माननीय जेड० ए० अहमद की बातों को आपने मौलिक कहा है, तो उसके बारे में हमारी बात सुन ली जाय।

बापू ने डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा की है।

"Democracy does not mean slavery of individual to the will of the majority. In matters of detail one can bow down before majority. But in matters of principle one may not accept the decision of the majority."

जनतंत्र के माने यह नहीं हैं कि व्यक्ति समूह या बहुमत की इच्छाओं का गुलाम हो। जहां तक विस्तार का सवाल है उसमें व्यक्ति बहुमत की इच्छाओं का आदर कर सकता है। लेकिन जहां तक सिद्धान्त का उसूल है उसमें व्यक्ति बहुमत के निर्णयों के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ सकता है। इसी आदरणीय सदन में जो कुछ कहा गया मैं समझता हूं कि जेड० ए० अहमद साहब जम्हूरियत के मानी नहीं समझे हैं। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है और जो कुछ

[श्री काशीनाथ मिश्र]

कहा है वह अपनी परम्पराओं के अनुसार कहा है। इन्हीं जेड० ए० अहमद साहब ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने सन् १९४२ में अंग्रेजों का साथ दिया था और आज वे इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं और गुप्ता जी को मैं बतलाना चाहता हूं कि गुप्ता जी का साथ देकर वह कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—काशीनाथ जी एक बात सुन लीजिये। बोलने के लिये आप बड़ी खुशी से बोलिये। लेकिन प्वाइंट आफ आर्डर के अलावा कोई बात कहेंगे तो यह स्पीच उनकी प्रस्ताव पर होगी और फिर दोबारा उनको मौका नहीं होगा। अब वह बोलना चाहें तो बोलें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—व्यवस्था का प्रश्न है। यह मेरी समझ में नहीं आया जो आपने यह कहा कि उनकी यह स्पीच प्रस्ताव पर समझी जायगी और दोबारा उनको मौका नहीं होगा। प्रस्ताव तो हुआ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं बतला दूं कि मैं यह व्यवस्था दे चुका हूं कि इस हाउस में प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—पूर्णतया सत्य नहीं है लेकिन जो निर्णय मैंने दिया है वह ठीक है। प्वाइंट आफ आर्डर के अलावा कोई बात कही जाती है तो यह समझा जायगा कि आप इस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं और दोबारा आपको मौका नहीं दिया जायगा। अब आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

*श्री रक्षपालसिंह—मैं व्यवस्था इस बात की चाहता हूं कि आपने अभी यह व्यवस्था दी कि कोई भी सदस्य केवल प्वाइंट आफ आर्डर पर ही बोल सकता है परन्तु इसके बाद झारखंडे राय और जेड० ए० अहमद साहब दो माननीय सदस्यों ने पूर्ण रूप से, व्यवस्था का प्वाइंट उठा कर, बोलने का मौका पाया। अब काशीनाथ जी जो जेड० ए० अहमद साहब बोले हैं, उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रत्येक पार्टी के दो-दो सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाय। अगर आपकी व्यवस्थाएं पल्टी जायंगी, उलटती जायंगी तो व्यवस्था कैसे चल पायेगी ?

श्री अध्यक्ष—जब माननीय जेड० ए० अहमद साहब बोल चुके और उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ बातें कहीं तो उस पर मैंने यह कहा कि मैं निश्चित रूप से व्यवस्था देता हूं कि प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है। जैसा मैं शुरू में कह चुका था प्रस्ताव अगर प्रस्तुत नहीं हुआ है तो फिर आपके आक्षेप की कोई बात नहीं सुनी जायगी और अगर प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है तो बात सुनी जायगी। माननीय चैतन्यराज सिंह की बात इसी व्यवस्था पर सुनी गयी कि प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आपने मेरा नाम लिया कि मैंने डाक्टर जेड० ए० अहमद के बाद अपनी बात कही। मैं खड़ा हुआ था कहने के लिये, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं दी गयी और उसके बाद आपने व्यवस्था दे दी। मैं फिर बैठ गया। तो मैं यह चाहूंगा कि जो आपने मेरे बारे में कहा है उसे प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बोले हैं तो मैं गलती पर था। मेरा खयाल था कि आप बोले हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन जब यहां बहस में कोई बात कही गयी हो तो मैं चाहता हूं कि उसका जवाब होना चाहिये। हर विधान सभा की मर्यादा यही रही है।

श्री अध्यक्ष—मैंने चेतावनी दे दी कि आप प्रस्ताव पर बोल रहे हैं वर्ना आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—अभी जेड० ए० अहमद साहब ने इसी सदन के सामने जो सवाल पेश किये हैं तो श्रीमन् के द्वारा कहा गया कि बड़े मौलिक हैं। मैं उस बात को मानता हूं लेकिन मैं उसी मौलिक रूप में आपके द्वारा उसका जवाब देना चाहता हूं। माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने गुप्ता जी तथा कांग्रेस सरकार के सामने और कांग्रेस बैंचेज पर बैठे हुए लोगों के सामने जो भाषण दिया है आज उस भाषण के माने क्या हैं? मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज उत्तर भारत में चीन हमलावर है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चीन का साथ दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—देखिये, उससे यह बात संबंधित नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—इससे संबंधित है जो भाषण हुआ है। आप दो मिनट सुन तो लें। आज कम्युनिस्ट पार्टी अपने भाषणों द्वारा कांग्रेस पार्टी और माननीय गुप्ता जी को अपनी तरफ मिलाना चाहती है। (व्यवधान) गुप्ताजी जितने चाहें टैक्स लगायें, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ और बापू की तस्वीर जो इस सदन में लगी हुई है उसको साक्षी करके यह कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ देश की आजादी का सौदा हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—आप विषय पर बोलिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। आज इस प्रस्ताव के बहाने को लेकर जो बात डाक्टर अहमद साहब ने इस सदन में कही है मैं कहना चाहता हूं कि बराबर कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमतपरस्ती की परम्परा रही है कि जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है उसके [××××] और आज जब यहां गुप्ता जी और पंडित जवाहरलाल की सरकार दिल्ली में विराजमान है।[××××]

श्री अध्यक्ष—ये शब्द आपके अनुचित हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—ये मेरी भावनायें हैं, जिस तरह से मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूं, कर रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन शब्दों के भुलावे में माननीय गुप्ता जी न आयें और जो प्वाइंट आफ आर्डर हमने उठाया है कि इस तरह की बातें और इस तरह का बिल इस सदन में नहीं आ सकते उस पर आप जो चाहें निर्णय दें। लेकिन माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने हमारे विरोधी पक्षों के ऊपर जो एस्पर्शन और रिफ्लेक्शन किया है उसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं कहा। मैं गांधी जी के शब्दों को फिर दोहराना चाहता हूं कि बहुमत के द्वारा जो भी काम होता है उसको जनतंत्र की संज्ञा दी थी। इस सदन के अन्दर जो काम इधर के लोगों ने किया है वह किसानों के हित में किया हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस पर व्यवस्था दे दी जो चैतन्यराज जी ने उठायी है कि इस तरह का बिल इस सदन में नहीं आ सकता तो आप भी वैसे ही अमर हो जायंगे जैसे कि महात्मा गांधी हो गये और उत्तर प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आपसे निहायत अदब से प्रार्थना करता हूं कि इस पर आप अपनी उचित व्यवस्था दें कि क्या इस तरह का बिल सदन के अन्दर आ सकता है?

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय,....

[××××] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—अभी हमारे मित्र माननीय काशीनाथ मिश्र ने डाक्टर जेड० ए० अहमद के भाषण के सिलसिले में कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की यह नीति रही है कि जो भी गद्दी पर रहा है [××××] ये शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं और इन्हें प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैंने टोक दिया था और उन्होंने मेरी आपत्ति पर यह कहा था कि उन्होंने ये अपनी भावनायें प्रकट की हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मुझे भी आप एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—आप फिर बोलियेगा ।

श्री ऊदल—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि एक मिनट का समय मुझे दीजिये । इतनी अनुचित बात कही गयी है कि कम्युनिस्ट पार्टी [××××]....

श्री अध्यक्ष—वह शब्द रेकार्ड में नहीं है, आप बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री ऊदल—[××××]

श्री अध्यक्ष—जरा शान्त हों । एक प्रश्न माननीय काशीनाथ जी ने उठाया है, वह मैं कह दूं । आपने यह कहा कि कुछ आश्वासन संत मिनिस्ट्री ने दिये थे हो सकता है कि दिये हों । मैं उनसे परिचित नहीं हूं । लेकिन हमें याद रखना चाहिये कि पोलिटिकल एक्सीजेंसीज, राजनीतिक आवश्यकतायें बदलती रहती हैं । एक व्यवस्था आज हम उचित समझते हैं कल उसी को उचित नहीं समझते हैं । इसलिये कानूनी आपत्ति नहीं है । मैं इसको ओवररूल कर रहा हूं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यह भारतीय परम्परा है या क्या है ?

श्री अध्यक्ष—अब माननीय श्रीपालसिंह जी, आप जनसंघ को और प्रफुल्लित कीजिये तो आप स्वयं ही अनुभव कीजियेगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, एक मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जाइये ।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मैं आप को बता रहा हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने जो जबाब दिया है कि टैक्सेज आन लैंड्स एंड बिल्डिंगस ये ४९ की लिस्ट (२) में इन्क्लूड करते हैं । वैसे तो और भी बातें हैं लेकिन मैं सबसे पहले इसे कह देना चाहता हूं ताकि राजस्व मंत्री जी सुधार कर लें और अपने लीगल एडवाइजर्स से बात कर लें । इसमें दिया है कि—

"Tax on Land and Buildings—Under the Government of India Acts, 1915 and 1919, Provincial Legislatures had authority to levy a tax on lands and buildings, but for municipal purposes."

माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हम एग्रीकल्चरल लैंड पर लगा सकते हैं । श्रीमन्, इससे पहले ४७ और ४८ में एग्रीकल्चरल लैंड की डेफीनीशन लिखी है ।

46. Taxes on agricultural income.
47. Duties in respect of succession to agricultural land.
48. Estate duty in respect of agricultural land.
49. Taxes on land and buildings.

[××××] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लैंड को वशालीफाई क्यों करना चाहते है ?

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, सुन लें। जहां तक टैक्सेज आन लैंड्स ऐन्ड बिल्डिंग्स का सवाल है। यह म्युनिसिपल एरिया के लिये है। लेकिन बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स है और एक विधेयक पास कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—यह बता दीजिये कि लैंड के माने म्युनिसिपल एरिया के अन्दर है।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन् ,इस प्रकार है कि—

"Tax on buildings under the Government of India Acts, 1915 and 1919, Provincial Legislatures had authority to levy a tax on lands and buildings, but for municipal purposes."

श्री अध्यक्ष—यह आप बसु की कमेंटरी पढ़ रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—जी हां, श्रीमन्, इससे म्युनिसिपल परपज क्लीअर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—यह तो चैतन्यराज जी ने भी कहा था।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, इंगलैंड का जो इंटरप्रिटेशन है उसको भी पढ़ दूं। वह इस प्रकार है कि —

"The expression "land" includes buildings and farmhouses occupied by the tenant, farmers and certain miscellaneous hereditaments."

श्रीमन्, इस फार्म में हाउसेज इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड्स नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं बता दूं कमलासिंह जी। मैं साफ कर दूं कि कांस्टीट्यूशनल इश्यूज पर क्या पोजीशन हैं। हम लोग बहैसियत कोर्ट के नहीं बैठे हुए है। We are legislators. कोर्ट में जाकर फैसला होता है। प्राइमाफेसी हम देखते हैं कि हमारे अधिकार के अन्तर्गत क्या है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जितने डिटेल में इस संबंध में माननीय चैतन्यराज जी ने रख दिया है, वह हमारे लिए पर्याप्त है। माननीय राजस्व मंत्री ने कह दिया कि कांस्टीट्यूनल पोजीशन जैसी कि गवर्नमेन्ट समझती है, वह यह है कि प्रविष्टि ४९,सूची २,अनुसूची सप्तम जो संविधान की है उसके अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा को यह अधिकार है कि वह एग्रीकल्चरल लैंड चाहे वह अरबन हो या रूरल हो हर लैंड पर टैक्स लगा सकती है। तो उसके ऊपर अधिक बहस की जरूरत नहीं है। क्यों कि माननीय राज्यस्व मंत्री ने कहा है कि ऐडवोकेट जनरल का ही बनाया हुआ यह बिल है और उनका मत है, सरकार का मत है कि प्रविष्ट ४९ के अतर्गत आता है। That finishes.

माननीय कमलासिंह आप बुद्धिमान आदमी हैं। जो कांस्टीट्यूशन की बात हो वह भी कह दें और जो मेरिट्स पर कहना हो वह भी कह दें।

श्री कमलासिंह यादव—मेरिट्स पर तो बाद में होगा।

श्री अध्यक्ष—जब एडवोकेट जनरल ने बनाया है तो हमारे लिए ऐडवोकेट जनरल फाइनल आथारिटी है।

श्री टम्केश्वरीप्रसाद—एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि ऐडवोकेट जनरल हमारे लिए फाइनल अथारिटी है। हमारे लिए तो आप फाइनल अथारिटी है।

श्री अध्यक्ष—जहां तक सरकार का ताल्लुक है।

मेरा निवेदन यह था कि कांस्टीट्यूशन प्वाइंट्स रेज कीजिये, लेकिन उसके साथ-साथ जो मेरिट्स पर कहना चाहिए वह भी कृपा करके कह दीजिये क्योंकि दोबारा शायद मुझे दिक्कत हो।

श्री कमलासिंह यादव—मेरिट्स पर आने में बहुत देर लग जायगी।

श्री अध्यक्ष—वह तो आपका अधिकार है। उसमें दिक्कत यह हो रही है कि दोबारा मौका मैं दे सकता हूं नियमों के अन्तर्गत या नहीं ?

श्री यादवेंद्रदत्त—अब अभी कांस्टीट्युशनल प्वाइंट चल रहा है। आप हम लोगों को मेरिट्स पर आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन बिल तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—मैंने यह व्यवस्था दे दी है। जो प्रस्ताव हमारे सामने है वह प्रस्तुत हो चुका है। अब उसके ऊपर जो कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट है वह उन्होंने रखा दिया।

एक सदस्य—मंत्री जी पेश कर रहे थे तभी हल्ला हो गया। वह पेश नहीं कर पाये थे।

श्री कमलासिंह यादव—एक बात और मैं श्रीमन् को याद दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैन्ड का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें भी दिया हुआ है—

"The expression "land" included buildings and farmhouses occupied by the tenant, farmers and certain miscellaneous hereditaments."

श्री अध्यक्ष—'include' का मतलब 'does not exclude' भी है।

श्री कमलासिंह यादव—इससे यह मतलब हुआ कि जो मकान है और उसके सामने जो जमीन है वही ऐग्रीकल्चरल लैन्ड में आती है। जैसा कि म्युनिसिपल ऐक्ट के बारे में भी बताया, जुरिस्डिक्शन म्युनिसिपल परपजेज के लिये हैं। म्युनिसिपैलिटी में कहीं भी ऐग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगता न उनको कोई अधिकार है। तो सिर्फ लैन्ड ऐंड बिल्डिंस जैसा कि म्युनिसिपैलिटीज टैक्स लगाती हैं, उसी के लिये वह है जैसा कि वह अभी आया है....

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कह दिया।

श्री कमलासिंह यादव—अब दूसरी चीज यह है श्रीमन्, धारा १३४ में जो जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की है उसमें दिया है—

"If a Sirdar belonging to the class mentioned in clause (*a*) of a section 131 pays or offers to pay to the credit of the State Govrernment an amount equal to ten times the land revenue payable or deemed to be payable."

श्री अध्यक्ष—प्वाइंट क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव—वही मैं बता रहा हूं।

"On the date of application for the land of which he is the Sirdar, he shall, upon an application duly made in that behalf to an Assistant Collector, be entitled with effect from the date on which the amount has been deposited to a declaration that he has acquired the rights mentioned in section 137 in respect of such land :"

श्री अध्यक्ष—यह भी आर्ग्यूमेंट उन्होंने कर दिया है।

श्री कमलासिंह यादव—किया है, लेकिन छोड़ दिया है....

श्री अध्यक्ष—चैतन्यराज जी यह सब कह चुके हैं, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—सेक्शन वही है, लेकिन प्वाइंट मेरा दूसरा है।

श्री अध्यक्ष—वह पहले बता दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—दसगुना जब जमा करने का सवाल आया तो यह हुआ कि तुम्हारा लगान आधा हो जायगा। इसका मतलब है कि दसगुना जब मैंने जमा किया और भमिधर हुआ तो उस भूमिधरी की फिक्स्ड रेट टेनेंसी या सीर खुदकाश्त के लोग जो भूमिधर ये, इन दोनों में बड़ा फर्क है और कानून के मुताबिक लगान हमारा आधा लग गया....

श्री अध्यक्ष—कमलासिंह जी, यह तो आप वही रिपीट कर रहे हैं। चैतन्यराव जी का हर एक आर्ग्यूमेंट कम्प्लीट हो गया है, उसको रिपीट करना ठीक नहीं है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं। आपने यह व्यवस्था दे दी कि प्रस्ताव पेश हो गया है। मगर यह तो आप जानते ही हैं कि कुछ अव्यवस्था हो गई थी सदन के अन्दर और यह भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस बिल में कुछ चेंजेज हो गये हैं, अब वह आप समझते होंगे क्या चेंजेज हो गये हैं, मैं तो नहीं समझता कि क्या हो गये हैं? तो हमारे माल मंत्री जी बता दें कि वह क्या चेंजेज हुये हैं और यह भी कि कितने दिन इस पर सामान्य वादविवाद होगा, (व्यवधान) कितने दिन यह बिल चलेगा, कब तक हो जायगा?

श्री अध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री बता दें।

श्री नेकराम शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—नहीं आप बैठ जायं। माननीय नेकराम जी, बैठ जायं। माननीय राजस्व मंत्री जी बोल लेंगे उसके बाद.... (शोर) आर्डर प्लीज। मैं आदेश देता हूं कि आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे कहा था कि माननीय कमलासिंह के बाद आप बोलेंगे....

श्री अध्यक्ष—नहीं, आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—प्रोसीडिंग देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी, आप बैठ जायं। (व्यवधान) नहीं अब कोई बात नहीं होगी। माननीय राजस्व मंत्री ...(व्यवधान) माननीय राजस्व मंत्री बोलेंगे। आर्डर प्लीज।

कुंवर श्रीपालसिंह—केवल एक आश्वासन देने के बाद तब बोलें। वह यह आश्वासन दे दें जैसा उन्होंने कहा है कि ऐडवोकेट जनरल ने इसे ड्राफ्ट किया है तो मैं केवल इतना आश्वासन चाहता हूं कि अगर यह बिल पास हो जाने के बाद हाईकोर्ट से मल ऐंड वायड होता है तो जो इसके ऊपर खर्चा पड़ेगा वह खर्चा उनकी तनख्वाह से काटा जायगा, यह आश्वासन दे दें तब आप बोलें।

एक सदस्य—अध्यक्ष महोदय, आपने प्वाइंट आफ आर्डर पर कोई रूलिंग नहीं दी। अभी व्यवस्था तो आपकी हो ले उसके बाद वह बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—अच्छा मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठ जायं। व्यवस्था में दे चुका हूं कि समय-समय पर पोलिटिकल एक्सपेंसीज की डिमांड हुआ करती है। सदा एक सी स्थिति नहीं रहती है।

श्री कमलासिंह यादव—मेरा प्वाइंट एक और है....

श्री अध्यक्ष—वह अब हो गया।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—व्यवस्था का प्रश्न हर समय हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर इसके प्रिऐम्बिल को देखा जाय तो,...

(शोर और कोलाहल के बीच)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जायं। मैं राजस्व मंत्री को बुला चुका हूं जब वह बोल चुकेंगे तब और कोई बोलेगा।

श्री बलवानसिंह—आप कमलासिंह जी के प्वाइंट को सुनिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनको कह दिया था कि बिल के संबंध में जो उनका कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट है उसके संबंध में जो कहना चाहें कहें, मैं उसके सिलसिले में सुनूंगा। उन्होंने उसको कहा और मैंने उसको सुना। अब मैं नहीं सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव—मेरा यह प्वाइंट है....

श्री अध्यक्ष—पहले राजस्व मंत्री बोलेंगे। उनको सब सुने।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय.... (शोर और गर्जना) जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसको माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं किन्तु जो कुछ उधर से कहा गया है....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन् यह आक्षेप है। इन शब्दों को वह वापस लें।

श्री अध्यक्ष—आप (श्री टम्बेश्वरीप्रसाद से) बैठ जाइये। आप बार-बार खड़े होते हैं। अब मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप अब फिर खड़े होंगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने यह विधेयक इसलिये सदन के सामने पेश किया है कि हम प्लान के लिये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं।

(शोर और गर्जना के बीच)

श्री अध्यक्ष—शारदाभक्तसिंह जी कृपया आप बैठें।

श्री शारदाभक्तसिंह—मैं तो यहां पर बैठा हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने नाम की गलती की। वह दूसरे सज्जन थे। (व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस विधेयक का अव्वल मकसद यह है कि हम प्लान के लिये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे राज्य के अन्दर एक लैन्ड का जो भूमिधर सिस्टम कायम हो गया है उस उद्देश्य को लेकर ही यह बिल लाया गया है। मैं यह और कह देना चाहता हूं कि हम इस विधेयक को केवल ५ वर्ष के लिये पास करना चाहते हैं। (शोर) (वापस लीजिये की जोर से आवाज) और गवर्नमेंट को यह अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे तो ५ वर्ष के बाद इसको बढ़ा दे। इसके साथ साथ हमारे इस विधेयक में यह भी है कि लैंड होल्डिंग की यूनिट मानी जायगी और जो लैन्ड होल्डिंग है....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—अगर आप फिर बीच में बोलेंगे तो मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा।

श्री शारदाभक्तसिंह—मेरा यह एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—लैन्ड होल्डिंग....

श्री शारदाभक्तसिंह—१७८ नियम के अनुसार मैं एक व्यवस्था उठाना चाहता हूं और नियमावली के अनुसार मुझे अधिकार है कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकूं।

श्री अध्यक्ष—अधिकार है, लेकिन मैं आपको एक घंटे से इस अधिकार का उपयोग करने का अवसर दे रहा हूं। अब मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी को बुला लिया है और वे बोलेंगे।

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बैठते तो कृपा कर सदन छोड़ दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—भूमिधर, सीरदार, असामी.....

कुंवर श्रीपालसिंह—माननीय राजस्व मंत्री ने यह आश्वासन नहीं दिया कि अगर यह बिल नल ऐंड वायड हो गया तो यह सारा पैसा उनकी तनख्वाह से काट लिया जायगा। जब तक वे यह आश्वासन नहीं देते उस समय तक आप उन्हें बोलने की अनुमति न दें यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह पब्लिक मनी का दुरुपयोग है।

श्री अध्यक्ष—यह कोई नियम नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा जनता का।

श्री अध्यक्ष—तब देखा जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं इतना निवेदन करना चाहत हूं कि अगर वह आश्वासन नहीं देते तो आप उनको बोलने न दें। इतना तो आप कर ही सकते हैं।

(इस सारे वार्तालाप के मध्य श्री हुकुमसिंह विसेन बराबर अपना भाषण करते रहे)

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह अधिकार नहीं है किसी को। हर सदस्य को बोलने का अधिकार है।

श्री कमलासिंह यादव—मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—माननीय श्रीपाल जी, यह बड़े अफसोस की बात है। न तो आप कोई इस प्रकार का आश्वासन ही मांग सकते हैं और न मैं उनको उसके लिये मजबूर ही कर सकता हूं। मैं यहां व्यवस्था चाहता हूं। यह नहीं हो सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह—आपकी असमर्थता के प्रति मैं दो मिनट के प्रति सदन का त्याग करता हूं।

(इसके उपरान्त कुंवर श्रीपालसिंह ने सदन का त्याग किया।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस विधेयक में तीन वर्ग के काश्तकार हैं भूमिधर, सीरदार और असामी। और उनके लगान की कैपिटल वैल्यू पर हम टैक्स ढाई परसेंट लेना चाहते हैं और कैपिटल वैल्यू किस तरह से मानी जायगी यह इस विधेयक में दिया हुआ है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—मान्यवर, सदन में बहुत अव्यवस्था होती जा रही है। सदन ठीक से चल नहीं रहा है इसलिये मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(इसके बाद श्री हरीशकुमार गंगवार ने सदन का त्याग किया।)

(इस बीच काफी शोर रहा और श्री हुकुमसिंह विसेन अपना भाषण करते रहे।)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—भूमिधर, सीरदार.....

श्री नाथूराम शिक्षक—अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—शिक्षक जी, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री नाथूराम शिक्षक—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैं आप को इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय नाथूराम शिक्षक को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलंबित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री नाथूराम शिक्षक को एक मास के लिये सदन की सेवा से निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आवाजें वह तो चले गये, वह चले गये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय....

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—मैं भी आपकी व्यवस्था के विरुद्ध वाक आउट करता हूं।

(इसके उपरान्त श्री अवधनारायणप्रतापसिंह ने सदन का त्याग किया।)

(माल मंत्री सदन के शोर गुल के मध्य बराबर अपना भाषण करते रहे।)

श्री अध्यक्ष—बिपिन बिहारी जी, मैंने कह दिया है कि मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने राजस्व मंत्री जी को बुला लिया है। आप बैठ जाइये। नहीं तो मजबूर होकर मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह विधेयक.....

श्री अध्यक्ष—रतीपाल जी, मैं आप से यह कह रहा हूं, आप बैठ जाइये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था के विरुद्ध दो मिनट के लिये सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी सदन को त्याग कर चले गये।)

(एक अन्य सदस्य ने इसी प्रकार का वक्तव्य दे कर सदन का त्याग किया और अनेक सदस्य बराबर जोर-जोर से बोलते रहे। माल मंत्री इस बीच में बराबर भाषण करते रहे)

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में वाक-आउट कर रहा हूं।

एक सदस्य—मैं १५ मिनट के लिये वाक-आउट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रेस गैलरी से कह रहा हूं कि अव्यवस्था से संबंधित जो-जो बातें यहां हो रही हैं या सदस्य कह रहे हैं वह प्रेस में नहीं छपेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन सब बातों के होते हुये भी.....

(व्यवधान तथा शोर)

श्री अध्यक्ष—काशीनाथ जी आप बैठिये। लखी सिंह जी कहते हैं इंगित करने को। मैं उनको इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय लखी सिंह को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलंबित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री लखीसिंह को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एक सदस्य—वह तो पहले ही चले गये यहां थे ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—वह हों या न हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ।

श्री हरिनाथ तिवारी—मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हरिनाथ तिवारी ने सदन का त्याग किया ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अब इस वक्त कोई नहीं बोलेगा, आप कृपया बैठें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—हम विरोधी दल के सदस्य ५ मिनट के लिये वाक आउट करते हैं।

(इसके उपरान्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—सदन का समय १५ मिनट और बढ़ाया जाता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि २५१ धारा के होते हुये कोई मालगुजारी नहीं बढ़ायी जा सकती जो ४० वर्ष के लिये वादा किया गया था । मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं मालगुजारी नहीं बढ़ाता, मैं केवल टैक्स लगाता हूं और जो एक डेवलपिंग कंट्री होता है वह जरूरत के मुताबिक कानून बनाया करता है और लेजिस्लेचर को अधिकार ह कि अगर कोई कानून अनुपयोगी साबित हो तो उसको रद्द कर दे, जैसा कि लार्ज लैन्ड होल्डिंग टैक्स इस लेजिस्लेचर ने बनाया था और रद्द भी किया । हमने धारा २३ में रखा है कि कोई कानून होते हुये भी जो टैक्स लगाया जायगा वह इफेक्टिव होगा और कानूनन जायज होगा । तो २५१ का प्वाइंट भी खत्म हो जाता है ।

एक सदस्य—मैं सदन का ५ मिनट के लिये त्याग करता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि जन संघ (व्यवधान) राजाओं की जमाअत है और इसमें कम्युनल टाइप के लोग हैं.....(अत्यधिक शोर)

कुंवर श्रीपालसिंह—माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, अपने शब्दों को वापस उन्होंने जन संघ पर लांछन लगाया है.....

(सदन में काफ़ी शोर के बीच राजस्व मंत्री, कुंवर श्रीपालसिंह तथा कई सदस्य बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—श्रीपाल सिंह जी, आप कृपया बैठिये, आर्डर ,आर्डर ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस पार्टी ने ,इन राजाओं ने, गरीबों के साथ बड़ा अत्याचार किया है और बड़े हमदर्द गरीबों के बनते हैं। (व्यवधान) पी० एस० पी० प्रजातंत्र में यकीन करती है, समाजवाद का नारा लगाती है.....

एक सदस्य—(व्यवधान के बीच में) मैं दो मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—मेरा व्यवस्था का सवाल है....

श्री अध्यक्ष—जब तक राजस्व मंत्री अपना भाषण समाप्त न कर लें, कोई व्यवस्था नहीं उठ सकती ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जन संघ का रवैया कोई पसन्द नहीं करता । वे तो बाहर भी हुल्लड़ मचाते हैं और यहां भी.....

कुंवर श्रीपालसिंह—यह जनसंघ पर आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष—आप भी इस तरह की बातें करते हैं, कृपया बैठिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आपमें सुनने की भी क्षमता नहीं है।

श्री बलवानसिंह—माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कुछ मैनेजरसिंह जी के बारे में कहा था, मैं उसे फिर सुनना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह हमारे दोस्त हैं और बलिया के रहने वाले भी हैं। उनके लिये मैं कह सकता हूं। बलवानसिंह जी को अगर चोट लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं।

मैं माननीय जेड० ए० अहमद का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस हुड़दंग में भाग नहीं लिया क्योंकि उनको प्रजातंत्र में विश्वास है। माननीय बलवान सिंह जी बुरा मानते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों के रवैये की तरफ़ नजर नहीं डालते। १–२ बजे से उन लोगों ने क्या तरीका अख्तियार किया है।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—जेड० ए० अहमद साहब से कौन सी रिश्तेदारी है?

श्री अध्यक्ष—श्री मतोलासिंह, आप बैठिये।

श्री मैनेजरसिंह—मतोलासिंह जी पूछ रहे हैं कि जेड० ए० अहमद साहब से उनकी कौन रिश्तेदारी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वही रिश्तेदारी है जो आप से है।

इस सदन की मान मर्यादा, माननीय सदस्यों की मान मर्यादा, अपनी मान मर्यादा और इस प्रदेश की मान मर्यादा कायम रखने के लिये इस प्रकार के तरीकों से बाज आइये। यह खसरा-खतौनी की तरह से आपने बंडल यहां लाकर रख दिया और कह दिया कि ३ लाख आदमियों के दस्तखत हैं। पता नहीं पैर के अंगूठे लगे हैं या हाथ के लगे हैं। इन दस्तखतों के आधार पर अगर आप चाहें तो यह विधेयक वापस नहीं हो सकता।

कुंवर श्रीपाल सिंह—आप जरा ह्विप को फ्री कर दीजिये तब देखिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं सब जानता हूं कि आप कैसे यहां आये। प्राइवेट बातों को कहने का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन जब आप मजबूर करेंगे तो कहनीं पड़ेंगी। आपका यह सोचना कि हमारी पार्टी में इसके ऊपर ऐक्य नहीं है, यह आप को धोखा है। सब एक हैं। वे हमारे हैं और हम उनके हैं।

श्री बलवानसिंह—आप किस कान्स्टीट्यूशनल प्वाइन्ट पर बोल रहे हैं। आप इस पर अपनी रूलिंग दीजिये।

एक सदस्य—श्रीमन्, सदन का समय समाप्त हो गया है। उसको बढ़ाया भी नहीं गया है, इसलिये यह सब कार्यवाही अवैध हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—आप को मालूम नहीं है, यह सदन पौने ६ बजे तक बैठेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस प्रकार के हुल्लड़ से यह विधेयक वापस नहीं हो सकता। रूल के अनुसार अगर यह डिफीट हो जाय तो हम चाहें तो भी हम ला नहीं सकते। इस खसरा खतौनी से यह वापस नहीं हो सकता। जैसे लाद कर उसको आप लाये हैं, वैसे ही ले जाइये। नेता विरोधी दल ने माननीय कृष्णपालसिंह को फांस लिया और वे एक माह के लिये निलंबित कर दिये गये।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या फंसाया जाना शब्द संसदीय है?

श्री अध्यक्ष—जिस तरह की बातचीत आप करते हैं उसी तरह की आपको सुननी चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या आप सदन को इस प्रकार की छूट देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक साहब ने कहा कि अगर यह बिल वायंड हो जाय तो इस पर खर्च हुआ पैसा राजस्व मंत्री की तनख्वाह से काटा जाय। लेकिन यह जनसंघ थोड़ी ही है जहां कोई काम कायदे से होता ही न हो। यहां तो सब काम कायदे से ही होता है। जब तक अध्यक्ष महोदय यहां मौजूद हैं वे उस कायदे की रक्षा करते रहेंगे और हम सब को मजबूर होकर एक ही दरवाजे से निकलना पड़ेगा। आप यह हुल्लड़ थोड़ी देर के लिये कर लीजिये। जो चाहे वह चला जाय, अगर हमको भी कहा जायगा चले जाने के लिये तो चला जाना पड़ेगा। बहुत से माननीय सदस्य सदन से चले गये, उनको चले जाने का अख्तियार है। गालिबन हमारे नेता सदन भी चले गये और अपना खसरा खतौनी सब यहीं छोड़ गये ....

(व्यवधान)

मेरा मतलब नेता विरोधी दल से था। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत भूल हो जाना स्वाभाविक है।

(व्यवधान)

बाज वक्त ऐसी ग़लती हो जाती है कि कहना कुछ हो और कह कुछ दिया जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वे अपना खसरा खतौनी यहीं छोड़ गये।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री काशीनाथ जी, आप बैठ जायं। माननीय माल मंत्री जी, विधेवक की मूल बातें बता दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर हमारे माननीय मित्रों ने शोरगुल में सुना न होगा तो मैं बतला दूं कि हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि हम गरीबों के साथ हमदर्दी रखते हुए उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगावेंगे और इसलिये हम ८ एकड़ वाले काश्तकारों तक को मुक्त कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—८ एकड़ तक या ८ बीघे तक को मुक्त करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—८ एकड़ तक के काश्तकार को मुक्त करेंगे।

श्री बलवानसिंह—मैं इसका क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे भाई जो उधर बैठे हुए हैं वे इसका विरोध इसलिये करते हैं कि वे बड़े-बड़े काश्तकारों की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी, दो बातें आपने कहीं—एक तो यह कि यह टेम्प्रेरी है ५ वर्ष के लिये....

श्री हुकुमसिंह विसेन—और ८ एकड़ से ऊपर वालों के लिये है कैपिटल वैल्यू की बेसिस पर।

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—यह हम लोगों की वजह से हुआ है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, इसे हम लोगों ने निश्चय किया है।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—नियम.....

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आप बैठ जायं।

श्री हुकुम सिंह विसेन—कैपिटल वैल्यू के हिसाब से जो मालगुजारी होगी उसके आधार पर १६ से २० एकड़ तक छूट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—लैंड रेवेन्यू देख कर यह निश्चित किया जायगा, यानी अगर कहीं लैंड रेवेन्यू कम है तो २० एकड़ तक छूट मिल जायगी।

श्री हुकुर्मासिह विसेन—१६ से २० एकड़ तक।

कुंवर श्रीपालसिंह—जहां लैंड रेवेन्यू ज्यादा होगा वहां कितने एकड़ तक छूट मिलेगी, ८ एकड़ तक पर या उससे कम पर, वह भी जरा क्लैरिफिकेशन करा दें।

श्री हुकुर्मासिह विसेन—जो हमारा हिसाब-किताब बैठेगा उसके हिसाब से इसमें संशोधन लायेंगे और कोई खामी होगी तो उसे दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद जी, आप बैठ जायं।

श्री हुकुर्मासिह विसेन—हमारे छोटे काश्तकारों को छूट मिलेगी, इसलिये हमारे मित्रों का शोर गुल बेकार है। अगर इसी कारण से शोरगुल करते रहेंगे तो बदनामी आ जायगी आपके ऊपर। उधर ज्यादातर बड़े-बड़े काश्तकार ही बैठे हुए हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, नियम १७७ के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री हुकुर्मासिह विसेन—इस बिल के नाम पर जो यह बवेला मचाया जा रहा है, वह इस बिल के पास हो जाने से खत्म हो जायगा और हमारे मित्रों की परेशानी भी खत्म हो जायगी। तब उनके लिये प्रचार करने का कोई मौका नहीं रहेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, जरा उठने से पहले यह भी साफ करा दीजिये कि जहां मालगुजारी ज्यादा है वहां ८ एकड़ से कम पर तो नहीं लगेगा।

श्री हुकुर्मासिह विसेन—जब बिल पर विचार होगा तो इस पर सदन विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री हुकुर्मासिह विसेन से) अभी आप क्या और बोलेंगे?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—जी हां।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, तो अब हम उठते हैं और पहली तारीख को १० १/२ बजे माननीय राजस्व मंत्री का भाषण जारी रहेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर सोमवार, १ अक्तूबर, १९६२ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
२७ सितम्बर, १९६२।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर]

क्रम-संख्या	जिला	ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या	हानि जो इन दुर्घटनाओं में हुई		
			व्यक्ति	पशु	सम्पत्ति
१	२	३	४	५	६
					रु०
१	देहरादून ..	७७	६३	१४	..
२	सहारनपुर ..	८२	६०	९	५२,६७०
३	मुजफ्फरनगर ..	५७	३	५	३७०
४	मेरठ ..	१८०	१२९	३१	..
५	बुलन्दशहर ..	६५	४१	४	१,४००
६	अलीगढ़ ..	९५	४९	२०	१,०३५
७	मथुरा ..	४२	१८	४	..
८	आगरा ..	उपलब्ध नहीं है।	..	..	..
९	मैनपुरी ..	२५	२३	५	२,३००
१०	एटा ..	३१	२३	७	..
११	बरेली ..	४५	२८	१३	१,७२०
१२	बिजनौर ..	५०	२७	१०	१५०
..					१५० के अतिरिक्त एक बस व साइकिल की हानि हुई।
१३	बदायूं ..	१३	७	३	..
१४	मुरादाबाद ..	५९	३२	८	..
१५	रामपुर ..	३४	१८	५	..
१६	शाहजहांपुर ..	२३	१९	६	..

क्रम-संख्या	जिल		ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या	हानि जो इन दुर्घटनाओं में हुई		
				व्यक्ति	पशु	सम्पत्ति
१	२		३	४	५	६
१७	पीलीभीत	..	१३	६	..	..
१८	फर्रुखाबाद	..	१६	१२	५	१०२
१९	इटावा	..	४६	२७	१२	..
२०	कानपुर	..	१०३	६९	१५	८,६०५
२१	फतेहपुर	..	३२	२८	३	..
२२	इलाहाबाद	..	१२२	७२	१५	५,३३०
२३	झांसी	..	४१	३५	११	..
२४	जालौन	..	१५	१३	२	..
२५	हमीरपुर	..	३	३	..	..
२६	बांदा	..	७	५	२	..
२७	बनारस	..	८७	९९	१०	१६,५२५
२८	मिर्जापुर	..	७०	४५	१२	..
२९	जौनपुर	..	२६	१९	२	२०,८७४
३०	गाजीपुर	..	१०	७	२	२००
३१	देवरिया	..	१९	९	..	..
३२	बलिया	..	१२	११	५	..
३३	गोरखपुर	..	१९	१७	३	..
३४	बस्ती	..	१०	९	१	..
३५	आजमगढ़	..	१८	१३	१	१५
३६	नैनीताल	..	४६	२५	८	२,५००
३७	लखनऊ	..	११७	३२	६	४,९४०
३८	उन्नाव	..	४५	२०	१२	१,८००
३९	रायबरेली	..	११	८	२	४००
४०	सीतापुर	..	१२	३	२	..
४१	हरदोई	..	९	४	१	..

क्रम-संख्या	जिला		ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या	हानि जो इन दुर्घटनाओं में हुई		
				व्यक्ति	पशु	सम्पति
१	२		३	४	५	६
४२	खीरी	..	२४	१०	..	२५
४३	फैजाबाद	..	३१	२७	४	..
४४	गोंडा	..	१३	९	२	५०
४५	बहराइच	..	११	१२	३	..
४६	सुल्तानपुर	..	१६	९	७	..
४७	प्रतापगढ़	..		२	१०	२५० २५० के अतिरिक्त एक पुलिस जीप की हानि हुई।
४८	बाराबंकी	..	१८	१५	४	५०
४९	चमोली	..	१	..	१	..
५०	पिथौरागढ़	..	..	..	..	..
५१	उत्तर काशी	..	२	२	..	..
	योग	..	१,९१०	१,२१७	३०७	१,२१,३११

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१२ पर]

मेडिकल आफिसर इन्चार्ज परिवार नियोजन केन्द्र की निम्नलिखित ड्यूटी हैं:

(१) अपने जिले के परिवार नियोजन योजना को कार्यान्वित करने की इन्चा र्ज है।

(२) वह परिवार नियोजन केन्द्र के कर्मचारियों की इन्चार्ज हैं और उनके कार्य की देख-रेख की जिम्मेदार हैं।

(३) अपने जिले के समस्त परिवा र नियोजन केन्द्रों की कार्य प्रणाली की देख रेख करना।

(४) अपने जि ले के शहरी (Urban) परिवार नियोजन केन्द्रों का प्रबन्ध करना।

(५) परिवार नियोजन पर प्रशिक्षण देना।

(६) शहर में परिवार नियोजन कार्य के लिये भ्रमण।

(७) परिवार नियोजन शिक्षा का प्रबन्ध करना। मीटिंग, चल चित्र प्रदर्शन, परिवार नियोजन कमेटियों का निर्माण और जलसों इत्यादि का प्रबन्ध करना।

(८) परिवार नियोजन केन्द्रों का भ्रमण।

(९) डाक्टर को अपने कर्मचारियों से भली भांति परिचित होना चाहिये।

(१०) माह में एक बार कर्मचारियों की मीटिंग करना।

(११) केन्द्र के कर्मचारियों के केन्द्र के कार्य का महत्त्व बताना।

(१२) सोशल वर्कर के क्षेत्र में कार्य करने का प्रोग्राम, यातायात के साधन तथा दूरी का ध्यान रखते हुए बनाना।

(१३) परिवार नियोजन की नवीन दवाइयों का ज्ञान रखना।

(१४) परिवार नियोजन उपकरणों तथा दवाइयों को कन्ट्रासेप्टिक यूनिट में टेस्टिग तथा विषलेषण के लिये भेजना।

(१५) परिवार नियोजन के मुख्य कार्यालय से सम्पर्क रखना, समाचारिक खबरों का समाधान करना। मासिक रिपोर्ट को प्रेषित करना तथा उनका लेखा जोखा ठीक प्रकार से रखना, अन्तिम उत्तरदायित्व डाक्टर का है।

प्रातः काल नित्य नियोजन केन्द्र में उपस्थित होना एवं बाहरी कार्य अस्पताल के खास समय के अनुसार करना, चिकित्सालय में गर्भवती स्त्रियों की रक्षा का कार्य न हो रहा हो तो उसका प्रबन्ध करना। यदि परिवार नियोजन केन्द्र अलग बिल्डिग में स्थित हो तो उपरोक्त कार्य परिवार नियोजन केन्द्र में करना चाहिये। यदि परिवार नियोजन केन्द्र में जच्चा की देख-रेख न हो रही हो तब उसे आरम्भ करना। डाक्टर को कम से कम अपने जिले के ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों का दौरा मास में एक बार करना चाहिये वहां जच्चा केन्द्र में गर्भवती स्त्रियों की सुरक्षा का कार्य करना चाहिये।

नोट :—इसके लिये यातायात का प्रबन्ध जिला स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक केन्द्र से अधिक केन्द्र हैं तो डाक्टर को इस तरह से अपना प्रोग्राम बनाना चाहिये ताकि हफ्ते में एक बार से ज्यादा अपना हेड क्वार्टर न छोड़ना पड़े।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१७ पर)

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ की रिपोर्ट, दिनांक २०-२-६१ (जो शासन को २४-२-६१ को प्राप्त हुई) का मामला से सम्बन्धित खुलासा ।

दिनांक १३-१२-६० को थाना मधुबन के अफसर दोयम ने एक अभियुक्त राम प्रसाद कोइरी को २८ सेर अवैध गांजा सहित ग्राम धर्मपुर देवारा थाना मधुबन में गिरफ्तार किया तथा एक मुकदमा ६०, आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत कायम किया । इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, को एक शिकायत मिली कि वास्तव में उक्त अफसर दोयम ने ६५ बोरा अवैध गांजा और १४ अभियुक्तों को पकड़ा था और इसमें से केवल एक अभियुक्त व २८ सेर गांजे का पकड़ा जाना दिखलाया और बाकी गांजा बेच कर नाजायज लाभ उठाया । इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक, परिवाद, द्वारा की गई जांच से यह मालूम हुआ कि अफसर दोयम ने दिनांक १३-१२-६० को बिना किसी अन्य पुलिस कर्मचारी की सहायता लिये स्वयं ही जनता के कुछ लोगों के सहयोग से अवैध गांजा पकड़ा, जिसमें गांजा २८ सेर से अधिक था और अभियुक्तों की संख्या भी १ से अधिक थी । परन्तु यह कहना कि ६५ बोरा गांजा व १४ अभियुक्त अफसर दोयम ने पकड़े थे सही नहीं है ।

जांच से यह पता चला कि यह गांजा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता का था । अतः उनके विरोधी कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने अफसर दोयम से मिलकर उसे पकड़वा दिया । यह भी पता चला कि इसी कारण जिस व्यक्ति का गांजा था उसने थानेदार की मदद से इस बात को शोहरत दी कि गांजा ६५ बोरी था व १४ अभियुक्त पकड़े गये थे पर अफसर दोयम ने पैसा लेकर गांजा बेच दिया और अभियुक्त छोड़ दिये । यह भी पता चला कि जिसका गांजा पकड़ा गया वह पार्टी थानेदार से मदद लेती थी जबकि उसकी विरोधी पार्टी की सहानुभूति अफसर दोयम से थी । इसका कारण यह था कि दोनों पुलिस अफसर स्वार्थवश राजनैतिक दलबन्दी में पड़ गये थे । जांच के समय एक दल ने थानाध्यक्ष की तथा दूसरे दल ने अफसर दोयम की सहायता की । दोनों दलों ने सत्य और असत्य को इस तरह मिलाया कि यह पता चलाना कठिन हो गया कि सही सही कितना गांजा पकड़ा गया, परन्तु यह अवश्य पता चला कि गांजे की मात्रा २८ सेर से अधिक थी ।

थानेदार को प्रत्यावर्तित कर अफसर दोयम बना कर स्थानान्तरित कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल अफसर दोयम को भी बदल दिया गया है और उन दोनों की ईमानदारी संदिग्ध पाई जाने के कारण ईमानदारी की सनद रोकने की कार्यवाही की जायेगी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७–८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१८ पर)

विवरण-पत्र (१)

इलाहाबाद जिले के प्रत्येक तहसील में १९५५–५६ से १९६०–६१ तक सिंचाई के कुओं के निर्माण हेतु दी गई तकावी का विवरण

वर्ष	तहसीलवार तकावी की धनराशि (रुपयों में)								
	चायल	सिराथू	मंझनपुर	सोरांव	फूलपुर	हंडिया	करछना	मेजा	योग
१९५५–५६	२४,८००	८,४००	१,५००	..	१४,४६०	१९,३२४	५००	३,५००	७२,४८४
१९५६–५७	४,७२५	१४,६२५	८,०००	८००	..	२,५००	७,९५०	१०,१५०	४८,७५०
१९५७–५८	१७,५००	९,४००	७,५००	६,९००	७,७५०	७,८००	७,५००	१,५००	६५,८५०
१९५८–५९	२,३२६	..	१,५००	..	१,८००	५००	१६,९५०	४,१५०	२७,२२६
१९५९–६०	२०,७५०	३२,८००	४,६५०	९,६५०	७,७५०	२७,४००	१७,७२०	७,१००	१,२७,८२०
१९६०–६१	२४,०००	५२,७००	१४,९००	३७,१५०	१५,०००	३४,०००	४०,९००	३८,३५०	२,५७,०००

विवरण-पत्र (२)

इलाहाबाद जिले में प्रत्येक तहसील में १९५५–५६ से १९६०–६१ तक सिंचाई के हेतु निर्मित कुओं पर स्वीकृत की गई छूट का विवरण

वर्ष	तहसीलवार स्वीकृत की गई छूट की धनराशि (रुपयों में)								
	चायल	सिराथू	मंझनपुर	सोरांव	फूलपुर	हंडिया	करछना	मेजा	योग
१९५५–५६	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१९५६–५७	२००	३००	..	..	३,०००	८००	..	..	४,३००
१९५७–५८	२,२००	२,३००	..	६००	४,५००	४,७००	१२५	..	१४,४२५
१९५८–५९	५,७००	..	..	..	२,५००	५,५००	२००	३००	१४,२००
१९५९–६०	४,७२५	..	..	७५	१४,३७५	३००	२२५	३००	२०,०००
१९६०–६१	१,४६२	..	..	..	६,३६२.५०	८००	६४०	..	९,२६.४५०

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न

LAKSHMIRATAN ENGINEERING

BALANCE SHEET AS AT

Previous year	Liabilities		Rs.	Rs.
25,67,507	Share Capital ..	..	..	32,78,573
	RESERVES AND SURPLUS			
	Development Rebate Reserve :			
	As per last Account	..	1,23,036	
1,23,036	Provided during the year	..	2,08,021	3,31,057
78,00,532	Secured loans		..	95,24,519
2,13,972	Unsecured Loans :			
	Current Liabilities and Provisions :			
	Current Liabilities :			
23,08,173	Sundry Creditions	..	25,94,322	..
9,74,548	Refundable Share Application Money		816	..
6,87,062	Other liabilities	..	1,45,462	27,40,600
39,60,783				

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET :

(1) Arrears of Fixed Cumulative Dividend on Preference Shares for 14 years Rs. 5,04,140 free of income tax.

(2) Penal Interest due to default in repayment of U. P. Government loan and interest thereon according to terms and conditions agreed upon Rs. 1,52,154.

1,46,65,830	Total Rs.	1,58,74,749

Bombay : 19 th. May, 1962.

As per our report of even date

M. G. MOHONI & CO.

Chartered Accounts.

'ङ'

११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

WORKS LIMITED

30TH SEPTEBER, 1961.

Previous year Rs.	Assets	Rs.	Rs.
79,53,847	FIXED ASSETS		81,07,860
	LISTER DRAWINGS		
	As per last Account	10,704	
	Add : Cost incurred this year	26,713	
		37,417	
10,704	*Less* : Written of this year	10,695	26,722
	KUBOTA DRAWINGS		29,361
	INVESTMENT (AT COST):		
15,000	12 years National Plan Saving Certificates. (Unquoted) (Deposited as security with Kanpur Electric Supply Administration).		15,000
	NOTE—The above is not a Trade Investment.		
	CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES.		
55,93,095	A—CURRENT ASSETS		68,49,056
	B—LOANS AND ADVANCES.		
	Unsecured Considered Good :		
2,03,786	(1) Accrued Incomes ..	8,188	
	(2) Advances recoverable in cash or kind or for value to be received.	2,31,334	
6,11,545	(3) Advances for Stores and Capital Expenditure.	3,75,350	
2,321	(4) Advances due from Firms or Private Companies in which Directors are interested.	2,095	
24,061	(5) Advance to Staff	44,314	
22,025	(6) Deposits	29,835	
	Unsecured considered Doubtful	2,788	
8,63,738			6,93,904
	Miscellaneous Expenses:		
	Commission and Brokerage on subscription of shares.		1,42,650
	PROFIT AND LOSS ACCOUNT:		
3,23,228	Balance as per last account	2,29,446	
93,782	Less Surplus as per Profit and Loss Account.	2,19,250	10,196
2,29,446			
1,46,65,830	Total Rs.		1,58,74,749

The above Balance Sheet to the best of our belief contains a true and fair accounts of the assets and liabilities of the Company. In the opinion of the Directors the current assets have value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

RAM RATAN GUPTA Chairman
PREM KUMAR GUPTA Managing Director.
RAM PRASAD GUPTA } Directors.
PARIPURNANAND VERMA }
KUNDAN LAL AGARWAL. }

G.D.PURI.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

तालिका

क्षेत्र	जिले	तीसरी योजना का व्यय (लाख रुपयों में)
उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र	उत्तरकाशी, चमोली और पिठौरागढ़	२,८००
	टेहरी–गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून ..	३,२२६
पश्चिमी क्षेत्र	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, एटा, मेरठ, बुलन्दशहर, मैनपुरी, मथुरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इटावा और फर्रुखाबाद	९,७०१
केन्द्रीय क्षेत्र	खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, कानपुर, फतेहपुर और बाराबंकी	६,९०२
पूर्वी क्षेत्र	देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर और इलाहाबाद	११,०११
बुन्देलखंड	झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा	२,३१७

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२७ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

गंगा/सारदा विद्युत् क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए दर सूची

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने गंगा/सारदा ग्रिड द्वारा सर्वित क्षेत्र में विद्युत् शक्ति प्रदान करने के हेतु निम्नलिखित परिवर्तित दरें मंजूर की हैं।

मई, १९६२ तथा इसके आगे के महीनों की विद्युत् शक्ति की खपत के बिल, जो जून, १९६२ तथा भविष्य में भेजे जायेंगे, इन्हीं परिवर्तित दरों पर आधारित होंगे।

आज्ञा से
मुख्य अभियंता,
जल विद्युत्।

दर अनुसूची जी०एस०जी०/एम०पी०एम० पी०/२

मध्यम शक्ति

(१) विनियोज्यता—यह दर ऐसे सभी तीन फेज (3 phase) वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिनका कि उद्योग-कार्य के निमित्त अधिस्थापित भार २० किलोवाट से अधिक तथा ८५ किलोवाट से कम हो, भले ही उनकी प्रक्रिया, जिसमें बिजली प्रयोग की जाय, कोई भी हो।

(२) सेवा का प्रारूप—ए०सी० (A.C.) तीन फेज, तीन तार या चार तार, ५० साइकिल ४०० वोल्ट (फेजों के बीच)।

(३) दर—प्रत्येक किलोवाट अधिस्थापित विद्युत् भार पर—

प्रथम २०० किलोवाट आवर प्रति मास	१३ न०पै० प्रति कि०वा० आवर।
मास की शेष खपत	११ न०पै० प्रति कि०वा० आवर।

उपरोक्त दर पर ३ नये पैसे प्रति किलोवाट आवर की छूट देय होगी यदि चालू महीने के बिल का भुगतान पिछली बाकी धनराशि के सहित, बिल में निर्धारित तिथि तक कर दिया जाय।

(४) न्यूनतम वार्षिक मूल्य—अधिस्थापित भार के प्रत्येक किलोवाट पर ८० रु० प्रति वर्ष।

(५) एक बिन्दु पर वितरण—उपभोक्ता को सम्पूर्ण सीमा में केवल एक ही बिन्दु पर विद्युत् शक्ति दी जायेगी तथा वितरक कोई सब-मीटर (sub-meter) आदि न लगायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

गंगा/सारदा विद्युत् क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिये दर सूची

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने गंगा/शारदा ग्रिड द्वारा सर्वित क्षेत्र में विद्युत् शक्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित परिवर्तित दरें मंजूर की हैं।

मई, १९६२ तथा इसके आगे के महीनों की विद्युत् शक्ति की खपत के बिल जो जून, १९६२ तथा भविष्य में भेजे जायेंगे, इन्हीं परिवर्तित दरों पर आधारित होंगे।

आज्ञा से
मुख्य अभियंता,
जल विद्युत्।

दर अनुसूची जी०एस०बी०/एस०पी०-एम०पी०/१

लघु शक्ति

(१) विनियोज्यता—यह दर ऐसे ३ फेज (3 phase) वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिनका उद्योग कार्य के निमित्त अधिस्थापित भार एक किलोवाट से अधिक तथा २० किलोवाट से कम हो, भले ही उनकी प्रक्रिया जिसमें बिजली प्रयोग की जावे, कोई भी हो ।

(२) सेवा का प्रारूप—ए०पी० (A.C.) तीन फेज, तीन तार या चार तार ५० साइकिल, ४०० वोल्ट (फेजों के बीच) ।

(३) दर—प्रत्येक बी० एच० पी० अधिस्थापित विद्युत् भार पर—

प्रथम १५० किलोवाट आवर प्रतिमास	१४ नये पैसे प्रति किलोवाट आवर।
मास की शेष खपत	१२ नये पैसे प्रति किलोवाट आवर।

उपरोक्त दर पर ३ नये पैसे प्रति किलोवाट आवर की छट देय होगी यदि चालू महीने के बिल का भुगतान, पिछली बाकी धनराशि के सहित, बिल में निर्धारित तिथि तक कर दिया जाय।

(४) न्यूनतम वार्षिक मूल्य—अधिस्थापित भार के प्रत्येक बी० एच० पी० पर ६६ रु० प्रति वर्ष ।

(५) एक बिन्दु पर वितरण—उपभोक्ता को उसकी सम्पूर्ण सीमा में केवल एक ही बिन्दु पर विद्युत् शक्ति दी जायेगी तथा वितरक कोई सब-मीटर (sub-meter) आदि न लगायेगा ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

हैदरगढ़ औषधालय में वार्षिक मरीज तथा वार्षिक व्यय के आंकड़े

वर्ष	मरीजों की संख्या प्रति वर्ष		योग	वार्षिक व्यय दवा पर रुपयों में
	अंतर वासी	बाहर वासी		
१९५७	१६८	२२,७९३	२२,९६१	१,५७५
१९५८	१८५	२२,७२९	२२,९१४	१,३८६
१९५९	११३	१९,१३६	१९,२४९	१,३८०
१९६०	९७	१६,९६१	१७,०५८	१,३९६
१९६१	१०७	१५,६२३	१५,७३०	१,४३४

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२०–१२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर)

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, गोरखपुर का निर्माण

१—मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	.. .. ..	चेयरमैन
२—उप-मंत्री (विद्युत्), उत्तर प्रदेश	.. ..	मेम्बर
३—राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि	..	,,
४—राज्य सरकार के विद्युत् विभाग का एक प्रतिनिधि	..	,,
५—राज्य सरकार के उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि		,,
६—आल इन्डिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एजूकेशन का एक प्रतिनिधि		,,
७—भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ साइन्टिफिक रिसर्च ऐन्ड कल्चरल अफेअर्स का एक प्रतिनिधि		,,
८—रुड़की विश्वविद्यालय के उप-कुलपति या उनके मनोनीत	..	,,
९—गोरखपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति या उनके मनोनीत	..	,,
१०—मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रिंसिपल या उनके मनोनीत		,,
११—सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता या उनके मनोनीत		,,
१२—यू० पी० विधान सभा में विरोधी दल के नेता १३—श्री इस्तफा हुसैन, भूतपूर्व एम० एल० ए० १४—श्री राम सूरत, एम० एल० ए० १५—श्री द्वारका प्रसाद पांडेय, गोरखपुर १६—डा० विश्वम्भर सिंह, मेरठ सिटी		सरकार द्वारा मनोनीत किये गये इस राज्य के पांच गैर सरकारी प्रतिनिधि जो प्राविधिक शिक्षा में रोचकता रखते हों।
१७—प्रिंसिपल		मेम्बर तथा पदेन सेक्रेटरी।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में भर्ती के नियम

गोरखपुर इंजीनियरिंग कालेज के सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा के प्रथम वर्ष में छात्रों की भर्ती एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा की जायगी, परन्तु १९६२–६३ के शैक्षिक-सत्र के लिये यह भर्ती छात्रों द्वारा इंटरमीडिएट या उसके बराबर की परीक्षा में प्राप्त हुए नम्बरों के आधार पर की गयी है। जिसमें बी० एस-सी० के परीक्षाफल को यथोचित प्रधानता दी गयी है।

भर्ती के लिये उम्मीदवार की उम्र भर्ती किये जाने वाले वर्ष की १५ जुलाई को १७ वर्ष से कम व २१ वर्ष से अधिक न होनी चाहिये। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वर्गों तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिये अधिकतम उम्र में ३ वर्ष की वृद्धि किये जाने का प्राविधान किया गया है। उम्र में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार न किये जाने का भी प्राविधान किया गया है।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर)

नत्थी का ब्योरा

इस समय से ३१-३-६३ तक ..	१०० प्रतिशत लोड फैक्टर पर २० मेगावाट अथवा ५० प्रतिशत लोड फैक्टर पर ४० मेगावाट ।
१-४-१९६३ से ३१-१०-१९६३ तक	१०० प्रतिशत लोड फैक्टर पर १० मेगावाट अथवा ५० प्रतिशत लोड फैक्टर पर २० मेगावाट ।
१-११-१९६३ से ३१-३-१९६४ तक	१०० प्रतिशत लोड फैक्टर पर ५ मेगावाट अथवा ५० प्रतिशत लोड फैक्टर पर १० मेगावाट ।

१-४-१९६४ से कोई बिजली नहीं दी जायेगी ।

संसद भवन

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

प्र० सं० १६ से सम्बन्धित सूचना

अम्बल घाटी के डाकू दल अधिकांश मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना जिलों में या राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ियों या जंगलों में रहते हैं । कभी-कभी वे सीमा पार कर के आगरे जिले में अपराध करने की नीयत से चले आते हैं और अपराध करके तुरन्त वापस लौट जाते हैं । उनके अपराधों को रोकने और मुकाबला करने के लिये पुराने थानों के अलावा ४ थाने, खैरा, राठौर, निबौरा और पिढौरा स्थापित किये गए हैं, जिनमें सशस्त्र और सिविल पुलिस दोनों ही तैनात हैं । इसके अलावा ३ चौकियां वासौनी, मन्सूखपुरा और कारकौली में स्थापित की गई हैं जिनमें भी सशस्त्र और सिविल पुलिस दोनों ही हैं । पी० ए० सी० की ६ कम्पनियां ऐसी जगहों पर तैनात हैं जिसके प्लादून १६ जगहों पर बंटे हुए हैं और यह जगहें इस उद्देश्य से छांटी गई हैं कि जब भी गैंग मध्यप्रदेश या राजस्थान से सीमा पार करके इस जिले के क्षेत्र में घुसे तो फौरन ही उनका पीछा करके मुकाबला किया जा सके । ऐसी कई जगहों पर हमारे वायरलैस के सेट भी हैं जिससे डाकुओं की हरकतों की खबर तुरन्त पहुंचाई जा सके । मुखबिरों का भी इस्तेमाल किया जाता है । इन सब के फलस्वरूप अभी हाल ही में ३ मुकाबले हुए, जिनमें ७ डाकू मारे गये ।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५० पर)

नियमावली

१—पांच छात्रवृत्तियां, प्रत्येक ५० रु० प्रति माह की (प्रथम वर्ष में ९ माह के लिये तथा उसके बाद पूरे वर्ष के लिये, यदि जारी रहे) राज्य सरकार द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के निर्धन एवं उपयुक्त छात्रों को दी जावें।

२—छात्रवृत्तियां, स्वास्थ्य सेवा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत की जावें। छात्रवृत्तियों के प्रार्थना-पत्र संस्था के प्रधानाचार्य, उप-स्वास्थ्य सेवा निदेशक (आयुर्वेद) उत्तर प्रदेश (अब आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश) को भेजें, जो उन पर अपनी संस्तुति अंकित करने के उपरान्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष की १५ अगस्त, अथवा उससे पहले भेजें। प्रार्थना-पत्र में विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक की आय एवं आर्थिक स्थिति, विद्यार्थी के विद्या अध्ययन काल में उसके द्वारा उन परीक्षाओं में, जिनमें वह बैठे/बैठी हो, श्रेणी अथवा योग्यता के अनुसार अंक पर उत्तीर्ण हुआ हो तथा कक्षा में उसके द्वारा किये गये कार्य का पूर्ण विवरण होना चाहिये। प्रार्थना-पत्र के साथ दो गजटेड अधिकारियों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जो कि विद्यार्थियों के संबंधी न हों, के प्रमाण-पत्र भी होने चाहिये कि विद्यार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी अथवा कालेज के प्रधानाचार्य जिसमें यह पढ़ता/पढ़ती हो, का प्रमाण पत्र कि विद्यार्थी का स्वास्थ्य अच्छा है तथा वह विद्या अध्ययन के एवं यदि भविष्य में आवश्यक हो तो सरकारी पद का कार्यभार वहन करने के योग्य है।

३—प्रत्येक विद्यार्थी को, जिसे छात्रवृत्ति दी जाय, एक अनुबंध जैसा कि संलग्न है, करना होगा जिसके अनुसार वे वाध्य होंगे कि परीक्षा उत्तीर्ण होने के ठीक बाद ही तीन वर्ष तक, यदि सरकार ऐसा चाहे किसी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी का कार्य उस समय प्रचलित वेतन-क्रम में करें।

४—छात्रवत्ति का भविष्य में मिलना विद्यार्थी की पढ़ाई में संतोषजनक प्रगति पर निर्भर करेगा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे अनुबन्ध को समाप्त कर दें अथवा छात्रवृत्ति का दिया जाना रोक दें। यदि संस्था के प्रधान किसी विद्यार्थी के लिये यह सूचित करें कि उसने निश्चित अवधि के पहले ही कालेज छोड़ दिया, उत्तीर्ण हो गया, बुरे आचरण के लिये निकाल दिया गया, पढ़ाई में प्रगति संतोषजनक नहीं है अथवा चिकित्सा कार्य में रुचि नहीं है। इन सभी परिस्थितियों में तथा उस स्थिति में भी जब परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त विद्यार्थी किसी राजकीय चिकित्सालय में कम से कम तीन वर्ष तक चिकित्सा अधिकारी का कार्य, उस समय प्रचलित वेतन-क्रम में, सरकार के ऐसा चाहने पर, न करें, तो उसे तथा उसके/उसकी प्रतिभू (surety) दोनों को एक साथ आवश्यक होगा कि वे छात्र के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में पाए गए कुल मूलधन तथा ६ प्रतिशत की दर से व्याज सहित सरकार को लौटा दें।

५—उतने समय के लिये जो कि विद्यार्थी निश्चित अवधि के अतिरिक्त अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने में लेगा, छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। शासन को छात्रवृत्ति काल को बढ़ा देने का अधिकार होगा यदि वे संतुष्ट हों कि विद्यार्थी के उत्तीर्ण न हो सकने का कारण ऐसा है जिस पर कि उसका बस नहीं था, जैसे कि आरोग्यता आदि।

६—नियम ४ में वर्णित प्रगति का व्योरा प्रत्येक छात्रकालिक (academic session) वर्ष के अन्त में संस्था के प्रधान द्वारा भेजी जाय। दूसरे विवरण जैसे ही आवश्यक हो जायें तुरन्त भेजे जायं।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१९८ एल० ए०—१९६३—८३० + (प्रो०)